31 ekpZ] 2014 dks lekIr o"kZ ds fy, ys[kksa ds Hkkx ds :Ik esa vuqlwph

ukV ^1**

¼d½ fuxfer lwpuk

एअर इंडिया लि. विलयित कंपनी का प्रतिनिधित्व करती है जोकि पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लि. और पूर्व एअर इंडिया लि. के दिनांक 1 अप्रैल, 2007 को हुए विलय के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आई है। विलयित कंपनी नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) के नाम से जानी जाती थी। दिनांक 24.11.2010 से कंपनी का नाम बदलकर ''एअर इंडिया लि.'' कर दिया गया। कंपनी भारत और विश्व भर में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी के विमान बेड़े में विमानों की व्यापक रेंज उपलब्ध है जिसमें मुख्य रूप से एयरबस और बोइंग विमान जैसे ए–319, ए–320, ए321, ए–330, बी–747, बी–777, बी–787 विमान सम्मिलित हैं। एयरलाइन उद्योग सामान्यतः आर्थिक मंदी और उसके साथ–साथ उच्च ईंधन लागत से प्रभावित रहा है। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी ने अपने प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने के लिए एक टर्न अराउंड योजना (टीएपी) और एक वित्तीय पुनः संरचना योजना (एफआरपी) को अपनाया/कार्यान्वित किया है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखांकन के लिए सैप–ईआरपी प्रणाली को कार्यान्वित किया। एकीकरण की तिथि तक कंपनी के दोनों वाइड बॉडी तथा नैरो बॉडी प्रचालनों के लिए लेखों को अलग–अलग रखा जा रहा था जिन्हें जनवरी, 2013 से सैप–ईआरपी में कर दिया गया है।

¼[k½ ys[kk ifjikVh

i) यह वित्तीय विवरण, मूल लागत रीतियों के तहत प्रोद्भूत आधार पर (विशेष रूप से स्पष्ट किए गए कथन को छोड़कर), गोईंग कन्सर्न अवधारणा पर तैयार किए गए हैं तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में उल्लिखित लेखा मानकों का अनुसरण करते हैं।

ii) भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन को उन आकलनों और मान्यताओं को निर्धारित करना अपेक्षित होता है जो वित्तीय विवरण की तिथि के दिन परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रिपोर्ट की राशि तथा आकस्मिक देयताओं की प्रस्तुति और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की गई राशि को प्रभावित करते हैं। जिस अवधि में परिणाम ज्ञात होते हैं, उसी समय वास्तविक परिणाम और आंकलनों के बीच का अंतर भी पता चल पाता है।

iii) सेवा सेक्टर में होने के कारण कोई निर्धारित प्रचालन साइकिल नहीं है। कंपनी अधिनियम 1956 के संशोधित शेड्यूल–VI के प्रावधानों के अनुसार 12 माह की अवधि को 'प्रचालन साइकिल' के रूप में अपनाया गया है।

¼x½ egÙoiw.kZ ys[kk uhfr;k¡

1½ fLFkj ifjlaifÙk;k¡

i) क) विमान को खरीद मूल्य पर दर्शाया जाता है।

ख) विमानों के रोटेबल्स सहित अन्य परिसंपत्तियां पूंजीकृत की जाती हैं और इन्हें मूल लागत में दर्शाया जाता है।

ग) ब्याज सहित अन्य प्रासंगिक लागत, जहां लागू हों, को भी वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक दर्ज किया जाता है।

ii) दक्षता/जीवन चक्र को बढ़ाने के उद्देश्य से विमानों में किए गए प्रमुख आधुनिकीकरण/परिवर्तन/रूपांतरण पर होने वाले व्यय को पूंजीकृत किया जाता है।

iii) लीज़ पर लिए गए विमान बेड़े और उपस्कर अधिकतर जिनके स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ कंपनी को स्थानांतरित हो जाते हैं, उन्हें वित्तीय लीज़ के रूप में लिया जाता है और पूंजीकृत किया जाता है।

iv) परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन रोटेशनल आधार पर किया जाता है ताकि प्रत्येक परिसंपत्ति का सत्यापन हर दो वर्ष में एक बार हो जाए तथा सत्यापन के समय पाई गई विसंगतियों को उसी वर्ष में समायोजित कर दिया जाता है जिस वर्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो।

v) निवल मूल्यह्रास मूल्य से अधिक विमान सहित स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री/स्क्रैप से होने वाले लाभ या घाटे को प्रचालनेत्तर राजस्व या व्यय के रूप में लाभ–हानि खाते में लिया जाता है।

2- eY;gkl

(क) सभी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर लगाया जाता है।

(ख) निम्नलिखित को छोड़कर अन्य में अपनाई गई दरें कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में हैं :–

i) बोईंग के नए विमान बेड़े और ए–320 श्रेणी के विमानों पर 16.96 वर्षों के बजाए 20 वर्षों के लिए ब्लॉक मूल्य का 95% तक मूल्यह्रास लगाया जाता है।

ii) एयरबस श्रेणी से संबंधित विमान रोटेबल्स पर संबंधित इंजीनियरी बेस के विमान बेड़े के शेष औसत उपयोगी जीवन पर खरीद के संबद्ध वर्ष के लिए मूल्य के 95% तक का मूल्यह्रास लगाया जाता है।

iii) बोइंग से संबंधित विमान रोटेबल्स पर संबंधित विमान बेड़े के शेष औसत उपयोगी जीवन पर खरीद के संबद्ध वर्ष के लिए मूल्य के 95% का मूल्यह्रास लगाया जाता है।

iv) विद्युत फिटिंग, टाइपराइटर तथा कार्यालय उपकरण, अन्य सामान्य उपस्कर तथा केबिन कैटरिंग उपस्कर पर उनके 95% मूल्य तक 4.75% के स्थान पर 6.33% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

v) मोटर कारों पर उनके 95% मूल्य तक 9.5% के स्थान पर 20% की दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

vi) "रोटेबल्स" तथा "अन्य स्थिर परिसंपत्तियों" में वृद्धि पर मूल्यह्रास अर्जन के वर्ष में पूरे वर्ष के लिए लगाया जाता है तथा निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास नहीं लगाया जाता।

(ग) लीज़ पर ली गई परिसंपत्तियों पर किए गए प्रमुख परिवर्तनों/नवीनीकरण, आधुनिकीकरण/रूपांतरण को लीज़धारी परिसंपत्तियों में सुधार के तहत दर्शाया जाता है तथा उसका लीज़ अवधि में परिशोधन कर लिया जाता है।

(घ) निरंतर चलने वाली लीज़ के अतिरिक्त, लीज़धारी भूमि का परिशोधन, लीज़ अवधि में कर लिया जाता है।

(ड.) ऐसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां जिनकी उपयोगी किफायती लाइफ होती है उनका परिशोधन अनुमानित उपयोगी समय में कर लिया जाता है।

(च) प्रत्येक मामले में 5000/– रुपए से कम की परिसंपत्तियों के लिए पूर्ण रूप से प्रावधान या चार्जड ऑफ किया जाता है।

3- fuos'k

दीर्घकालिक निवेश लागत में से कीमतों में आई स्थायी कमी (यदि कोई है) को घटाकर दिखाया जाता है। वर्तमान निवेश, लागत से कम तथा निष्पक्ष बाज़ार मूल्य पर आंके जाते हैं।

4- bUkosVjh

i) इनवेंटरी को लागत या नेट रियलाइजेबल वेल्यू (एनआरवी) जो भी कम हो पर दर्शाया जाता है। लागत का निर्धारण औसत भार फार्मूले पर किया जाता है।

ii) मरम्मत योग्य कलपुर्जे वे होते हैं जिनकी किफायती लाइफ प्रचालन साइकिल से अधिक होती है और जिन्हें मरम्मत के बाद उपयोग में लाया जा सकता है तथा जिन्हें स्क्रैप के समय बेचा जा सकता है तथापि उन्हें चालू परिसम्पत्तियां माना जाता है। बाहरी मरम्मत को तभी प्रभारित किया जाता है जब उस पर व्यय किया गया हो।

iii) विस्तार योग्य/उपयोग योग्य कलपुर्जों को जारी करने के प्रारम्भिक समय पर प्रभारित किया जाता है। इसमें वे कलपुर्जे सम्मिलित नहीं हैं जो मरम्मत योग्य कलपुर्जों की मरम्मत के लिए होते हैं और जिन्हें वर्क आर्डर समाप्त हो जाने पर खरीदा जाता है। वर्ष के अंत में, मरम्मत के लिए अपेक्षित विस्तार योग्य/उपयोग योग्य कलपुर्जों की अनुमानित लागत को ओपन वर्क आर्डर में सम्मिलित किया जाता है।

iv) विमान भंडार और हिस्से–पुर्जों के लिए अप्रचलन की व्यवस्था निम्नानुसार है:–

क) (ख) एवं (ग) को छोड़कर पांच वर्ष से अधिक समय के लिए (5 प्रतिशत की वसूली योग्य निवल राशि के बराबर) अचल रहने वाली इनवेंटरी हेतु प्रावधान किया गया है।

ख) फेज़ आउट किए गए विमान बेड़े के लिए पूर्ण रूप से (वसूली योग्य अनुमानित निवल मूल्य के बराबर) प्रावधान किया जाता है जब तक कि उसका प्रयोग किसी अन्य विमान में न किया जा सकता हो।

ग) विशेष रूप से ड्राई/वेट लीज़ पर लिए गए विमानों से संबंधित इनवेंटरीज की अप्रचलन व्यवस्था, वर्ष के अंत में कुल लीज़ अवधि की तुलना में पूरी की गई लीज़ अवधि के आधार पर की जाती है।

v) गैर–वैमानिकी भंडार और हिस्से–पुर्जों की पांच वर्षों से अधिक समय तक अचल रहने वाली इनवेंटरी के लिए अप्रचलन प्रावधान किए गए हैं।

5- fuekZrk _.k

विमान/इंजन निर्माताओं, बायर फर्निशड उपकरण विक्रेताओं, सेलर फर्निशड उपकरण विक्रेताओं से प्राप्त निर्माता ऋणों को, प्राप्त होने पर अग्रिम रूप से नामे में दर्ज कर प्रोद्भवन आधार पर अनुषंगिक राजस्व के रूप में दर्शाया जाता है। इस प्रकार के अग्रिम, उपयोग होने पर, समायोजित किए जाते हैं।

6- jktLo fu/kkj.k

(क) यात्री, कार्गो तथा मेल राजस्व की पहचान वहन सेवा प्रदान करने पर ही की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, प्रयोग में नहीं लाई गई टिकटों/एयरवे बिलों के मूल्य के अनुमानित प्रतिशत की पहचान राजस्व के रूप में की जाती है जिसका अनुमान उपलब्ध विगत सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर किया जाता है ।

(ख) अपलिफ्ट अवधि में पुनः जारी करने/धनवापसी/अन्य वाहकों को यात्रियों के अनैच्छिक ट्रांसफर से हुई हानि अथवा लाभ को भी राजस्व में शामिल किया जाता है।

(ग) कोड शेयर भागीदारों से प्राप्त अपलिफ्ट डाटा के आधार पर ब्लॉक स्पेस व्यवस्थाओं/कोड शेयर राजस्व/व्यय की पहचान वास्तविक आधार पर की जाती है। जहां भी कोड शेयर भागीदारों से विवरण उपलब्ध नहीं होता है तो राजस्व/व्यय को प्राप्त दस्तावेज़ों/सूचना के आधार पर बुक किया जाता है तथा आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, को ऐसी सूचना प्राप्त होने के समय किया जाता है।

(घ) ब्याज से होने वाली आय को समय अनुपात आधार पर माना जाता है। जब भुगतान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है तो लाभांश को आय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(ड.) बीमा कंपनियों से प्राप्त दावों को बीमा कंपनियों द्वारा उनकी स्वीकृति पर ही लेखों में दर्ज किया जाता है।

(च) वैंडरों से प्राप्त वारंटी दावे/क्रेडिट नोट की पहचान क्रेडिट नोट के दावों/प्राप्ति की स्वीकृति पर की जाती है।

(छ) वर्ष के दौरान वस्तुएं डिलीवर करने या सेवाएं प्रदान करने पर ही अन्य प्रचालन राजस्व की पहचान की जाती है।

7- lfnX/k _.kksa dh fy, izko/kku

सरकार, सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित ऋणों के लिए प्रावधान तब किया जाता है, जब वह 3 वर्षों से अधिक पुराने हों और उनमें वह ऋण सम्मिलित नहीं होते जिनके निश्चित रूप से वसूली योग्य होने की जानकारी है। अन्य सभी ऋणों के लिए, यदि वे 3 वर्षों से अधिक पुराने हों अथवा उनके संदिग्ध होने की जानकारी विशेष रूप से हो, प्रावधान किया जाता है।

8- fonsh eqnzk ysu&nsu

i) <u>समग्र विदेशी प्रचालनों का विदेशी मुद्रा लेन–देन</u>

(क) समग्र विदेशी प्रचालन से संबंधित राजस्व तथा व्यय का विदेशी मुद्रा में लेन–देन निर्धारित मासिक दरों (प्रकाशित आयटा दरों पर आधारित) पर अंतरित किया जाता है।

(ख) परिवहन के लिए एयरलाइनों के साथ इंटरलाइन समझौता संबंधित माह के लिए आयटा द्वारा प्रकाशित विनिमय दर पर किया जाता है।

ii) <u>विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें</u>

(क) कंपनी दिनांक 31 मार्च, 2009 तथा तदुपरांत समय–समय पर हुए संशोधनों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 11 (एएस–11) से संबंधित कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2009 के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग के समय उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों का लेखांकन करती है। तद्नुसार पिछले वित्तीय विवरणों में दिए गए या अवधि के दौरान प्रारंभ में रिकार्ड की गई दरों से भिन्न दरों पर दीर्घ कालिक मैद्रिक मदों की रिपोर्टिंग या समझौते से उत्पन्न विनिमय अंतरों के प्रभाव परिसंपत्तियों की लागत में कटौती या वृद्धि द्वारा लेखांकन करते हैं जहां तक मूल्यह्रास पूंजी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित होने

पर परिसंपत्तियों की लागत में वृद्धि या कटौती द्वारा तथा अन्य मामलों में "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तित अंतर लेखा" में अंतरण द्वारा लेखांकन किया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में दीर्घकालिक के रूप में पहचान किए गए विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा वर्ष के अंत में परिचालित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और विनिमय दर में हुए उतार–चढ़ाव के कारण जो लाभ/हानि हुई है उसे लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(ग) देयता तथा लोन व अग्रिम जिनके लिए संदेहास्पद प्रावधान किए जाते हैं, वर्ष के अंत में उनके संबंध में किसी भी विनिमय परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाता है।

9- lsokfuofRr ykHk

कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति लाभ में परिभाषित अंशदान योजनाएं और परिभाषित लाभ योजनाएं शामिल हैं।

(क) परिभाषित अंशदान योजनाओं में कर्मचारियों के भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में अंशदान शामिल हैं। कंपनी ने भविष्य निधि अंशदान की व्यवस्था के लिए अलग से एक ट्रस्ट बनाया है जिसमें नियमित रूप से अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा देय को सरकारी प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया जाता है।

(ख) कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाएं जो निधिबद्ध नहीं होतीं, में उपदान, बीमारी छुट्टी तथा सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ एवं अन्य लाभों सहित छुट्टी नकदीकरण सम्मिलित हैं। इन लाभों की देयता (नीचे दिए गए 'ग' को छोड़कर) भारतीय कानून के अनुसार वर्ष के अंत में प्रोजैक्टिड यूनिट क्रेडिट पद्धति के तहत बीमांकिक रूप से निर्धारित की जाती है।

(ग) विदेशी स्टेशनों पर सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए उपदान, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की देयता का प्रावधान वर्ष के अंत में उपलब्ध सूचना के आधार पर संबंधित देशों में प्रभावी स्थानीय कानूनों के अनुसार किया जाता है।

10- _.k ykxr

(क) प्रगति पर पूंजीगत कार्य सहित अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से लगाई गई ऋण लागत को परिसंपत्तियों के व्यावसायिक प्रयोग होने की तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है।

(ख) निधियों पर लगाया गया ब्याज जिन्हें सामान्यतः ऋण पर लिया जाता है और 10.00 मिलियन रुपए से अधिक मूल्य की अर्हक परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए जिनका अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है, उन्हें उस समय के बकाया ऋणों पर भारित औसत ऋण दर पर पूंजीकृत किया जाता है।

11- ifjlaifRr;k dh {kfr

क्षति के लिए प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख पर, पहचानी गई नकद–उत्पादन इकाई की स्थिर परिसंपत्तियों के कैरिंग मूल्य की समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वहां पर क्षति के कोई संकेत हैं। नकद उत्पादन इकाई बनाने हेतु विमानों को विमान बेड़ा प्रकार स्तर पर समूहित किया जाता है ताकि वसूली योग्य राशि (उसके निवल विक्रय मूल्य तथा उपयोग में लाए जा रहे मूल्य से अधिक) की कैरिंग राशि से तुलना की जा सके। विमान बेड़े तथा उपकरण के निवल विक्रय मूल्य का आंकलन प्रबंधन द्वारा उपलब्ध प्रकाशित स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है। यदि नकद–उत्पादन इकाइयों का कैरिंग मूल्य उनकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक होता है तो उसकी क्षतिपूर्ण हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है और नकद–उत्पादन इकाई का परिसंपत्ति मूल्य उनकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाता है।

12- ipkyuxr yht

(क) ऐसी लीज़, जहां पट्टादात्ता लीज़ पर ली गई परिसंपत्तियों के स्वामित्त्व के सभी जोखिम और लाभ प्रभावी रूप से अपने पास सुरक्षित रखता है उसे प्रचालनगत लीज़ के रूप में वगीकृत किया जाता है तथा वर्ष के लिए देय लीज़ किरायों को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(ख) उन लीजों के संबंध में जिनकी अवधि समापन/रिलीज राशि के भुगतान थोड़ा बढ़ा दी गई हैं, जिसके द्वारा कंपनी विमान में अवशिष्ट अधिकार प्राप्त करती है, ऐसी भुगतान की राशि को उड़ान घंटों द्वारा निर्धारित विमान के शेष उपयोगी जीवन से हटा दिया जाता है।

(ग) लीज़ अवधि के दौरान जिस अनुरक्षण में वृद्धि होने की संभावना है, उसके लिए अनुरक्षण आरक्षित हेतु पट्टादाताओं को दिया गया अंशदान पूर्वदत्त व्यय के रूप में माना जाता है। इस अंशदान को व्यय में तब समायोजित किया जाता है जब अनुरक्षण व्यय में वृद्धि होती है तथा पट्टादाता को विमान की पुनः सुपुर्दगी के मामले में अनुरक्षण आरक्षित की शेष राशि को व्यय के तौर पर प्रभारित किया जाता है। अनुरक्षण आरक्षित के लिए अन्य सभी अंशदानों को उसके भुगतान के वर्ष में राजस्व से अलग दर्शाया जाता है।

13- dekfMVh gfŒtx yu&nu%

कमोडिटी हैजिंग कांट्रैक्ट को उनके निपटान की तिथि पर लेखाकृत किया जाता है और निपटान कांट्रैक्ट के संबंध में वसूले गए लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है।

14- vk; ij dj

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया जाता है।

तुलन–पत्र की तारीख को अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई कर दरों और विधियों का प्रयोग करके बहीखातों और कर योग्य लाभों के बीच के समय के अंतर के आधार पर आस्थगित कर की पहचान की जाती है और उन्हें एक निश्चित सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है जिससे वास्तव में कंपनी की प्रचालनात्मक तथा वित्तीय पुनः संरचना, राजस्व अर्जन तथा लागत कटौती कार्यक्रम के आधार पर यह सुनिश्चित हो कि भविष्य में परिसंपत्तियों की वसूली की जाएगी।

15- gt ipkyu

हज बैलॉट यात्रियों को ले जाने के लिए कंपनी द्वारा किए गए व्यय हेतु भारत सरकार तथा केन्द्रीय हज़ समिति से प्राप्त राशि को अन्य प्रतिभागी एयरलाइनों को किए गए भुगतान के चार्टर राजस्व के रूप में लेखाकृत किया जाता है। प्रशासनिक ओवरहैड तथा विलम्ब भुगतान प्रभारों के रूप में बिल की गई राशि को प्रासंगिक राजस्व के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

16- iko/kku] vkdfLed nf;rk,a rFkk vkdfLed ifjlaifRr;k

(क) मापन में बहुत अधिक मात्रा में अनुमान वाले प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है तथा यह संभावना होती है कि संसाधनों का आउटफ्लो होगा।

(ख) पूर्व घटनाओं से उद्भूत होने वाली संभावित देयताओं के संबंध में, प्रत्येक मामले में 0.1 मिलियन रुपए से अधिक प्रासंगिक देयताओं को दर्शाया जाता है किंतु उनकी उपस्थिति की पुष्टि, भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं (जो कंपनी के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं होती) के होने या न होने से होती है।

(ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों की न तो पहचान की जाती है और न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

17- ÝhDoasV ¶yk;j dk;Øe

कंपनी एक संयुक्त फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम चलाती है जिसमें एकत्रित किए गए माइलेज़ प्वाइंटों के आधार पर अपने सदस्यों को निःशुल्क टिकटें प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम के तहत यात्रियों की सुख–सुविधाएं तथा कानूनी देयता (यदि कोई है) का प्रावधान किया जाता है तथा इसे लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है।

18- vU; nf;rk,a

तीन वर्ष से अधिक पुरानी देयताओं को पुनरांकित किया जाता है, जब तक कि ऐसी देयताएं भविष्य में देय होने के लिए विशेष रूप से ज्ञात न हों।

19- iwoZnRr O;;@O;;ksa dh nf;rk

पूर्वदत्त व्यय/व्ययों की देयता की निम्नानुसार पहचान की जाती है :–

(क)	विदेशी स्टेशन	–	प्रत्येक मामले में 50,000/– रुपए और उससे अधिक
(ख)	घरेलू स्टेशन	–	प्रत्येक मामले में 10,000/– रुपए और उससे अधिक

ukV **2** % 'k;j iwth

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	31 ekp] 2014 dk	31 मार्च, 2013 को
ikf/kÑr		
10 रुपए प्रत्येक के 20,000.0 मिलियन इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष : 11,000.0 मिलियन इक्विटी शेयर)	**200,000.0**	110,000.0
	200,000.0	110,000.0
tkjh] vfHknÙk vkj i.k inÙk 'k;j		
10 रुपए प्रत्येक के 14,345.0 मिलियन इक्विटी शेयर (पिछले वर्षः 9,345.0 मिलियन इक्विटी शेयर)	**143,450.0**	93,450.0
dy	**143,450.0**	93,450.0

2-1 यह कंपनी सरकारी कंपनी है जिसमें नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से राष्ट्रपति तथा उनके नामितियों के 100% शेयर हैं।

2-2 उपरोक्त में से, एकीकरण के पश्चात वर्ष 2007–08 के दौरान 144.95 मिलियन इक्विटी शेयर जारी किए गए।

2-3 रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ व समाप्त होने के समय बकाया शेयरों की संख्या का मिलान निम्नानुसार है :–

fooj.k	¼'k;jk dh l[;k fefy;u e½		¼'k;jk dk eY; fefy;u e½	
	2013-14	2012-13	**2013-14**	2012-13
अवधि के प्रारंभ में इक्विटी शेयर	**9,345.0**	3,345.0	**93,450.0**	33,450.0
जमाः अवधि के दौरान आवंटित इक्विटी शेयर	**5,000.0**	6,000.0	**50,000.0**	60,000.0
अवधि के अंत में इक्विटी शेयर	**14,345.0**	9,345.0	**143,450.0**	93,450.0

2-4 bfDoVh 'k;jk l lc) 'kr@vf/kdkj

कंपनी के पास एक ही प्रकार की शेयर पूंजी है जो इक्विटी शेयर के रूप में है तथा जिसका मूल्य 10/–रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार है। कंपनी भारतीय रुपए में लाभांश घोषित करती है तथा उसका भुगतान करती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश का अनुमोदन शेयर होल्डरों द्वारा आगामी वार्षिक साधारण बैठक में किया जाता है।

कंपनी के समापन पर इक्विटी शेयर धारक, सभी प्रकार की प्राथमिक राशियों के भुगतान के बाद कंपनी की शेयर परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। शेयर होल्डर के स्वामित्व में जितने इक्विटी शेयर होंगे उसी के अनुपात में वितरण किया जाएगा।

2-5 वर्ष के दौरान प्राधिकृत शेयर पूंजी 110,000.0 मिलियन रुपए से बढ़कर 150,000.0 मिलियन रुपए हो गई जिसे 26 अप्रैल, 2013 की ईजीएम में अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात प्राधिकृत शेयर पूंजी 150,000.0 मिलियन रुपए से बढ़कर 200,000.0 मिलियन रुपए हो गई जिसे 24 दिसम्बर, 2013 की एजीएम में अनुमोदित किया गया।

2-6 ''शेयर ऐप्लीकेशन मनी, आबंटन लंबित'' से तात्पर्य वर्ष 2013–14 के दौरान भारत सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी से है किन्तु निदेशक मंडल द्वारा अपनी दिनांक 16 अप्रैल, 2014 को आयोजित 59वीं बैठक में शेयर आबंटन का अनुमोदन कर दिया गया था।

ukV **3** % vkjf{kr ,oa vf/k'ks"k

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
1- vkjf{kr iwath		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**1,202.6**	1,258.3
जमा : वर्ष के दौरान वृद्धि	**577.9**	-
जमा : वायुदूत लि. से अंतरित पूंजी आरक्षित। टिप्पणी 48 को देखें)	**35.5**	-
घटा : मूल्यह्रास से कमी के रूप में लाभ–हानि खाते में अंतरण (संदर्भ नोट 21)	**55.7**	55.7
vur'ks"k	**1,760.3**	1,202.6
2- lkekU; vkjf{kr		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**-**	-
जमा : वर्ष के दौरान वृद्धि	**(1,436.7)**	-
वायुदूत लि. के लाभ–हानि विवरणी में (हानि)/अधिशेष (संदर्भ नोट 48)		
घटा : वर्ष के दौरान कटौती	**-**	-
vur'ks"k	**(1,436.7)**	-
3- vU; vkjf{kr		
d) Qkju djsUlh ekSuVjh vkbVe Vªkal yslu fMQjsUl [kkrkA		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	**(588.1)**	(367.1)
वर्ष के दौरान विनिमय लाभ/(हानि)	**(3,018.6)**	(305.0)
वर्ष के दौरान परिशोधन	**204.8**	84.0
vur'ks"k	**(3,401.9)**	(588.1)
4- ykHk o gkfu fooj.kh esa vf/k'ks"k ?kkVk		
पिछली वित्तीय विवरणियों के अनुसार शेष	**(254,041.6)**	(199,140.0)
वर्ष में हानि	**(62,796.0)**	(54,901.6)
ykHk & gkfu fooj.kh esa fuoy ?kkVk	**(316,837.6)**	(254,041.6)
dqy **(1+2+3+4)**	**(319,915.9)**	(253,427.1)

3-1 *स्थिर परिसम्पत्तियों में बी–777 तथा बी–787 सिमुलेटर तथा बोईंग से प्राप्त नागपुर एम आर ओ भूमि की कीमत टेस्ट सैल सुविधा के लिए जीई से प्राप्त एमआरओ भत्तों को पूंजी आरक्षित में क्रेडिट कर दिया गया है। क्रेडिट की गई राशि पर अनुपातिक मूल्यह्रास को पूंजी आरक्षित में प्रभारित किया गया है।*

3-2 *कंपनी ने भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2009 को (29 दिसम्बर, 2011 को संशोधित) अधिसूचित लेखा मानक 11 (एएस–11) से संबंधित कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम 2009 के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद की रिपोर्टिंग से उत्पन्न विनिमय अंतर का लेखांकन किया है। उक्त नियम के अनुसार, 1 अप्रैल, 2011 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी विनिमय अंतर को मूल्यह्रासित परिसंपत्तियों के अर्जन की सीमा तक पूंजीबद्ध किया जाए तथा अन्य स्थितियों में संबंधित मौद्रिक मदों की शेष अवधि के लिए परिशोधित किया जाए। 31 मार्च, 2014 को ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा'' में 3,401.9 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष: 588.1 मिलियन रुपए) का डेबिट परिशोधित बना रहा।*

ukV **4** % nh?kkZof/k _.k

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	xSj pkyw		pkyw	
	31 ekpZ 2014 rd	31 ekpZ 2013 rd	31 ekpZ 2014 rd	31 ekpZ 2013 rd
I ckaM@fMcsapj	**136,000.0**	136,000.0	**-**	-
II fe;knh _.k				
क) बैंक से (रक्षित)	**124,505.0**	123,912.5	**1,260.1**	1,302.2
ख) बैंकों से (अरक्षित)	**4,138.0**	3,749.2	**-**	890.6
ग) अन्य पार्टियों से (अरक्षित)	**230.4**	217.3	**9.5**	8.6
III foÙk yht ck/;rk,a	**98,664.7**	117,796.4	**21,592.7**	15,778.7
dqy	**363,538.1**	381,675.4	**22,862.3**	17,980.1

4-1 ckaM@fMcsapj

प्रत्येक 1 मिलियन रुपए के अंकित मूल्य के 136,000 रिडिमेबल, अरक्षित, अपरिवर्तनशील डिबेन्चरों (गत वर्ष : 136,000 डिबेन्चर) को भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई। परिपक्वता संबंधी विवरण एवं निर्धारित ब्याज की दर निम्नानुसार है :–

¼#i;s fefy;u esa½

ifjiDork dh vof/k	31 ekpZ 2014 dks fdLrksa dh la[;k	ifj'kks/ku ij ns; jkf'k	C;kt nj	31 ekpZ 2014 dks cdk;k fdLrksa dh jkf'k
दिसम्बर, 2031	लागू नहीं	4,714.0	9.08%	शून्य
नवम्बर, 2031	लागू नहीं	10,086.0	9.08%	शून्य
सितम्बर, 2031	लागू नहीं	15,000.0	10.05%	शून्य
दिसम्बर, 2030	लागू नहीं	4,714.0	9.08%	शून्य
नवम्बर, 2030	लागू नहीं	10,086.0	9.08%	शून्य
दिसम्बर, 2029	लागू नहीं	4,714.0	9.08%	शून्य
नवम्बर, 2029	लागू नहीं	10,086.0	9.08%	शून्य
दिसम्बर, 2028	लागू नहीं	4,714.0	9.08%	शून्य
नवम्बर, 2028	लागू नहीं	10,086.0	9.08%	शून्य
दिसम्बर, 2027	लागू नहीं	4,714.0	9.08%	शून्य
नवम्बर, 2027	लागू नहीं	10,086.0	9.08%	शून्य
सितम्बर, 2026	लागू नहीं	40,000.0	9.84%	शून्य
मार्च, 2020	लागू नहीं	7,000.0	9.13%	शून्य
	dqy	**136,000.0**		

4-2 cSadks ls jf{kr iqufuZ/kkZfjr fe;knh _.kksa dk fooj.k fuEukuqlkj gS&

¼#i, fefy;u esa½

Øe la-	fjLVªDpfjax _.knkrk	31 ekpZ 2014 rd	31 ekpZ 2013 rd
1	इलाहाबाद बैंक	**2,901.0**	2,906.9
2	आन्ध्रा बैंक	**3,491.9**	3,513.0
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	**13,056.4**	13,089.9
4	बैंक ऑफ इंडिया	**16,407.7**	15,768.0
5	केनरा बैंक	**8,524.9**	8,532.8
6	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	**9,313.8**	9,302.8
7	कार्पोरेशन बैंक	**7,551.5**	7,565.1
8	देना बैंक	**1,365.4**	1,377.5
9	दी फेडरल बैंक लिमिटेड	**1,958.3**	1,850.6
10	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	**4,352.1**	4,360.5
11	इंडियन बैंक	**4,346.2**	4,356.2
12	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	**7,128.1**	7,109.4
13	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	**8,874.6**	8,891.9
14	पंजाब नेशनल बैंक	**12,258.5**	12,252.4
15	पंजाब एंड सिंध बैंक	**2,754.6**	2,760.6
16	भारतीय स्टेट बैंक	**6,664.1**	6,731.6
17	सिंडिकेट बैंक	**6,395.4**	6,409.8
18	यूको बैंक	**5,802.1**	5,814.1
19	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	**2,618.5**	2,621.6
	dqy	**125,765.1**	**125,214.7**

उक्त बैंकों के सभी मियादी ऋण निम्नलिखित 29 विमानों तथा 12 अचल परिसंपत्तियों तथा सभी चालू परिसंपत्तियों से रक्षित हैं (गत वर्ष 28 विमान, 12 अचल परिसंपत्तियां तथा सभी चालू परिसंपत्तियां)। तथापि बैंकों के साथ 12 अचल सम्पत्तियों को अभी संगत रूप से गिरवी रखा जाना है।

,;jØk¶V %

1) ए310–एफ/वीटी–ईक्यूटी 2) ए319/वीटी–एससीपी 3) ए319/वीटी–एससीक्यू 4) ए319/वीटी–एससीआर
5) ए319/वीटी–एससीएस 6) ए319/वीटी–एससीटी 7) ए319/वीटी–एससीयू 8) ए319/वीटी–एससीवी
9) ए319/वीटी–एससीडब्ल्यू 10) ए319/वीटी–एससीएक्स 11) ए320/वीटी–ईएसए 12) ए320/वीटी–ईएससी
13) ए320/वीटी–ईएसडी 14) ए320/वीटी–ईएसई 15) ए320/वीटी–ईएसएफ 16) ए320/वीटी–ईएसजी
17) ए320/वीटी–ईएसआई 18) ए320/वीटी–ईएसजे 19) ए320/वीटी–ईएसके 20) ए320/वीटी–ईएसएल
21) ए320/वीटी–ईडीसी 22) ए321/वीटी–पीपीएन 23) ए321/वीटी–पीपीओ 24) ए321/वीटी–पीपीक्यू
25) ए321/वीटी–पीपीवी 26) ए321/वीटी–पीपीडब्ल्यू 27) ए321/वीटी–पीपीएक्स 28) ए321/वीटी–पीपीटी
29) ए321/वीटी–पीपीयू

vpy lEifRr %

1) पुराना एयरपोर्ट, कलीना, मुम्बई में बिल्डिंग,
2) एअर इंडिया बिल्डिंग, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई
3) सीआईडीसीओ प्लाट, नेरूल, नवी मुम्बई में भूमि
4) एनआईटीसी, सांताक्रुज, मुम्बई में बिल्डिंग
5) बाबा खडक सिंह मार्ग, नई दिल्ली मार्ग में भूमि
6) स्टाफ क्वाटर–वसंत विहार, नई दिल्ली
7) पलवंथगल विलेज में फ्रीहोल्ड भूमि तथा आवासीय फ्लैट और आईए स्टाफ हाउसिंग कालोनी, चेन्नै
8) यूनिट सं0 264, 297, 310, 489, 631, 678, 684, 714 एशियाड विलेज कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली
9) डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव, फेज़–III, गुडगांव, हरियाणा में भूमि
10) एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरूद्वारा रकाबगंज रोड़ दिल्ली

11) फ्रीहोल्ड वैकेंट नम्बर 504, अन्नासलाई/थेनमपेट, चेन्नै
12) फ्रीहोल्ड भूमि (सीटीई कॉम्प्लैक्स) तथा बिल्डिंग, हैदराबाद

बैंकों के सभी रक्षित आवधिक ऋणों के लिए ब्याज दर को संबंधित बैंक की मूल दर/ बेस दर/लिबर प्लस मार्जिन से जोड़ा गया है। इन ऋणों का पुनर्भुगतान तिमाही किस्तों में 31 दिसम्बर 2013 से आरंभ होकर तथा 30 सितम्बर 2026 के अंत तक किया जाएगा। पुनर्भुगतान किस्त की राशि तथा ब्याज दर का खुलासा पुनर्भुगतान अनुसूची की जटिलता तथा बैंक के साथ ब्याज दर में गोपनीयता शर्त के कारण नहीं किया गया है।

4-3 दिनांक 31 मार्च, 2014 को बैंकों से रक्षित आवधिक ऋण पर देय ब्याज का भुगतान शून्य मिलियन रुपए (गत वर्ष : 52.1 मिलियन रुपए) है।

4-4 बैंकों से 4,138.0 मिलियन (पिछले वर्ष 4,639.8 मिलियन रुपए) रुपयों के अरक्षित आवधिक ऋण की गारंटी भारत सरकार द्वारा 4,138.0 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3,749.2 मिलियन रुपए) की सीमा तक दी गई।

¼#i, fefy;u e½

ifjiDork dh vof/k	_.k fdLrksa dh l¡[;k	31 ekpZ] 2014 dk _.k jkf'k	C;kt nj	31 ekpZ] 2014 dk cdk;k fdLrksa dh jkf'k	31 ekpZ] 2014 dk nw; C;kt dh jkf'k	31 ekpZ] 2013 dk cdk;k fdLrksa dh jkf'k	31 ekpZ] 2013 dk nw; C;kt dh jkf'k
सितम्बर, 16	1	4,138.0	लीबर + 1.45/2.5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
फरवरी, 14	शून्य	शून्य	बीपीएलआर – 0.50	शून्य	शून्य	178.1	11.1

4-5 239.9 मिलियन रुपयों (पिछले वर्ष :225.9 मिलियन रुपए) के ''अन्य से अरक्षित आवधिक ऋण'' पर भारत सरकार की 239.9 मिलियन रुपए (गत वर्ष 225.9 मिलियन रुपए) की सीमा तक गारंटी है।

¼#i, fefy;u e½

ifjiDork dh vof/k	_.k fdLrksa dh l¡[;k	31 ekpZ] 2014 dk _.k jkf'k	C;kt nj	31 ekpZ] 2014 dk cdk;k fdLrksa dh jkf'k
अक्तूबर - 2039	52	164.9	ब्याज रहित	शून्य
मार्च - 2037	46	75.0	ब्याज रहित	शून्य

4-6 120,257.4 मिलियन रुपए (गत वर्ष 133,575.1 मिलियन रुपए) के वित्तीय लीज अपेक्षाओं पर भारत सरकार की 97,267.5 मिलियन रुपए (गत वर्ष 109,678.4 मिलियन रुपए) की सीमा तक गारंटी है।

¼#i, fefy;u e½

ifjiDork dh vof/k	_.k fdLrksa dh l¡[;k	31 ekpZ] 2014 dk _.k jkf'k	C;kt nj	31 ekpZ] 2014 dk cdk;k fdLrksa dh jkf'k
जुलाई, 22	66	17,223.3	लीबर + 0.24	शून्य
सितम्बर, 21	90	34,423.3	लीबर + 0.93	शून्य
फरवरी, 21	28	23,176.1	लीबर + 0.75	शून्य
मई, 20	50	11,550.2	लीबर - 0.05 + 0.75	शून्य
दिसम्बर, 19	70	16,360.8	नियत	शून्य
दिसम्बर, 19	23	17,523.7	लीबर + 0.75	शून्य

4-7 दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता को अन्य चालू देयताओं शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है (संदर्भ नोट संख्या 5)।

ukV **5** % n;rk,i

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	vU; nh?kdkfyd n;rk,i		vU; pky n;rk,i	
	31 ekp] 2014 rd	31 मार्च, 2013 तक	31 ekp] 2014 rd	31 मार्च, 2013 तक
0;kikj n;	-	-	**64,836.5**	65,555.7
(d)	-	-	**64,836.5**	65,555.7
vU; n;rk,i				
क) दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	-	-	**1,269.6**	2,201.4
ख) वित्त लीज़ बाध्यताओं की वर्तमान परिपक्वता	-	-	**21,592.7**	15,778.7
ग) उपचित ब्याज किंतु देय तिथि को देय नहीं	-	-	**6,400.9**	6,780.6
घ) उपचित ब्याज और ऋण पर देय	-	-	**356.4**	298.4
ड.) फोरवर्ड सेल्स (निवल) (यात्री/कार्गो)	-	-	**18,672.7**	17,979.8
च) ग्राहकों से अग्रिम (निवल)	-	-	**212.4**	576.1
छ) अन्य देयताएं (निवल)	**502.5**	578.3	**27,787.9**	29,111.3
ज) बुक ओवरड्राफ्ट	-	-	-	298.2
([k)	**502.5**	578.3	**76,292.6**	73,024.5
dy (d$[k)	**502.5**	578.3	**141,129.1**	138,580.2

5.1 व्यापार देय में सहायक कंपनी एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के निवल भुगतान के 106.4 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 19.1 मिलियन रुपए) सम्मिलित हैं।

5.2 दीर्घकालीन ऋण/वित्त लीज़ बाध्यता की वर्तमान परिपक्वता के विवरण को दीर्घकालीन ऋण के अधीन वर्गीकृत किया गया है (संदर्भ नोट सं0 4.7)।

5.3 दीर्घकालीन ऋण की चालू भुगतान निधि में 31 मार्च 2014 को देय बैंक के शून्य रुपए का भुगतान (पिछले वर्ष : 178.1 मिलियन रुपए) सम्मिलित है।

5.4 बैंकों से लिए गए अरक्षित आवधिक ऋण पर ब्याज में शून्य मिलियन रुपए का उपचित एवं देय ब्याज सम्मिलित है (गत वर्ष: 11.1 मिलियन रुपए) (संदर्भ नोट सं0 4.4)

5.5 बैंकों की मांग पर देय रक्षित ऋण पर ब्याज में 164.6 मिलियन रुपए का ब्याज सम्मिलित है जिसका बाद में भुगतान कर दिया गया। (पिछले वर्ष : 235.2 मिलियन रुपए) (संदर्भ नोट सं0 7.4)।

5.6 बैंकों की मांग पर देय रक्षित ऋण पर ब्याज में शून्य मिलियन रुपए का उपचित एवं देय ब्याज सम्मिलित है (पिछले वर्ष : 52.1 मिलियन रुपए) (संदर्भ नोट सं0 4.3)।

5.7 बैंकों की मांग पर देय अरक्षित ऋण पर ब्याज में 191.8 मिलियन रुपए (गत वर्ष : शून्य मिलियन रुपए) का उपचित एवं देय ब्याज सम्मिलित है जिसको बाद में भुगतान कर दिया गया। (संदर्भ नोट सं0 7.5)।

ukV **6** % iko/kku

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	nh?kkof/k iko/kku		vYikof/k iko/kku	
	31 ekp] 2014 rd	31 मार्च, 2013 तक	31 ekp] 2014 rd	31 मार्च, 2013 तक
depkjh ykHk grq iko/kku				
क) उपदान	**8,062.0**	8,452.4	**1,594.3**	1,351.1
ख) छुट्टी नकदीकरण	**4,459.7**	4,822.2	**894.7**	612.1
ग) सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा तथा अन्य लाभ	**2,068.1**	1,829.8	**85.8**	42.6
(d)	**14,589.8**	15,104.4	**2,574.8**	2,005.8
vU; iko/kku				
क) संपत्ति कर	-	-	**16.9**	18.2
ख) फ्रिक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम	-	-	**103.5**	145.9
([k)	-	-	**120.4**	164.1
dy (d$[k)	**14,589.8**	15,104.4	**2,695.2**	2,169.9

ukV **7** % vYikof/k _.k

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	31 ekp] 2014 dk	31 मार्च, 2013 को
I	ekx ij _.k vnk;xh %		
	क) बैंकों से (रक्षित)*/**	**89,598.0**	73,645.4
	ख) अन्य पार्टी से (रक्षित)**	**-**	14,353.4
	ग) बैंकों से (अरक्षित)	**30,456.7**	3,606.3
	d|y	**120,054.7**	91,605.1

7.1* बैंकों की मांग पर रक्षित ऋण की पुनः अदायगी 55,521.3 मिलियन रुपए है (पिछले वर्ष 58,529.7 मिलियन रुपए)। बैंकों से रक्षित ऋण का विवरण नीचे दिया गया है :

¼#i, fefy;u e½

Øe l-	y|Mj dh l|ph	31 ekp] 2014 dk	31 मार्च, 2013 को
1	इलाहाबाद बैंक	**850.0**	850.0
2	आंध्रा बैंक	**1,010.0**	1010.0
3	बैंक ऑफ बडोदा	**3,973.9**	3829.0
4	बैंक ऑफ इंडिया	**4,908.9**	6885.6
5	केनरा बैंक	**2,715.3**	4630.9
6	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	**2,716.5**	6216.5
7	कार्पोरेशन बैंक	**2,210.0**	2210.0
8	देना बैंक	**395.8**	394.2
9	एच डी एफ सी बैंक लि0	**162.7**	66.5
10	दी फेडरल बैंक लिमिटेड	**599.2**	542.8
11	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	**1,265.3**	1273.4
12	इंडियन बैंक	**1,280.0**	1280.0
13	इंडियन ओवरसिज बैंक	**2,024.2**	1775.5
14	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	**2,597.7**	2597.7
15	पंजाब नेशनल बैंक	**3,718.8**	3634.3
16	पंजाब एंड सिंध बैंक	**806.4**	806.4
17	स्टैंडर्ड चार्टड बैंक	**17,048.6**	15449.5
18	भारतीय स्टेट बैंक	**1,177.8**	878.2
19	सिंडिकेट बैंक	**1,862.4**	1867.7
20	यूको बैंक	**1,697.8**	1697.8
21	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	**2,500.0**	633.7
	d|y	**55,521.3**	58,529.7

7.2** बैंकों की मांग पर रक्षित ऋण की पुनः अदायगी 34,076.7 मिलियन रुपए है (पिछले वर्ष 15,115.7 मिलियन रुपए) बैंकों से रक्षित ऋणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

¼#i, fefy;u e½

Øe l-	y|Mj dh l|ph	31 ekp] 2014 rd	31 ekp] 2013 rd
1	बैंक ऑफ बडोदा	**5,931.6**	-
2	ड्यूशे बैंक	**22,453.2**	-
3	इन्वेसटैक बैंक	**5,691.9**	-
4	स्टैंडर्ड चार्टड बैंक	**-**	15,115.7
	d|y	**34,076.7**	15,115.7
	d|y (7.1 + 7.2)	**89,598.0**	73,645.4

***7-1 d| fy, ifrHkfr C;kj fuEuku|kj g%**

55,521.3 मिलियन रुपए के ऋण निम्नलिखित 32 विमानों तथा 12 अचल परिसंपत्तियों तथा सभी चालू परिसंपत्तियों से रक्षित हैं। तथापि 12 अचल परिसंपत्तियों हेतु बैंकों के साथ न्यायसंगत बन्धक पत्र तैयार किया जाना शेष है।

,;jØkÝV %

1) ए310–एफ/वीटी–ईक्यूटी 2) ए319/वीटी–एससीपी 3) ए319/वीटी–एससीक्यू 4) ए319/वीटी–एससीआर 5) ए319/वीटी–एससीएस 6) ए319/वीटी–एससीटी 7) ए319/वीटी–एससीयू 8) ए319/वीटी–एससीवी 9) ए319/वीटी–एससीडब्ल्यू 10) ए319/वीटी–एससीएक्स 11) ए320/वीटी–ईएसए 12) ए320/वीटी–ईएससी 13) ए320/वीटी–ईएसडी 14) ए320/वीटी–ईएसई 15) ए320/वीटी–ईएसएफ 16) ए320/वीटी–ईएसजी 17) ए320/वीटी–ईएसआई 18) ए320/वीटी–ईएसजे 19) ए320/वीटी–ईएसके 20) ए320/वीटी–ईएसएल 21) ए320/वीटी–ईडीसी 22) ए321/वीटी–पीपीएन 23) ए321/वीटी–पीपीओ 24) ए321/वीटी–पीपीक्यू 25) ए321/वीटी–पीपीवी 26) ए321/वीटी–पीपीडब्ल्यू 27) ए321/वीटी–पीपीएक्स 28) बी747/वीटी–ईएसपी 29) बी747/वीटी–ईवीए 30) बी747/वीटी–ईवीबी 31) ए321/वीटी–पीपीटी 32) ए321/वीटी–पीपीयू

vpy lEifÙk %

1) पुराना एयरपोर्ट, कलीना, मुम्बई में बिल्डिंग,
2) एअर इंडिया बिल्डिंग, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई
3) सीआईडीसीओ प्लाट, नेरूल, नवी मुम्बई में भूमि
4) एनआईटीसी, सांताक्रुज, मुम्बई में बिल्डिंग
5) बाबा खडक सिंह मार्ग, नई दिल्ली मार्ग में भूमि
6) स्टाफ क्वार्टर–वसंत विहार, नई दिल्ली
7) पलवंथगल विलेज में फ्रीहोल्ड भूमि तथा आवासीय फ्लैट और आईए स्टाफ हाउसिंग कालोनी, चेन्नै
8) यूनिट सं0 264, 297, 310, 489, 631, 678, 684, 714 एशियाड विलेज कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली
9) डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव, फेज़ – III, गुडगांव, हरियाणा में भूमि
10) एयरलाइन्स हाउस, 113 गुरूद्वारा रकाबगंज रोड़ दिल्ली
11) फ्रीहोल्ड वैकेंट नम्बर 504, अन्नासलाई/थेनमपेट, चेन्नै
12) फ्रीहोल्ड भूमि (सीटीई कॉम्प्लैक्स) तथा बिल्डिंग, हैदराबाद

(पिछले वर्ष : मांग पर अदायगी के लिए बैंकों के सभी रक्षित ऋण 31 विमानों तथा 12 अचल परिसंपत्तियों तथा सभी चालू परिसंपत्तियों से रक्षित हैं।)

7.3** अन्य से मांग पर रक्षित ऋण का पुनर्भुगतान शून्य मिलियन रुपए का है (पिछले वर्ष 14,353.4 मिलियन रुपए)

¼#i, fefy;u esa½

Øe l-	yMj dk uke	31 ekpZ 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
1	बोइंग क्रेडिट कार्पोरेशन	-	14,353.4

** 7-2 vkSj 7-3 ds fy, izfrHkwfr C;kSjk fuEukuqlkj gS %

34,076.7 मिलियन रुपए (गत वर्ष 29,469.1 मिलियन रुपए) के ऋण को 6 विमानों के आडमान से रक्षित किया गया है। 1) बी 787/वीटी – एएनए 2) बी 787/वीटी – एएनबी 3) बी 787/वीटी–एएनई 4) बी 787/वीटी–एएनजी 5) बी 787/वीटी – एएनएन 6) बी 787/वीटी – एएनओ (गत वर्ष : 9 विमानों के आडमान से रक्षित)

7.4 दिनांक 31 मार्च, 2014 को बैंको से 55,521.3 मिलियन रुपए के रक्षित ऋण पर देय ब्याज भुगतान 164.6 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 235.2 मिलियन रुपए) था। बैंकवार राशि और व्यतिक्रम की अवधि की घोषणा आंकड़ों की जटिलता और बैंकों के साथ किए गए गोपनीयता खंड के कारण नहीं की जा रही है (संदर्भ नोट 5.5)

7.5 दिनांक 31 मार्च, 2014 को 30,456.7 मिलियन रुपए के अरक्षित ऋणों पर देय ब्याज को भुगतान 191.8 मिलियन रुपए (गत वर्ष : शून्य मिलियन रुपए) है। बैंकवार राशि और व्यतिक्रम की अवधि की घोषणा आकड़ों की जटिलता और बैंको के साथ किए गए गोपनीयता खंड के कारण नहीं की जा रही है (संदर्भ नोट 5.7)।

ukV **8** % fLFkj ifjlaifÙk;ka

¼#i, fefy;u esa½

Øe la-	fooj.k	ldy iwath				eY;ála				fuoy iwath	
		01 vizSy] 2013 dks	vfrfjDr	dVkSrh lek;kstu	31 ekpZ] 2014 dks	01 vizSy] 2013 rd	o"kZ ds fy,	dVkSrh lek;kstu	31 ekpZ] 2014 rd	31 ekpZ] 2014 rd	31 ekpZ] 2013 dks
	ewrZ ifjlaifÙk;ka										
d-	foeku cMk rFkk jksVscYl										
1	,;jØk¶V										
	अपने स्वामित्व वाले एवं स्वप्रचालित	227,655.2	43,060.3	47,166.5	223,549.0	46,369.7	12,023.0	6,279.8	52,112.9	**171,436.1**	181,285.5
2	एयरो इंजन तथा पावर प्लांट										
	अपने स्वामित्व वाले एवं स्वप्रचालित	83,189.1	19,025.9	20,577.4	81,637.6	16,504.0	4,353.9	2,732.3	18,125.6	**63,512.0**	66,685.1
3	सिमुलेटर तथा लिंक ट्रेनर	2,424.8	-	-	2,424.8	497.4	114.9	-	612.3	**1,812.5**	1,927.4
4	एयरफ्रेम रोटेबल्स	4,645.7	409.7	(217.4)	5,272.8	1,554.9	304.5	(37.7)	1,897.1	**3,375.7**	3,090.8
5	ऐयरो इंजन रोटेबल्स	1,626.2	-	217.4	1,408.8	488.4	79.6	37.7	530.3	**878.5**	1,137.8
6	सिमुलेटर रोटेबल्स	0.1	-	-	0.1	0.1	-	-	0.1	**-**	-
	mi tksM+ ¼d½	319,541.1	62,495.9	67,743.9	314,293.1	65,414.5	16,875.9	9,012.1	73,278.3	**241,014.8**	254,126.6
[k-	Hkwfe] Hkou rFkk okgu										
1.	भूमि – फ्रीहोल्ड	7,034.2	-	(109.6)	7,143.8	-	-	-	-	**7,143.8**	7,034.2
2.	भूमि– पट्टे पर	64,099.2	19.7	680.7	63,438.2	775.6	107.7	-	883.3	**62,554.9**	63,323.6
3.	भवन	18,455.7	37.2	48.9	18,444.0	4,848.8	782.0	-	5,630.8	**12,813.2**	13,606.9
4.	वाहन	240.4	15.5	3.5	252.4	189.7	12.1	3.2	198.6	**53.8**	50.7
	mi tksM+ ¼[k½	89,829.5	72.4	623.5	89,278.4	5,814.1	901.8	3.2	6,712.7	**82,565.7**	84,015.4
x-	vU;&fLFkj ifjlEifRr;ka										
1	कार्यशाला उपस्कर, उपकरण मशीनरी तथा संयंत्र	3,551.5	126.1	4.6	3,673.0	1,448.1	229.0	1.4	1,675.7	**1,997.3**	2,103.4
2	स्थल सहायता तथा रैम्प उपकरण	4,552.7	209.8	9.4	4,753.1	2,025.7	325.6	(7.6)	2,358.9	**2,394.2**	2,527.0
3	फर्नीचर तथा फिक्चर	204.1	8.0	0.9	211.2	94.3	13.2	0.8	106.7	**104.5**	109.8
4	बिजली की फिटिंग तथा अधिष्ठापन	259.2	1.6	-	260.8	146.0	18.3	-	164.3	**96.5**	113.2
5	कंप्यूटर प्रणाली	1,479.4	29.9	9.0	1,500.3	890.8	143.7	5.1	1,029.4	**470.9**	588.6
6	कार्यालय मशीनें तथा उपकरण	734.9	25.8	43.0	717.7	356.8	70.8	20.8	406.8	**310.9**	378.1
	mi tksM+ ¼x½	10,781.8	401.2	66.9	11,116.1	4,961.7	800.6	20.5	5,741.8	**5,374.3**	5,820.1
	ewrZ ifjlaifÙk;ksa ds fy, dqy tksM+	**420,152.4**	**62,969.5**	**68,434.3**	**414,687.6**	**76,190.3**	**18,578.3**	**9,035.8**	**85,732.8**	**328,954.8**	343,962.1
	veqrZ ifjlaifÙk;ka %										
d-	dEI;wVj lkW¶Vos;j	2,712.6	238.1	169.9	2,780.8	776.4	439.5	51.6	1,164.3	**1,616.5**	1,936.2
	dqy ifjlaifÙk;ka	**422,865.0**	**63,207.6**	**68,604.2**	**417,468.4**	**76,966.7**	**19,017.8**	**9,087.4**	**86,897.1**	**330,571.3**	
	पिछला वर्ष	373,509.5	50,394.8	1,039.3	422,865.0	60,628.1	17,157.6	819.0	76,966.7		345,898.3
	पूंजीगत कार्य –प्रगति पर									**3,699.3**	3,770.3
	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां									**13.5**	18.7
	dqy ;ksx									**334,284.1**	349,687.3

8.1 'विमान बेड़ा एवं उपस्कर' के अंतर्गत परिवर्धन एवं कमी में, विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण की विनिमय दर में उतार–चढ़ाव (डेबिट और क्रेडिट का निवल) शामिल है : क्रमशः 17,775.0 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 9,434.8 मिलियन रुपए)

8.2 विमान बेड़े एवं रोटेबल में 39 विमान (पांच बी777–200 एल आर, बारह बी777–300 ई आर, दस ए–319 तथा बारह ए–321) (गत वर्ष : 42 विमान : आठ बी777–200 एल आर, बारह बी777–300 ई आर, दस ए–319, एवं बारह ए–321,) तथा 5 अतिरिक्त जीई इंजन (गत वर्ष : 5 अतिरिक्त जीई इंजन) सम्मिलित है तथा इन 39 विमानों और 5 अतिरिक्त इंजनों का पंजीकरण एसपीवी कंपनी के नाम जारी है जिसके लिए लाभ हकदारी एअर इंडिया लि0 की होगी।

ग्रॉस ब्लॉक 202,697.6 मिलियन रुपए (गत वर्ष 211,989.3 मिलियन रुपए), मूल्यह्रास हेतु प्रावधान 46,379.2 मिलियन रुपए (गत वर्ष 41,717.2 मिलियन रुपए), नेट ब्लॉक 156,318.4 मिलियन रुपए (गत वर्ष 170,272.1 मिलियन रुपए)।

भविष्य लीज़ रैंटल दायित्व लगभग 120257.4 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 133,575.1 मिलियन रुपए) जिसके लिए समान राशि की देयता को ''भविष्य के लीज़ दायित्व'' के वर्ष के अंत शेष में सम्मिलित किया गया है।

8.3 विमान बेड़े तथा रोटेबल के ब्लॉक में कमी में शून्य मिलियन रुपए (गत वर्ष : 23 इंजन (ए320) तथा 10 एपीयू ए320) सम्मिलित है जिनका निपटान किया जाना है तथा जिन्हें वर्ष के दौरान अधिशेष परिसम्पत्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया। ग्रॉस ब्लॉक शून्य मिलियन रुपए (गत वर्ष : 853.0 मिलियन रुपए), मूल्यह्रास के लिए प्रावधान शून्य मिलियन रुपए (गत वर्ष 746.8 मिलियन रुपए) तथा इस मद में हानि की राशि शून्य मिलियन रुपए (गत वर्ष : 105.0 मिलियन रुपए) है।

8.4 विमान बेड़े एवं रोटेबल्स के ब्लॉक में कमी में 3 बी777–200 एलआर सम्मिलित हैं जिन्हें वर्ष के दौरान बेचा गया। ग्रॉस ब्लॉक 22,638.7 मिलियन रुपए (गत वर्ष : शून्य मिलियन रुपए), मूल्यह्रास के लिए प्रावधान 6,249.8 मिलियन रुपए (गत वर्ष : शून्य मिलियन रुपए) तथा इस मद में हानि की राशि 3,872.5 मिलियन रुपए (गत वर्ष : शून्य मिलियन रुपए) है।

8.5 विमान बेड़े तथा रोटेबल्स के ब्लॉक में कमी में 7 बी787–8 विमान सम्मिलित हैं जिन्हें वर्ष के दौरान विक्रय एवं लीज़ बैक व्यवस्था के अंतर्गत स्थानान्तरित किया गया। ग्रॉस ब्लॉक 44,692.7 मिलियन रुपए (गत वर्ष : शून्य मिलियन रुपए), मूल्यह्रास के लिए प्रावधान 2,380.9 मिलियन रुपए (गत वर्ष : शून्य मिलियन रुपए) तथा इस मद में लाभ की राशि 7,797.6 मिलियन रुपए (गत वर्ष : शून्य मिलियन रुपए) है।

8.6 विमान बेड़े के ब्लॉक में से 382.3 मिलियन रुपए की राशि काटी गई है क्योंकि वीटी–ईएसएच ए320 विमान (मूल्यह्रास के आरक्षित 352.6 मिलियन रुपए) दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एअर इंडिया ने बीमा दावा प्रस्तुत किया और लेखा नीति के अनुसार राशि का लेखांकन किया गया। चूंकि विमान को एआईसीएल की ओर से गिरवी रखा गया था, अतः किसी अन्य विमान द्वारा उसके आडमान को बदला गया है।

8.7 मूल्यह्रास में पूर्वावधि के लिए 6.5 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 98.3 मिलियन रुपए का डेबिट) का डेबिट तथा पूंजी आरक्षित में 55.7 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 55.7 मिलियन रुपए का डेबिट) का डेबिट सम्मिलित है।

8.8 विमान बेड़े तथा रोटेबल्स में लीज़ विमानों के नवीनीकरण/परिवर्तन की लागत, ग्रॉस ब्लॉक 485.0 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 485.0 मिलियन रुपए) संचित मूल्यह्रास 327.3 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 261.5 मिलियन रुपए)

8.9 अभूर्त परिसंपत्तियों में यह सम्मिलित हैः 1) यात्री सेवा प्रणाली के लिए साफ्टवयेर जिसका 10 वर्षों की अवधि में मूल्यह्रास किया जाएगा। 2) अन्य जिनका 5 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रास किया जाएगा।

8.10 परिसंपत्तियों के पुनःवर्गीकरण को संबंधित परिसंपत्तियों के 'कटौतियों/समायोजनो' के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा।।

8.11 वर्कशॉप उपकरण, इन्स्ट्रुमेन्ट मशीनरी तथा संयंत्र एवं अन्य स्थाई परिसंपत्तियों सहित विशेष औजारों का कुल ब्लॉक राशि में वर्ष वार मूल्यह्रास किया जा रहा है।

8.12 बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित भूमि की कीमत 620.0 मिलियन रुपए कम की गई हैं क्योंकि एल एंड डी ओ से प्राप्त संशोधित आबंटन पत्र द्वारा प्लॉट को 4 एकड़ से घटाकर 3.54 एकड़ कर दिया गया है। (संदर्भ नोट सं. 33क)

ukV **9** % xSj pkyw fuos'k

¼#Ik, fefy;u e½

	fooj.k	31 ekpZ 2014 dk	31 मार्च, 2013 को
d-	vuq/kr bfDoVh foyss[k ¼ykxr ij½		
	सहायक कंपनियों में निवेश		
1)	100/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 4,060,000 इक्विटी शेयर भारतीय होटल निगम लि0 में	**406.0**	406.0
2)	100/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 3,000,000 इक्विटी शेयर एअर इंडिया चार्टर्स लि0 में	**300.0**	300.0
3)	10/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0 में	**0.5**	0.5
4)	10/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी शेयर एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लि0 में	**0.5**	0.5
5)	1,000/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 3,64,200 इक्विटी शेयर		
	वायुदूत लि0 में	**-**	182.1
	घटा : ह्रास के लिए प्रावधान	**-**	182.1
		-	-
6)	100/– रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,25,000 इक्विटी शेयर एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि0 में	**22.5**	22.5
	0;kikfjd fuos'k		
1)	एसआईटीए (सोसायटी इंटरनेशनल डि टेली कम्यूनिकेशन्स एरोनॉटिक्स) में 5.00 यूरो प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 271,847 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 271,938) (वर्ष के दौरान 91 शेयर रिडीम किए गए)।	**13.9**	13.9
2)	एरोनॉटिकल रेडियो ऑफ थाइलैंड लि0 के 100 भाट प्रत्येक के बी श्रेणी के पूर्ण प्रदत्त 1,896 शेयर (पिछले वर्ष : 2,216 शेयर) (वर्ष के दौरान 320 शेयर रिडीम किए गए)	**0.3**	0.4
3)	10/– मॉरीशस रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,617,098 इक्विटी शेयर एअर मॉरीशस लि0 में	**9.5**	9.5
4)	10/– मॉरीशस रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 2,301,244 शेयर एअर मॉरीशस होल्डिंग लि0 में	**16.7**	16.7
5)	इटली सरकार द्वारा गारंटी दिए गए 15.49 यूरो के अंकित मूल्य के बांकों दे रोमा के 6% डिबैंचर बाण्ड (नागर विमानन विभाग, इटली के पास जमा किए गए हैं* (3,057.69 रुपए)	*** 0.0**	* 0.0
6)	कोच्चि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट लि0 में 10/–रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 10,000,000 इक्विटी शेयर।	**100.0**	100.0
7)	एसआईटीए इन्फोरमेशन नेटवर्क कम्प्यूटिंग एन.वी के 618,460 डिपॉजिटरी प्रमाण पत्र।	**28.8**	28.8
8)	एसोसिएशन स्पोर्टिव ड्यू गोल्फ इज़ाबेला में 152.45 यूरो प्रत्येक के 50 इक्विटी शेयर।	**0.4**	0.4
9)	10 रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 40,424,975 इक्विटी शेयर एअर इंडिया – सैट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्रा. लि0 में	**436.1**	436.1
	vuq/kr fuos'kksa dk ;ksx	**1,335.2**	1,335.3
[k-	mn/kr ¼ykxr ij&0;kikj½		
	फ्रांस टेलीकॉम में 0.48 यूरो प्रत्येक के 375407 पूर्ण प्रदत्त शेयर (बाजार मूल्य 332.8 मिलियन रुपए 4.0 मिलियन यूरो के समतुल्य) (पिछले वर्ष : 205.8 मिलियन रुपए 3.0 मिलियन यूरो के समतुल्य)	**7.6**	7.6
	dqy	**1,342.8**	1,342.9

अनुद्धृत निवेश की औसत राशि	**1,335.2**	1,517.4
निवेश के मूल्य में कमी हेतु औसत प्रावधान	**-**	182.1
उद्धृत निवेश की औसत राशि (बाजार मूल्य : 332.8 मिलियन रुपए) (पिछले वर्ष : 205.8 मिलियन रुपए) (4.0 मिलियन यूरो के समतुल्य) (पिछले वर्ष : 3.0 मिलियन यूरो)	**7.6**	7.6

ukV **10** % _.k ,o vfxze

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	nh?kkof/k _.k ,o vfxze		y?k vof/k _.k ,o vfxze	
	31 ekp] 2014 rd	31 मार्च, 2013 तक	31 ekp] 2014 rd	31 मार्च, 2013 तक
iath vfxze				
अरक्षित एवं खरे माने गए	**2,399.2**	3,303.5	**-**	-
संदेहास्पद	**208.4**	232.0	**-**	-
	2,607.6	3,535.5	**-**	-
घटा : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	**208.4**	232.0	**-**	-
¼d½	**2,399.2**	3,303.5	**-**	-
ifrHkfr tek				
रक्षित व खरे माने गए	**-**	1.8	**-**	-
अरक्षित एवं खरे माने गए	**4,407.2**	1,021.4	**57.4**	377.8
संदेहास्पद	**43.5**	26.8	**-**	-
	4,450.7	1,050.0	**57.4**	377.8
घटा : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	**43.5**	26.8	**-**	-
¼[k½	**4,407.2**	1,023.2	**57.4**	377.8
lgk;d difu;k dk vfxe*				
अरक्षित एवं खरे माने गए	**27,796.7**	19,420.1	**-**	-
संदेहास्पद	**-**	768.6	**-**	-
	27,796.7	20,188.7	**-**	-
घटा : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	**-**	768.6	**-**	-
¼x½	**27,796.7**	19,420.1	**-**	-
udn ;k oLrvk d :Ik e ikI; vfxe				
अरक्षित एवं खरे माने गए	**12,462.6**	8,236.8	**2,604.7**	1,431.8
संदेहास्पद	**658.1**	716.5	**-**	-
	13,120.7	8,953.3	**2,604.7**	1,431.8
घटा : संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	**658.1**	716.5	**-**	-
¼?k½	**12,462.6**	8,236.8	**2,604.7**	1,431.8
depkfj;k dk _.k ,o vfxze				
रक्षित व खरे माने गए	**0.4**	5.2	**1.4**	-
अरक्षित एवं खरे माने गए	**33.0**	37.1	**110.7**	95.7
संदेहास्पद	**12.4**	12.3	**-**	-
	45.8	54.6	**112.1**	95.7
घटा : कर्मचारियों को संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	**12.4**	12.3	**-**	-
¼M-½	**33.4**	42.3	**112.1**	95.7
vU; _.k ,o vfxze				
आयकर तथा टीडीएस का अग्रिम भुगतान (कराधान हेतु प्रावधान का निवल)	**1,018.3**	826.8	**-**	-
पूर्वप्रदत्त व्यय	**668.5**	509.4	**1,500.1**	810.8
सांविधिक/सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	**1,991.3**	1,699.8	**-**	201.1
¼p½	**3,678.1**	3,036.0	**1,500.1**	1,011.9
dqy ¼d$[k$x$?k$M-$p½	**50,777.2**	35,061.9	**4,274.3**	2,917.2

10.1 *सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिम का विवरण निम्नानुसार है :*

¼#i, fefy;u e½

lgk;d diuh dk uke	31 ekp] 2014 rd	31 मार्च, 2013 तक
1. एअर इंडिया चार्टर्स लि0	**18,320.0**	13,491.5
2. एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसिस लि0	**1.0**	1.0
3. होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0	**943.7**	277.7
4. एएएसएल	**8,532.0**	5,649.9
5. वायुदूत लि0	**-**	768.6
dqy	**27,796.7**	20,188.7

10.2 नकद या वस्तुओं के रूप में प्राप्य अग्रिम में 11.5 मिलियन (गत वर्ष : 10.5 मिलियन) रुपए का मिलान नहीं किया गया अन्तर निगमित डेबिट शेष (निवल) सम्मिलित है जिसका मिलान किया जा रहा है तथा जिसका प्रावधान किया गया है।

ukV **11** % O;kikj ikI;

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	xSj pkyw ikI;		pkyw ikI;	
	31 ekpZ 2014 rd	31 मार्च, 2013 तक	31 ekpZ 2014 rd	31 मार्च, 2013 तक
Hkqxrku dh frfFk ls Ng ekg ls vf/kd ds fy, cdk;k				
रक्षित खरे माने गए	**-**	-	**57.1**	14.5
अरक्षित व खरे माने गए	**19.2**	54.8	**7,960.9**	7,214.8
संदेहास्पद	**4,631.0**	4,135.6	**-**	-
	4,650.2	4,190.4	**8,018.0**	7,229.3
घटा : संदेहास्पद प्राप्य हेतु प्रावधान	**4,631.0**	4,135.6	**-**	-
¼d½	**19.2**	54.8	**8,018.0**	7,229.3
vU; ikI;				
रक्षित खरे माने गए	**-**	-	**567.8**	377.3
अरक्षित व खरे माने गए	**-**	-	**12,077.0**	12,604.8
संदेहास्पद	**572.0**	258.9	**-**	-
	572.0	258.9	**12,644.8**	12,982.1
घटा : संदेहास्पद प्राप्य हेतु प्रावधान	**572.0**	258.9	**-**	-
¼[k½	**-**	-	**12,644.8**	12,982.1
dqy ¼d $ [k½	**19.2**	54.8	**20,662.8**	20,211.4

11.1 624.9 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 424.7 मिलियन रुपए) के व्यापार प्राप्य ऋण की बैंक गारंटी दी गई।

ukV **12** % vU; ifjlaifÙk;ka

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	vU; xSj pkyw ifjlaifÙk;ka		vU; pkyw ifjlaifÙk;ka	
		31 ekpZ 2014 rd	31 मार्च, 2013 तक	31 ekpZ 2014 rd	31 मार्च, 2013 तक
1.	जमा–अन्य (12 माह से अधिक की परिपक्वता)	**6.5**	6.5	**-**	-
	घटाकर : संदेहास्पद प्राप्य हेतु प्रावधान	**0.1**	0.1	**-**	-
		6.4	6.4	**-**	-
2.	उपचित ब्याज				
	i) सावधिक जमा	**-**	-	**29.1**	21.9
	ii) कर्मचारियों को ऋण	**15.7**	-	**22.0**	57.2
	iii) अन्य	**-**	-	**-**	-
		15.7	-	**51.1**	79.1
3.	अधिशेष परिसंपत्तियां	**171.0**	283.5	**227.9**	253.0
	घटा : परिसंपत्तियों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	**171.0**	283.5	**-**	-
		-	-	**227.9**	253.0
4	अन्य गैर व्यापार प्राप्य				
	अरक्षित खरे माने गए	**-**	-	**8,475.0**	8,963.1
	संदेहास्पद	**2,448.6**	1,954.7	**-**	-
		2,448.6	1,954.7	**8,475.0**	8,963.1
	घटा : संदेहास्पद प्राप्यों हेतु प्रावधान	**2,448.6**	1,954.7	**-**	-
		-	-	**8,475.0**	8,963.1
	dqy	**22.1**	6.4	**8,754.0**	9,295.2

12.1 जमा – अन्य गैर चालू (12 माह से अधिक की परिपक्वता) में चालू खाते में पड़ी 1.5 मिलियन रुपए (गत वर्ष 1.5 मिलियन रुपए) की ब्लॉक की गई राशि शामिल है।

12.2 ऐसी स्थिर परिसंपत्तियां, जिनका अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा तथा जिन्हें निपटान (डिस्पोजल) के लिए रोका गया है, उन्हें ''अधिशेष परिसंपत्तियों'' में डाल दिया गया है। अधिशेष परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य को सकल ब्लॉक के न्यूनतम 5 प्रतिशत तक माना गया है।

ukV **13** % buoSUVjh t ¼ijc/ku }kjk yh xbZ] eY;kafdr rFkk izekf.kr½

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	31 ekpZ] 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे	**33,164.3**	29,199.0
अबद्ध औज़ार	**109.5**	98.6
	33,273.8	29,297.6
घटा : अप्रचलन/इनवेन्टरी समाधान के लिए व्यवस्था	**13,312.3**	12,601.7
	19,961.5	16,695.9
मार्गस्थ सामग्री	**954.7**	876.7
dqy	**20,916.2**	17,572.6

ukV **14** % udnh vkSj cSad esa 'ks"k

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	31 ekpZ] 2014 dks	31 मार्च, 2013 को
udnh o udnh lerqY;		
1. cSad esa 'ks"k %		
क) चालू खातों में	**3,048.7**	2,102.7
ख) जमा खाते परिपक्वता (3 माह से कम)	**431.7**	414.8
2. हाथ में चैक तथा ड्राफ्ट	**90.7**	37.0
3. हाथ में रोकड़ (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)	**43.3**	31.6
¼d½	**3,614.4**	2,586.1
vU; cSad esa 'ks"k		
1. कर्मचारियों से प्रतिभूति जमा	**0.8**	1.1
2. जमा : अन्य (3 माह से अधिक किन्तु 12 माह से कम)	**986.3**	71.6
3. मार्जिन जमा राशि	**1,964.1**	2,502.5
¼[k½	**2,951.2**	**2,575.2**
dqy ¼d $ [k½	**6,565.6**	5,161.3

ukV **15** % ;krk;kr jktLo

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	2013-14	2012-13
vuqlwfpr lsok,a		
1 यात्री	**141,507.3**	124,944.4
2 अतिरिक्त सामान	**1,397.6**	794.2
3 डाक	**764.1**	686.8
4 कार्गो	**10,659.1**	8,549.0
¼d½	**154,328.1**	134,974.4
xSj vuqlwfpr lsok,a		
1 चार्टर	**11,198.5**	10,740.4
2 ब्लॉक सीट व्यवस्था	**468.0**	653.8
3 एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड से राजस्व अंश (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) (संदर्भ नोट 60छ)	**2,910.8**	2,227.0
¼[k½	**14,577.3**	13,621.2
dqy ¼d $ [k½	**168,905.4**	148,595.6

ukV **16** % gSMfyx] lfofl x rFkk iklfxd jktLo

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2013-14	2012-13
1	हैंडलिंग तथा सर्विसिंग	**5,079.4**	5,139.7
2	निर्माताओं का क्रेडिट	**2,409.0**	842.5
3	प्रासंगिक	**7,315.8**	5,700.6
	dqy	**14,804.2**	11,682.8

ukV **17** % vU; jktLo

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2013-14	2012-13
1	ब्याज आय :		
	बैंक जमा	**230.3**	183.1
	अन्य	**74.2**	118.0
2	दीर्घावधि निवेश से प्राप्त लाभांश (व्यापार)	**92.5**	52.2
3	एअर इंडिया बिल्डिंग से प्राप्तियां	**306.8**	89.4
4	स्थिर परिसम्पत्तियों के विक्रय से लाभ (निवल)	**4,036.6**	-
5	सहायक कम्पनियों द्वारा दी गई ब्याज लागत की प्रतिपूर्ति	**2,484.9**	-
	dqy	**7,225.3**	442.7

17.1 LFkkbZ ifjlEifÙk;ksa ¼fuoy½ dh fcØh ls ykHk esa fuEufyf[kr lfEefyr g®&

क) सात बी787–800 ड्रीमलाइनर विमानों वीटी–एएनडी, वीटी–एएनएच, वीटी–एएनआई, वीटी–एएनजे, वीटी–एएनएल तथा वीटी–एएनएम की बिक्री एवं लीज़ बैक से 7,797.6 मिलियन रुपए का लाभ (संदर्भ नोट : 72 बी क)

ख) लीज़ बी777 एलआर विमानों वीटी–एएलए, वीटी–एएलबी तथा वीटी–एएलसी की बिक्री से 3,872.5 मिलियन रुपए की हानि (संदर्भ नोट : 44)

ग) ए320 विमान वीटी–ईएसएच जो जयपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, के 755.3 मिलियन रुपए के बीमा दावे से 725.6 मिलियन रुपए का निवल लाभ।

ukV **18** % vU; ipkyu 0;;

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2013-14	2012-13
1	बीमा	**1,299.8**	1,174.8
2	उपभुक्त सामग्री – विमान	**3,194.7**	2,935.9
3	बाहर से कराई गई मरम्मत – विमान	**11,645.7**	5,372.2
4	मार्ग निर्देशन, अवतरण, हाउसिंग व पार्किंग	**13,916.3**	11,063.8
5	विमान किराए पर लेना	**6,980.0**	5,322.4
6	हैंडलिंग प्रभार	**8,863.5**	7,640.6
7	यात्री सुविधाएं	**6,052.5**	4,855.0
8	बुकिंग एजेंसी कमीशन (निवल)	**3,556.6**	3,847.1
9	संप्रेषण प्रभार		
	1) आरक्षण प्रणाली	**6,547.5**	5,692.5
	2) अन्य	**1,246.6**	969.1
	dqy	**63,303.2**	48,873.4

ukV **19** % deZpkjh dk ykHk O;;

¼#i, fefy;u eas½

	fooj.k	2013-14	2012-13
1	वेतन, मजदूरी और बोनस	**20,487.8**	21,150.1
2	क्रू भत्ते	**6,429.8**	5,280.4
3	भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**1,027.3**	1,087.9
4	कर्मचारी कल्याण व्यय	**1,748.6**	1,559.8
5	उपदान हेतु प्रावधान	**915.6**	2,256.6
6	छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	**632.3**	988.3
7	सेवानिवृत्ति लाभ हेतु प्रावधान	**280.5**	224.2
	dqy	**31,521.9**	32,547.3

ukV **20** % foÙkh; ykxr

¼#i, fefy;u eas½

	fooj.k	2013-14	2012-13
1	ब्याज पर :		
	क) डिबेंचर	**12,801.8**	6,075.3
	ख) विमान ऋण	**3,406.7**	3,014.9
	ग) अन्य ऋण	**19,107.4**	24,599.9
		35,315.9	33,690.1
2	अन्य उधार लागत	**2,509.8**	1,301.9
3	ईंधन कम्पनियों को विलम्बित भुगतान प्रभार	**2,373.1**	3,038.3
4	टीडीएस/सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज	**514.6**	659.3
	dqy	**40,713.4**	38,689.6

ukV **21** % ewY;gzkl rFkk ifj'kks/ku O;;

¼#i, fefy;u eas½

	fooj.k	2013-14	2012-13
1	मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	**18,572.0**	16,668.3
2	अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	**439.4**	391.1
	¼d½	**19,011.4**	17,059.4
	घटा : पूंजी आरक्षित से क्षतिपूर्ति (संदर्भ नोट 3.1)	**55.7**	55.7
	¼[k½	**55.7**	55.7
	dqy ¼d & [k½	**18,955.7**	17,003.7

ukV **22** % vU; 0;;

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2013-14	2012-13
1	यात्रा व्यय		
	i) क्रू	**1,806.2**	1,751.0
	ii) अन्य	**765.5**	602.7
2	किराया	**1,160.2**	1,564.5
3	दरें तथा कर	**485.3**	460.6
4	निम्नलिखित की मरम्मतः		
	i) भवन	**132.3**	114.5
	ii) अन्य	**1,477.0**	1,585.2
5	परिवहन का किराया	**698.4**	680.9
6	विद्युत एवं तापन प्रभार	**900.9**	941.6
7	जल प्रभार	**36.1**	68.5
8	निदेशकों का शुल्क	**0.5**	-
9	प्रचार तथा विक्रय संवर्धन	**429.9**	593.1
10	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**102.8**	101.6
11	विधिक व्यय	**185.1**	118.8
12	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तथा व्यय	**11.8**	7.9
13	अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	**1,508.7**	382.9
14	अप्रचलन के लिए प्रावधान (शुद्ध)	**393.2**	585.9
15	इनवेंटरी मरम्मत समाधान के लिए प्रावधान	**1,423.3**	840.2
16	ब्लॉक सीट व्यवस्था पर व्यय	**384.7**	448.1
17	मुद्रा विनिमय अंतर (निवल)	**2,030.3**	2,393.2
18	अनुपयोगी स्थिर परिसंपत्तियों के विक्रय से हानि (निवल)	**-**	188.8
19	विविध व्यय	**2,401.5**	2,041.4
	d|y	**16,333.7**	15,471.4

ukV **23** % iokof/k lek;kstu ¼fuoy½

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2013-14	2012-13
	jktLo 'kh"k		
1)	यात्री राजस्व	**156.9**	(148.1)
2)	कार्गो राजस्व	**2.3**	3.4
3)	डाक	**1.5**	3.6
4)	हैंडलिंग, सर्विसिंग तथा प्रासंगिक राजस्व	**151.4**	188.0
5)	एआईसीएल से राजस्व शेयर	**(8.2)**	-
6)	अन्य	**87.7**	(5.8)
	¼d½	**391.6**	41.1
	0;; 'kh"k		
1)	हैंडलिंग प्रभार	**(11.8)**	137.6
2)	मूल्यह्रास	**6.5**	98.3
3)	भंडार एवं उपकरण	**38.6**	22.4
4)	यात्री सुविधाएं	**(64.6)**	151.6
5)	प्रचार	**2.9**	6.5
6)	बीमा	**(28.5)**	(3.9)
7)	वेतन/कर्मचारी कल्याण व्यय	**3.9**	44.2
8)	लैंडिंग, पार्किंग तथा नेवीगेशन	**55.3**	14.8
9)	कमीशन	**13.0**	13.6
10)	संचार प्रभार – अन्य	**0.1**	6.7
11)	किराया, दरें तथा कर	**80.3**	115.2
12)	विनिमय परिवर्तन	**(1,055.0)**	(14.3)
13)	विधि प्रभार	**-**	0.7
14)	विमान प्रभार	**2.2**	2.8
15)	ब्याज	**335.8**	6.2
16)	अन्य (निवल)	**(20.2)**	263.2
	¼[k½	**(641.5)**	865.6
	dqy ¼[k & d½	**(1,033.1)**	824.5

ukV **24** % vlk/kkj.k en

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2013-14	2012-13
1	माइग्रेशन अधिशेष/रिटन बैक इनवेंटरी	**1,180.5**	14,667.2
	घटा : इनवेंटरी समाधान के लिए प्रावधान	**-**	5,974.4
		1,180.5	8,692.8
2	प्रावधान अब अपेक्षित नहीं	**3,156.6**	2,506.2
	dqy	**4,337.1**	11,199.0

ukV **25** % vlk/kkj.k en ¼fuoy½

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2013-14	2012-13
1	वेंडरों से लिक्वीडेटिड डेमेज/क्षतिपूर्ति	**1,398.0**	2,801.0
2	एसएफआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट पात्रता	**4,735.9**	7,416.8
	dqy	**6,133.9**	10,217.8

26- आकस्मिक देयताएं जिनकी व्यवस्था नहीं की गई :

क) कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (जहां लागू हो वहां ब्याज और पेनल्टी को छोड़कर) तथा जिस पर मात्रात्मक रूप में एवं अभिनिश्चत किए जाने की सीमा तक दावा किया जा रहा है :

¼#i, fefy;u esa½

fooj.k	2013&14	2012–13
विमान में बोर्डिंग से मना करने, यात्री के सामान के खो जाने, सामान की हैंडलिंग सही न होने, विलंबित उड़ान, उड़ानों के रद्द हो जाने, क्षतिग्रस्त परेशित माल तथा कार्गो के देर से प्राप्त होने आदि के कारण दावे।	621-9	690.4
कंपनी द्वारा प्राप्त आयकर मांग नोटिस जिनकी अपील की गई है।	885-8	424.3
कर प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया सीमा शुल्क तथा सेवा कर।	4554-8	4313.0
नगर–निगम प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया संपत्ति कर/गृह कर।	147-9	160.3
लाइसेंस शुल्क, एक्स–रे, टीएनएलसी, लैंडिंग प्रभार, पार्किंग प्रभार, अन्य कर आदि के दावे।	4458-3	2745.6
कर्मचारी/सिविल, मध्यस्थता/कोर्ट में लंबित श्रमिक मामले/लंबित कोर्ट मामलों के संबंध में दावे	1061-7	1102.4
जस्टिस धर्माधिकारी कमेटी रिपोर्ट के अनुसरण में वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के कारण कर्मचारियों के अनुमानित दावे	6738-6	2361.4
सरकारी गारंटी फीस	&	&
(i) 0.5–1.5% और 0.2% के बीच अंतर	2524-9	0.0
(ii) अतिरिक्त गारंटी फीस	3819-4	2122.2
dqy	24813-3	13919.6

ख) बैंकों द्वारा दी गई गारंटी तथा कंपनी द्वारा दी गई काउंटर गारन्टी का बकाया 21.3 मिलियन रुपए (गत वर्ष 22.1 मिलियन रुपए)।

ग) बैंक द्वारा कुल 4881.9 मिलियन रुपए के क्रेडिट पत्र जारी किए गए (पिछले वर्ष 5967.9 मिलियन रुपए)।

घ) अपनी पूर्ण स्वामित्त्व वाली सहायक कंपनियों की ओर से कंपनी द्वारा प्रदान की गई निगमित गारंटी तथा सहायता पत्र।

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	2013&14	2012–13
i)	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि.	13-9	156.7
ii)	एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	58-2	826.2

27- पूंजीगत लेखों (अग्रिम की निवल राशि) पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि के संबंध में पूंजीगत प्रतिबद्धताएं–137935.3 मिलियन रुपए (गत वर्ष 164936.8 मिलियन रुपए) जिसका विवरण नीचे दिया गया है। 'अन्य प्रतिबद्धताओं' के संबंध में राशि निश्चित नहीं है।

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	2013&14	2012–13
¼d½	iwathxr ifrc)rk,¡		
i)	विमान परियोजना के लिए	136158-8	164368.1
ii)	अन्य	1776-5	568.7
	dqy	137935-3	164936.8
¼[k½	vU; ifrc)rk,¡	fuf'pr ugha	निश्चित नहीं

28- कंपनी ने 1 जनवरी, 2013 से सैप–ईआरपी प्रणाली कार्यान्वित की है। सैप प्रणाली का विस्तार सहायक कंपनियों में भी किया जा रहा है तथा प्रबंधन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सैप की परियोजना लागत तथा अनुरक्षण प्रभारों को अन्य सहायक कंपनियों में इस योजना के सभी सहायक कंपनियों में पूर्ण हो जाने तक नही बांटा जाएगा। इसी प्रकार सैप परियोजना की लागत के रूप में 1367.01 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 1180.0 मिलियन रुपए) की राशि तुलन पत्र की तिथि तक पंजीकृत कर ली गई है और अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार घटाई/परिशोधित की जा रही है। इस प्रक्रिया का माइग्रेशन ऑडिट

यद्यपि पूरा कर लिया गया है तथापि कुछ मामलों में टिप्पणियों पर कार्रवाई की जा रही है और यदि जरूरत हुई तो उचित समय पर आवश्यक लेखांकन कार्रवाई की जाएगी।

29- मध्यवर्ती/ट्रांजिटरी लेखों, प्राप्य/देय लेखों, राजस्व/इनवेंटरी/अन्य लेखांकन मॉड्यूलों, बैंक शेषों तथा अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं/आय एवं व्यय इत्यादि सहित सहायक लेखों का समाधान/पुष्टिकरण प्रगति पर है और विभिन्न स्तरों पर लंबित है। लाइन मदों के स्थान पर सैप में ब्लॉक स्तर पर स्थानांतरित मदों तथा लेखों, जिनका मिलान नहीं हुआ है, की पहचान की प्रक्रिया भी जारी है। वित्तीय विवरणी में पुनः समाधान के कारण परिणामी समायोजन, यदि कोई है, के प्रभाव का निपटारा समायोजन के वर्ष में किया जाएगा।

30- कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 117 सी के अधीन अपेक्षित डिबेंचर रीडैंपशन रिजर्व को सृजित नहीं किया गया क्योंकि कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ।

31- कंपनी ने सभी सरकारी गारंटी प्राप्त ऋणों पर गारंटी फीस को माफ किए जाने का मुद्दा नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है। कंपनी ने अनुरोध किया है कि वर्ष 2011–12 से 2016–17 तक के लिए, जब टीएपी योजना के अनुसार एअर इंडिया कैश पॉजीटिव बन जाएगी, सभी सरकारी गारंटियों पर गारन्टी फीस को घटाकर 0.5–1.5% से 0.2% कर दिया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से गारंटी फीस में कमी के लंबित अनुमोदन के दृष्टिगत, कंपनी ने 1062.9 मिलियन रुपए की राशि पर 0.20% की दर पर देयता को धारण करते हुए वर्ष 2011–12 से 2012–13 में किए गए प्रावधान को पुनरांकित करने का निर्णय लिया है। वर्ष के दौरान भी, गारंटी फीस में कमी करने के कंपनी के अनुरोध के आधार पर गारंटी फीस 1800.7 मिलियन रुपए की तुलना में 0.20% की दर पर 536.49 मिलियन रुपए प्रदान की गई है। गारंटी फीस के अंतर (अर्थात् 0.5–1.5% और 0.2% के बीच का अंतर) 2524.9 मिलियन रुपए और गारंटी फीस की शर्त के अनुसार देय अतिरिक्त देयता की 3819.4 मिलियन रुपए की राशि आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाई गई है।

LFkk;h ifjlaifÙk;k

32- समामेलन की योजना के अनुसार भूमि तथा बिल्डिंग सहित अचल संपत्ति को दिनांक 01 अप्रैल, 2007 को बाहरी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा निर्धारित उनके उचित मूल्य पर रिकार्ड किया गया। दिनांक 01 अप्रैल, 2007 को पूरी तरह से मूल्यह्रास हो गई बिल्डिंगों के मामले में, जिनका मूल्यांकक द्वारा पुनःमूल्यांकन किया गया था, मूल्यांकक की सलाह पर पुनःमूल्यांकित राशि को उनके उपयोग की सीमा के आधार पर परिशोधन/मूल्यह्रासित किया गया।

33- भूमि (पूर्ण स्वामित्व वाली/लीज़होल्ड) तथा भवन में 76856.8 मिलियन (पिछले वर्ष 77469.8 मिलियन रुपए) (पहचान किए जाने की सीमा तक) रुपए का ग्रॉस ब्लाक सम्मिलित है जिसके लिए पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी अभी शेष हैं तथा जहां मूल हक विलेख (राशि निश्चित नहीं) कंपनी के कब्जे में नहीं है। कंपनी ने ऐसी गैर पंजीकृत संपत्तियों के संबंध में पंजीकरण और कंपनी के संपत्ति अधिकारों की बहाली के उद्देश्य से ग्लोबल रीयल एस्टेट कंसलटेंट को अपने संपत्ति परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैः

क) बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली पर 3.54 एकड़ की 4770.7 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 5390.6 मिलियन रुपए) की लीज़ होल्ड भूमि, का बाहरी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा वर्ष 2007 में मूल्यांकन किया गया था इस संपत्ति की पंजीकरण औपचारिकताएं लंबित हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने अपने दिनांक 7 जून, 2013 के पत्र संख्या एल एंड डीओ/एल–11ए/429/2013/63 के माध्यम से एक संशोधित पत्र जारी किया है जिसके अंतर्गत 1983 के आवंटन पत्र की समान निबंधन और शर्तों पर 4 एकड़ की जगह 3.54 एकड़ क्षेत्र के लिए संशोधित आबंटन पत्र जारी किया गया है जिसे कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा दिनांक 26.06.2013 को भूमि का कब्जा लिया गया। तदनुसार, इस प्लॉट का भूमि मूल्य 619.9 मिलियन रुपए कम कर दिया गया और पुनर्मूल्यांकन के समय सृजित किए गए पूंजी/पुर्नमूल्यांकन रिज़र्व की अनुपस्थिति में इसे लाभ एवं हानि खाते में घटा दिया गया है। कंपनी द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि भावी भुगतानों/देयताओं के एवज में समायोजित कर दी जाएगी।

ख) लीजहोल्ड परिसंपत्तियों, जिनकी पंजीकरण औपचारिकताएं लंबित हैं, में हाउसिंग कालोनी, वसंत विहार, नई दिल्ली में स्थित संपत्ति सम्मिलित है जिसका मूल्य बाहरी पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा वर्ष 2007 में 51295.1 मिलियन रुपए आंका गया। आबंटन पत्र में उल्लेखित कुछ शर्तों के पूरा नहीं हो पाने के कारण दिनांक 10.11.1983 के एल एंड डीओ पत्र संख्या एल–।।–1(140)67 के तहत आबंटन रद्द कर दिया गया तथा लीज डीड कार्यान्वित नहीं की जा सकी। उक्त भूमि पर 146.0 मिलियन रुपए के भवन को भी बहियों में दर्शाया गया है जिस पर कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार मूल्यह्रास लगाया जा रहा है। कानूनी राय के अनुसार प्राप्त मूल्यांकन, संपत्ति अधिकारों के नियमितीकरण के अधीन है। एल एंड डीओ कार्यालय की मांग के अनुसार, आवासीय कालोनी के लिए सभी संस्वीकृत योजनाओं और मास्टर लेआउट योजना की प्रमाणित प्रतियां जमा करा दी गई हैं, एल एंड डीओ द्वारा निरीक्षण पूरा कर लिया गया है और मामला उनके विचाराधीन है। इस मुद्दे पर निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है तथा कंपनी को संपत्ति अधिकारों के

नियमितिकरण किए जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, कैप्शन लीज़ के मूल्य में 50% अनर्जित वृद्धि की सहभागिता के मुद्दे के संबंध में, एल एंड डी ओ द्वारा जारी दिनांक 18.12.1967 के आबंटन पत्र में ऐसे किसी खण्ड के न होने पर कंपनी द्वारा अनर्जित वृद्धि के कारण कोई राशि देय नहीं पाई गई है। जैसा कि संपत्ति के लिए कंपनी नगर पालिका कर का भुगतान कर रही है और कर्मचारी आवास कालोनी कपंनी के अधिकार में है तथा आज की तिथि तक कोई बेदखली नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए प्रबंध वर्ग के मतानुसार कंपनी के पास उपरोक्त संपत्ति का लीज़ अधिकार बना हुआ है और वह इसके नियमितिकरण की एकमात्र अधिकारी है, जोकि लंबित है। लीज अधिकार की पुनर्बहाली की देयता, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं की जा सकती और इसलिए नियमितिकरण के समय उसका लेखांकन किया जाएगा और इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

ग) जिन मामलों में कंपनी के कब्जे में मूल हक विलेख नहीं है, उस संबंध में संपत्तियों की डुप्लीकेट प्रतियां तथा अन्य संगत रिकार्डों को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

घ) कंपनी को स्टाफ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए नेरूल, नवी मुंबई में 100,021.60 वर्ग मीटर भूमि आबंटित की गई थी। 28626 वर्ग मीटर क्षेत्र में 508 फ्लैटों का निर्माण किया गया तथा इन फ्लैटों को कंपनी के कर्मचारियों को बेचने का निर्णय लिया गया। मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय (न्यायालय) के आदेशों के अनुसार कंपनी द्वारा निर्मित 508 फ्लैटों में से 332 फ्लैटों के आबंटन पत्र जारी कर दिए गए। आबंटित फ्लैटों के संबंध में न्यायालय के आदेश के अनुसार सीआईडीसीओ को देय अतिरिक्त प्रीमियम की पूरी राशि का भुगतान कर्मचारियों से लेकर कर दिया गया था। सीआईडीसीओ से अनापत्ति पत्र सीआईडीसी ओ से एनओसी प्राप्त होने के बाद कंपनी 280 फ्लैटों का वास्तविक कब्जा प्रदान कर चुकी है। इस संबंध में ली गई कानूनी सलाह के अनुसार, कंपनी आबंटन पत्र, कब्जा पत्र और उसके पश्चात् हस्तांतरण विलेख के कार्यान्वयन और पंजीकरण के माध्यम से अधिकार, हित सृजित कर चुकी है और सदस्यों को उनके फ्लैट का वास्तविक कब्जा प्रदान कर चुकी है। तथापि संबंधित भूमि के टाइटल स्वामित्व को सोसाइटी, एअर इंडिया और सीआईडीसीओ के बीच त्रिपक्षीय हस्तांतरण विलेख के द्वारा ही हस्तांतरित किया जा सकता है जोकि अब तक नहीं हुआ है। प्रबंधवर्ग के मत के अनुसार पंजीकृत सोसाइटियों के पक्ष में भूमि की हकदारी का हस्तांतरण लंबित होने के कारण एअर इंडिया के पक्ष में संबंधित भूमि का टाइटल जारी रहेगा। भूमि के सीमांकन के लंबित होने और पहले ही बेचे जा चुके फ्लैटों के संबंध में लागत/मूल्यह्रास को अलग कर दिए जाने के कारण नेरूल में सम्पत्ति की लागत 5763.9 मिलियन रुपए (सकल ब्लॉक), जिसमें भूमि की लागत और निर्माण की लागत सम्मिलित है, अचल परिसम्पत्ति में ली जा रही है और 564.7 मिलियन रुपए का संचित मूल्यह्रास निर्धारित लेखांकन नीति के अनुसार प्रभारित किया गया है। बेचे गए फ्लैटों के संबंध में संबंधित सदस्यों से प्राप्त 407.7 मिलियन रुपए की विक्रय प्राप्तियों को लागत में दर्ज नहीं किया गया है और उसे ''अन्य गैर–चालू देयताओं'' के रूप में वहन किया जा रहा है। बेचे गए फ्लेटों के हस्तांतरण के कारण कोई कर देयता होती है तो इस स्तर पर उसे निश्चित नहीं किया जा सका है। इन औपचारिकताओं के पूरा होने पर बही खातों में आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियां कर दी जाएंगी। विक्रय नहीं हुए फ्लैटों के लिए सीआईडीसीओ को देय अतिरिक्त प्रीमियम का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इन फ्लैटों के आबंटनकर्त्ताओं का अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। अधिशेष भूमि के गैर–विकास के विषय में सीआईडीसीओ को देय 270.7 मिलियन रुपए (गत वर्ष 251.0 मिलियन रुपए) के अतिरिक्त लीज़ प्रीमियम को भूमि लागत के अंतर्गत पूंजीबद्ध कर लिया गया है।

34- ukxiqj esa ,evkjvks

एअर इंडिया ने महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (एमएडीसी) से नागपुर एयरपोर्ट के पास स्थित मिहान सेज़ में 50 एकड़ भूमि अर्जित की है। विमान/ईंजन खरीद करार की शर्तों के अनुसार, निर्माता उस साइट पर एयरफ्रेम ईंजन एमआरओ का निर्माण कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एयरफ्रेम एमआरओ सुविधा के दिसम्बर 2014 तक पूरा होने की उम्मीद है और उसे एअर इंडिया को सौंप दिया जाएगा। इस एयरफ्रेम एमआरओ सुविधा की लागत इसके पूरा होने पर पूंजीबद्ध की जाएगी।

35- नेरूल में भूमि के क्रय के लिए पूंजीगत अग्रिम में 24.6 मिलियन रुपए की राशि का अग्रिम सम्मिलित है। सीआईडीसीओ द्वारा आबंटित भूमि का कब्जा कंपनी को सौंपा नहीं गया है तथा कोई अनुबंध लीज डीड अभी तक नहीं की गई है। रिकार्डों में दी गई सूचना के अनुसार कथित प्लाट में अतिक्रमण किया गया है तथा वहां ईंटों का भट्टा है तथा 1985 से इस संबंध में कोई भी कार्य नहीं किया गया है। अतः 24.6 मिलियन रुपए के पूंजी अग्रिम का कोई भी प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि कंपनी को अतिरिक्त लागत के बिना इसके नियमितीकरण होने की आशा है। तद्नुसार बहियों में इस राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

36- स्थिर परिपसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन पर निर्धारित नीति के अनुसार प्रत्येक परिसपंत्ति/इनवेंटरी का दो वर्षों में एक बार सत्यापन पूरा करना होता है। प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा 2012–14 की द्विवार्षिक अवधि के लिए किया जाना है। तथापि व्यावहारिक रूप से आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा 100 प्रतिशत सत्यापन पूरा करना संभव नहीं होता

है। स्थिर परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य क्षेत्रीय मुख्यालय तथा स्टेशनों पर निरीक्षण के समय द्विवार्षिक अवधि के दौरान किया जाता है। अन्य मामलों में विभिन्न प्रयोगकर्त्ता विभागों द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष सत्यापन के प्रमाण पत्रों पर निर्भर रहते हैं। एयरफ्रेम तथा एयरो इंजनों को इंजीनियरी विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के अनुसार वर्ष में लिया जाता है तथा कोई भी प्रत्यक्ष सत्यापन आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। 2010–12 की द्विवार्षिक अवधि की रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गई हैं किन्तु कुछ मामलों में लेखांकन कार्य लंबित हैं। चूंकि प्रत्येक परिसंपत्ति का द्विवार्षिक अवधि के दौरान प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा है, अतः प्रबंधन निर्धारित नीति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए कदम उठा रही है। इस संबंध में आवश्यक लेखांकन समायोजन यथासमय कर लिया जाएगा।

37- दिनांक 01 जनवरी, 2013 से विभिन्न स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में मात्रा/स्थान/क्रय की तिथि संबंधी उपलब्ध मदवार विवरण सैप को हस्तांतरित कर दिया गया है। अन्य मामलों में मदों का वर्षवार ब्लॉक एक मद के रूप में सैप को हस्तांतरित कर दिया गया है। ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें स्थिर परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत वर्गीकरण की एकरूपता पर कार्य चल रहा है। कपंनी लाइनवार परिसंपत्ति विवरण के लिए वित्त परिसंपत्ति मूल्य रजिस्टर का मिलान भंडार/सामग्री प्रबंधन डिवीजन (एमएमडी) में रखे जा रहे रजिस्टरों से करने की प्रक्रिया में है। वित्त प्रभाग में रखे जा रहे परिसंपत्तियों के रिकार्ड के साथ एमएमडी में रखे परिसंपत्ति रजिस्टर तथा प्रोपर्टी मूवमेंट कंट्रोल रजिस्टर (पीएमसीआर) का समाधान किया जा रहा है। परिसंपत्तियों का स्थान तथा प्रकार सहित ब्यौरा संक्षिप्त तैयार किया जा रहा है।

38- jkVcy

सैप में स्थानांतरित रोटेबल का मदवार मूल्य कुछ स्थानों पर समेकित ब्लॉक आधार पर उपलब्ध है। रेमको/सैप पर स्थानांतरण के बाद रोटेबलों का मदवार विवरण रेमको से सृजित डाटा के अनुसार तैयार किया जा रहा है। रेमको सॉफ्टवेयर से सृजित रोटेबलों के मदवार विवरण की तुलना वित्तीय रिकार्डों से की जा रही है। रेमको सृजित डाटा के साथ स्थिर परिसम्पत्ति रजिस्टर के अनुसार डाटा का आवश्यक समाधान यथासमय किया जाएगा तथा उसके बाद इस संबंध में आवश्यक लेखा समायोजन किया जाएगा।

39- eY;gzkl

क) 01 अप्रैल, 2007 से प्रभावी दिनांक 25.05.2011 के पत्र संख्या 45/4/2008–सीएल–111 के तहत निगमित कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार अत्याधुनिक तथा उन्नत तकनीक वाले एयरबस 319, 320, 321 तथा बी–777 तथा बी787 विमानों के नए बेड़े के उपयोग काल को 20 वर्ष तक मानते हुए मूल्यह्रास को कम दर पर प्रभारित किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दर से कम है।

ख) सामान्य कार्यप्रक्रिया के अनुसार कुछ बिजनेस क्षेत्रों में विशिष्ट उपकरणों सहित अन्य स्थिर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को वर्षवार सकल ब्लाक के आधार पर परिसंपत्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रभारित किया जा रहा है। ऐसी प्रत्येक परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास के उपरोक्त प्रभाव को पुनः समाधान के पश्चात निश्चित किया जाएगा। कुछ अन्य बिजनेस क्षेत्रों में विशिष्ट उपकरणों को इनवेंटरी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त का प्रभाव निश्चित नहीं किया गया है।

40- वर्ष के दौरान 1650.0 मिलियन रुपए की ऋण लागत (पिछले वर्ष 1340.0 मिलियन रुपए) पूंजीबद्ध की गई जिसमें से 1243.1 मिलियन रुपए वर्ष के दौरान प्राप्त 7 बी787–8 विमान से संबंधित हैं, 406.9 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः407.1 मिलियन रुपए) चल रहे पूंजीगत कार्यों से संबंधित हैं साथ ही कुल 1650.0 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 1340.0 मिलियन रुपए) की कुल ऋण लागत में से 263.2 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 487.0 मिलियन रुपए) की राशि कार्यशील पूंजी ऋण तथा 1386.8 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 853.0 मिलियन रुपए) की राशि पीडीपी एवं ब्रिज ऋणों पर ब्याज एवं अन्य प्रभारों से संबंधित है।

41- लगातार अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार अधिशेष परिसंपत्तियां जिनका सक्रिय प्रयोग नहीं किया जा रहा, की पहचान बट्टा खाता रिपोर्टों से की जा रही है जिसका वर्ष के दौरान पूरी की जा चुकी स्क्रैप बोर्ड रिपोर्टों से समाधान किया जाना है । ऐसी परिसंपत्तियां जिसका सक्रिय उपयोग नहीं किया जा रहा तथा जो निपटान हेतु रखी हैं, की भी पहचान की जा रही है। इस संबंध में, लेखा समायोजन अपेक्षित होने पर आवश्यक पुष्टिकरण/समाधान के पश्चात किया जाएगा।

42- कंपनी द्वारा विमान बेड़े की क्षति का निर्धारण आंतरिक स्तर पर किया गया है। प्रबंधन की राय में कोई प्रत्यक्ष क्षति नहीं हुई है तथा इस परिसंपत्तियों के खाता मूल्य पर कोई समायोजन करना आवश्यक नहीं है। विमान बेड़े सहित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में एएस–28 के अंतर्गत अपेक्षित क्षति निर्धारण अभी किया जाना बाकी है। कंपनी ने विमान बेड़े की हानि के निर्धारण को लंबित करते हुए उसके द्वारा अनुपालन की जा रही लेखाकरण नीति के अनुसार एएस–11 के अनुरूप 43997.1 मिलियन रुपयों (पिछले वर्षः 39968.4 मिलियन रुपए) की विनिमय अंतर राशि को अभी भी पूंजीबद्ध किया जाना जारी रखा है। इन परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण में आवश्यक समायोजन, यदि कोई है, तो उसे यथासमय पूरा कर लिया जाएगा।

43- ,l ,Qvkbl ,l fLØIl

(i) विदेश व्यापार नीति 2009–2014 (एफटीपी) के संदर्भ में, सर्वड् फ्राम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) के अंतर्गत कंपनी को ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की हकदारी है जो वित्त वर्ष के दौरान अर्जित 10 प्रतिशत विदेशी मुद्रा के समकक्ष है। 2009–2014 एफटीपी के अंतर्गत एसएफआईएस योजना 01 अप्रैल, 2009 से 31 दिसम्बर, 2010 तक वैध थी।

वर्ष के दौरान कंपनी को वित्त वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के संबंध में 7416.8 मिलियन रुपयों की राशि की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क) दिनांक 10.12.2012 को (9.6.2014 को समाप्ति की तिथि) 4241.0 मिलियन रुपयों के मूल्य की 11 स्क्रिप।

ख) दिनांक 28.03.2013 को (27.09.2014 को समाप्ति की तिथि) 3175.8 मिलियन रुपयों के मूल्य की 3 स्क्रिप।

योजना के अनुसार कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2014 तक 482.6 मिलियन रुपए की राशि का इस्तेमाल कर लिया है। 31 मार्च, 2014 को गैर इस्तेमाल की हुई राशि 6934.2 मिलियन रुपए है और दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को 6736.4 मिलियन रुपए है। इन स्क्रिप्स की अवधि समाप्त हो चुकी है। तथापि गैर इस्तेमाल किए हुए शेष की पुष्टि की जानी है और उसके बाद इसका समाधान, यदि कोई हो, किया जाना है।

कंपनी ने विदेश व्यापार के महानिदेशक (डीजीएफटी) से उन स्क्रिप्स की वैधता तिथि को बढ़ाने का अनुरोध किया है जो जून 2014 और सितम्बर, 2014 में समाप्त हो चुकी हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने एसएफआईएस स्क्रिप्स की वैधता को बढ़ाने के लिए एक मसौदा केबिनेट नोट तैयार किया है और केबिनेट में रखने के लिए अपनी संस्तुति के साथ डीजीएफटी को अग्रेषित कर दिया है। कंपनी को विश्वास है कि स्क्रिप्स की वैधता बढ़ा दी जाएगी और कम से कम दो वर्ष के विस्तार की मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। ऐसे पुनः वैधीकरण के लंबित होने के कारण 6934.2 मिलियन रुपए की ड्यूटी क्रैडिट हकदारी के बकाया को ''नगद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम'' के अंतर्गत वहन किया जा रहा है और उसके एवज में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ii) कंपनी ने प्रारंभिक वर्षों में वर्ष 2007–08 के लिए एसएफआईएस स्क्रिप्स के लिए अपना दावा फाइल किया, जिसे उस समय विदेश व्यापार नीति में बदलाव के कारण मंजूर नहीं किया गया था। इसीलिए कंपनी ने अपने दिनांक 04.10.2012 के पत्र के द्वारा डीजीएफटी से इसके पुनः लागू करने की मांग की। वर्ष 2007–08 के लिए उक्त दावे को डीजीएफटी आंचलिक कार्यालय दिल्ली द्वारा नवम्बर 2014 में डीजीएफटी, मुख्यालय को योग्यता के आधार पर डीजीएफटी आंचलिक कार्यालय द्वारा अगली कार्यवाही/अनुमोदन हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। यद्यपि डीजीएफटी के कार्यालय से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और कंपनी के दावे को स्वीकार करने का पुष्टिकरण लंबित है, अतः इस संबंध में अभी स्क्रिप्स जारी की जानी शेष हैं। कंपनी के दावे के लंबित अनुमोदन के कारण, 4735.9 मिलियन रुपए की राशि (5261.0 मिलियन रुपए घटा दावे को फाइल करने के कारण 10% की कमी) की राशि वर्ष के दौरान ''असाधारण मद'' के रूप में लेखांकित कर दी गई है।

44- ch&777&200 ,yvkj dh fcØh

क) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने विमान बेड़े को युक्तिसंगत बनाने और अपनी प्रचालनात्मक हानियों को कम करने के लिए 336.5 मिलियन अमरीकी डॉलर के मूल्य पर 5 बी777–200 एलआर विमानों की बिक्री हेतु एक एयरलाइन के साथ विक्रय करार किया है। इन 5 विमानों में से, वर्ष के दौरान 3 विमानों के हक विलेख का हस्तांतरण और डिलीवरी का कार्य पूरा कर लिया गया और इन तीन विमानों के खाता मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर के कारण 3872.5 मिलियन रुपए की निवल खाता हानि का लेखांकन कर दिया गया है। शेष 2 विमानों को विक्रय करार में हुई सहमति के अनुसार डिलीवरी की शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक एयरफ्रेम/इंजनों की व्यापक जांच, के कारण जनवरी 2014 में ग्राउंड कर दिया गया था। ये विमान यद्यपि सक्रिय इस्तेमाल से हटा दिए गए हैं और विक्रय करार के अनुसार निपटान के लिए रखे गए है तथापि कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति के अनुसार इन्हें अधिशेष परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है (संदर्भ नोट सं 12.2) और इन्हें ''स्थिर परिसम्पत्ति'' (सकल ब्लॉक 14960.7 मिलियन रुपए, डब्ल्यू डीवी10975.4 मिलियन रुपए) के अंतर्गत लिया गया है तथा मूल्यह्रास लागू लेखांकन नीति के अनुसार वसूल किया जा रहा है क्योंकि इन 2 विमानों का हक हस्तांतरण और डिलीवरी अप्रैल/मई 2014 में हो चुकी है। इन विमानों की बिक्री पर हानि की 2779.5 मिलियन रुपए की राशि हक हस्तांतरण और डिलीवरी के वर्ष में लेखाबद्ध की जाएगी।

ख) कंपनी ने तुलन पत्र की तिथि के बाद, तीन बी–777–200 एलआर विमानों को बेचने/लीज पर देने का निर्णय लिया है जिनका खाते में मूल्य 24734.2 मिलियन रुपए (सकल ब्लॉक) और 5000.5 मिलियन रुपए (संचित मूल्यह्रास) है। तीन विमानों में एक विमान हज यात्रियों की उड़ान और गल्फ/मिडिल ईस्ट रूटों पर इस्तेमाल किया गया था और अन्य दो विमान व्यापक अनुरक्षण जांच के चलते वर्तमान में ग्राउंड किए गए हैं। तथापि चूंकि इन विमानों को अंततः बेचने या लीज़ पर देने का निर्णय लिया जाना अभी शेष है, इसलिए ये विमान परिसम्पत्तियों के सकल ब्लॉक के अंतर्गत वहन किए जा रहे हैं और किसी अन्य हानि निर्धारण को आवश्यक नहीं समझा गया है।

45- ckbx {kfr ifr@ØfMV

d½ foyc fuiVku djkj

एअर इंडिया ने 787 विमान की डिलीवरी में हुए विलंब के लिए पूर्ण और अंतिम निपटान हेतु बोइंग के साथ दिनांक 05 सितम्बर, 2012 को विलंब निपटान करार पर हस्ताक्षर किए। विलंब निपटान समझौते के अनुसार दिसम्बर, 2005 में बोइंग के साथ किए गए मूल क्रय करार के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान के अतिरिक्त बोइंग बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के लिए सहमत हो गया है जोकि विमान की डिलीवरी होने पर ही एयरलाइन को प्राप्त होगा और यदि एअर इंडिया द्वारा कोई भी डिलीवरी रद्द कर दी जाती है तो बोइंग एअर इंडिया को केवल मूल क्रय करार के अनुसार परिनिर्धारित नुकसान का ही भुगतान करेगा, बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति का नहीं। चालू वर्ष के दौरान एअर इंडिया 7 (सात) बी 787 विमानों की डिलीवरी प्राप्त कर चुकी है। बोइंग द्वारा 7 (सात) विमानों के लिए डिलीवरी पर क्रेडिट नोट के माध्यम से बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के रूप में 891.0 मिलियन रुपए (15.0 मिलियन अमरीकी डॉलर) {पिछले वर्ष 2008.9 मिलियन रुपए (36.526 मिलियन अमरीकी डालर)} की राशि असाधारण आय के रूप में दर्शाई गई है।

[k½ ch787 foeku d xkmM gku d dkj.k {kfr ifr

6 बी787 की डिलीवरी कंपनी को सितम्बर से दिसम्बर 2012 के दौरान की गई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए, यूएसए) के निदेशों के आधार पर डीजीसीए के निदेश के अनुपालन में कंपनी को जनवरी, 2013 में सभी 6 बी787 विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड करना पड़ा। एफएए द्वारा अनुमोदित संशोधन योजना इन विमानों पर की गई तथा डीजीसीए/एफएए से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद इन सभी 6 विमानों को वापस मई, 2013 में उड़ान पर लगा दिया गया। ग्राउंडिंग के कारण कंपनी को हुई हानि पर क्षतिपूर्ति का मामला बोइंग के साथ उठाया गया। एअर इंडिया ने दिनांक 29 मई, 2014 को बोईंग के साथ बी787 विमानों की ग्राउंडिंग के लिए 24.0 मिलियन अमरीकी डालर की क्षतिपूर्ति के लिए समझौता करार पर हस्ताक्षर किए। तदनुसार, ग्राउंड होने के कारण क्षतिपूर्ति के रूप में 507.1 मिलियन रुपए [9.4 मिलियन अमरीकी डालर) (गत वर्ष 793.1 मिलियन रुपए (14.6 मिलियन अमरीकी डालर)] के बकाया क्रेडिट को असाधारण आय के रूप में लिया गया है।

Xk½ thb dh vkj l bZeku [kir HkÙkk

बोईंग के साथ बी787 क्रय करार विमान के निष्पादन के संबंध में पक्की ईंधन खपत गारंटी प्रदान करता है। चूंकि ईंधन खपत गारंटी से कम है इसलिए एअर इंडिया इस अतिरिक्त ईंधन खपत क्षतिपूर्ति के लिए बोईंग के साथ चर्चा कर रही है। यह उल्लेखनीय है कि ईंधन खपत में कमी में एयरफ्रेम और विमान में संस्थापित इंजनों द्वारा सहयोग किया जाता है।

बी787 विमान के इंजन निर्माता जीई एअर इंडिया को डिलीवर किए गए 13 787 विमानों में लगाए गए ब्लॉक 4 इंजनों और पीआईपी 1 इंजनों के संबंध में एअर इंडिया को 23 मिलियन अमरीकी डॉलर की ईंधन खपत भत्ते की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो गई है। तद्नुसार वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान प्राप्त 459.7 मिलियन रुपए (7.4 मिलियन अमरीकी डॉलर) के ईंधन खपत भत्ते को एअर इंडिया द्वारा ब्लॉक 4/पीआईपी 1 इंजनों के कारण एअर इंडिया द्वारा उठाई गई अतिरिक्त ईंधन लागत की क्षतिपूर्ति के लिए विविध आय के रूप में लिया गया है। कंपनी इस संबंध में आवश्यक करार हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

46- कंपनी द्वारा अनुपालन की जा रही लेखांकन नीति के अनुसार विमान की डिलीवरी के समय क्रमशः 416.1 मिलियन रुपए (गत वर्षः 312.7 मिलियन रुपए) तथा 1129.3 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 842.0 मिलियन रुपए) की राशि के निर्माता तथा आपूर्तिदाता क्रेडिट हकदारी की पहचान अनुशंगिक राजस्व के रूप में की गई है।

47- fofue; njk e l'kkeku dk iHkko ¼,,l&11½

i) वर्ष 2008–09 में कंपनी ने लेखा मानक 11 से संबंधित कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम 2009 के समान दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मैद्रिक मदों की रिपोर्टिंग से पैदा हुए विनिमय अंतर का लेखांकन किया। निगमित कार्य मंत्रालय ने दिनांक 29 दिसम्बर 2011 को अधिसूचना जीएसआर 913 (ई) तथा 914 (ई) के तहत संशोधन के क्षेत्र का विस्तार किया है जिसे कंपनी ने स्वीकृत किया है और संगत विवरण नीचे दिया गया हैः

क) दीर्घकालिक मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग तथा निपटान के विनिमय अंतर की पहचान के संबंध में अनुच्छेद 8(ii) में बताई गई लेखांकन नीति के अनुरूप कंपनी का वर्ष के दौरान 17939.3 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 9434.6 मिलियन रुपए) पूंजीबद्ध अंतरण अंतर है।

वर्ष के दौरान 3018.6 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 305.0 मिलियन रुपए) की राशि को फौरेन करेंसी मॉनीटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में स्थानान्तरित किया गया है तथा 31.3.2014 को 3401.9 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 588.1 मिलियन रुपए) संबंधित दीर्घावधि मौद्रिक मदों की शेष आयु में परिशोधित किया जाना है। इसे फौरेन करेंसी मॉनीटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट के रूप में एक पृथक मद के तौर पर रक्षित एवं अधिशेष के अंतर्गत वित्तीय विवरणी में दर्शाया गया है।

ख) कंपनी पर 147 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि के एफसीएनआर कार्यशील पूंजीगत ऋण थे जिन्हें दिनांक 01/10/2011 से कार्यान्वित की गई वित्तीय पुनः संरचना योजना (एफआरपी) में मास्टर पुनः संरचना करार के अंतर्गत दीर्घ कालिक ऋणों में परिवर्तित कर दिया गया था। यद्यपि उपर्युक्त कार्यशील पूजीगत ऋण दीर्घ कालिक ऋणों में परिवर्तित कर दिए गए थे, फिर भी इन्हें दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद तथा विनिमय अंतर नहीं माना गया और इन मदों की रिपोर्टिंग और निपटान पर उत्पन्न विनिमय दर में अंतर उस दर से अलग है जिस दर पर इन्हें पिछली वित्तीय विवरणियों में आरंभिक रूप में रिकॉर्ड और रिपोर्ट किया गया था, बल्कि लाभ एवं हानि विवरणी में इनकी पहचान की गई थी चूंकि ये ऋण दीर्घकालिक ऋणों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं और दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मद बन जाते हैं, एएस–11 के पैरा 46 ए के प्रावधानों और कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुपालन में, कंपनी ने वर्ष के दौरान, इन ऋणों के विनिमय अंतर को अक्तूबर, 2011 से फौरेन करेंसी मॉनीटरी आइटम्स ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट (एफसीएमआईटीडीए) में लेखाबद्ध किया है। तद्नुसार 933.5 मिलियन रुपए की राशि ''पूर्व अवधि मद'' के क्रेडिट द्वारा एफसीएमआईटीडीए को हस्तांतरित कर दी गई और कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखाकरण नीति के अनुसार परिशोधित की जा रही है।

ग) अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार कंपनी विमानों के अर्जन से संबंधित ऋण के रूप में, दीर्घावधिक वित्त व्यवस्था/उनकी बिक्री किए जाने से पहले, मध्यवर्ती अवधि के दौरान विमानों के अर्जन हेतु लिए गए सेतुक ऋणों (अल्पकालिक ऋण) को संशोधित एएस–11 के अंतर्गत पूंजीबद्ध करने के उद्देश्य से दीर्घकालिक मदें मान रही है।

घ) कंपनी ने 31 मार्च, 2011 की अवधि के संबंध में कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2009 का चयन किया है, विनिमय अंतर को ऋण लागत पर लेखांकन मानक 16 के अनुच्छेद 4(ड.) के अनुसार अपेक्षित ब्याज लागत में समायोजित माना गया है जिसका अलग से निर्धारण नहीं किया गया है तथा जिसे संबंधित मूल्यह्रास हुई पूंजीगत परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा या घटाया गया है। प्रबंधन की राय में कंपनी के पास तुलनात्मक ब्याज दरें नहीं हैं तथा इन निधियों का स्रोत उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त का सही प्रभाव निश्चित नहीं किया गया है।

ii) विदेशी मुद्रा ऋण की मूल राशि तथा स्थानीय मुद्रा ऋण पर ब्याज तथा विदेशी मुद्रा ऋण के अंतर को तथा लेखांकन नीति सं0 8(ii) में दर्शाए दीर्घावधिक मौद्रिक मदों के अलावा विदेशी मुद्रा ऋण की रिपोर्टिंग तथा निपटारे से पैदा हुए विनिमय अंतर को विदेशी मुद्रा हानि/लाभ में लेखाबद्ध तथा लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जा रहा है। तथापि वर्ष के लिए हानि पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।

iii) लेन–देन की जटिलताओं के कारण एएस–11 के प्रावधानों के अनुरूप विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मदों के क्लोजिंग बैलेंस में कुछ राशि (सही राशि निश्चित नहीं है) सम्मिलित है जिसे एफईडीएआई दरों पर बदला नहीं गया है। इन बैलेंसों के बदले जाने का प्रभाव निश्चित नहीं है।

48- ok;nr vkj ,vj bfM;k fyfeVM dk foy;%

क) नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 25 मई, 1993 के आदेश सं.एवी.18013/44/92–एसीवीएल के अनुसार, वायुदूत का पूर्व इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड (अब एअर इंडिया लिमिटेड के साथ विलय किया जाना था। निगमित कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 6/2/2014 के आदेश द्वारा दिनांक 01/04/2013 से अर्थात् विलय की नियत तिथि/प्रभावी तिथि से एअर इंडिया लिमिटेड के साथ वायुदूत के विलय के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। एएस–14 के संबंध में विलय के लेखाकरण के लिए ब्याज की पूलिंग की विधि इस्तेमाल की गई है। वायुदूत लिमिटेड एअर इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और दोनों ही एयरलाइन्स व्यवसाय में हैं। अतः वायुदूत के शेयर धारकों को शेयरों के आबंटन का कोई औचित्य नहीं है।

ख) विलय की योजना के संबंध में

i) नियत तिथि को हस्तांतरणकर्त्ता कंपनी की बहियों में दर्शाई गई समस्त परिसम्पत्तियां और देयताएं अधिकार में ले ली गई हैं और हस्तांतरिती कंपनी की बहियों में खाता मूल्य पर रिकॉर्ड कर ली गई हैं। डूबे हुए और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाने के बाद देनदारों ने निवल को रिकॉर्ड कर लिया गया है। 2.8 मिलियन रुपए (सकल ब्लॉक में से मूल्यह्रास कम करके) निवल मूल्य पर अधिकार में ली गई स्थिर परिसम्पत्तियां मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते के बट्टे खाते में डाल दी गई हैं। अधिकार में ली गई राशि जिसमें 35.5 मिलियन रुपए का पूंजी रक्षित शेष, 2581.8 मिलियन रुपए का रिज़र्व एवं अधिशेष का नकारात्मक शेष, जिसमें विभिन्न खाता हैड पर वायुदूत द्वारा देय राशि के 963.0 मिलियन रुपए (एआई बहियों के अनुसार वायुदूत द्वारा देय राशि के 668.5 मिलियन रुपए का समायोजन करने के बाद) सम्मिलित हैं, को समायोजित कर दिया गया है। वायुदूत में एअर इंडिया निवेश से मेल न खाने वाली 182.1 मिलियन रुपए की शेयर पूंजी

भी समायोजित कर दी गई है। इन सभी समायोजनों के बाद 1436.7 मिलियन रुपए के निवल शेष को एअर इंडिया लिमिटेड की संचित हानियों में जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त लेनदारों के 467.2 मिलियन रुपए और देनदारों के 12.7 मिलियन रुपए की राशि के बकाया को अब देय/वसूली–योग्य नहीं माना गया है और 454.5 मिलियन रुपए का निवल प्रभाव डालते हुए उसे लाभ एवं हानि खाते में पुनरांकित/बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

ii) विभिन्न हैड के अंतर्गत वायुदूत की ओर से देय राशि तथा एअर इंडिया लिमिटेड की बहियों में निवेश के 950.6 मिलियन रुपए की राशि जिसे एअर इंडिया लिमिटेड की बहियों में पहले संदिग्ध के रूप में दर्शाया गया है, प्रावधान की आवश्यकता न समझे जाने पर, लाभ एवं हानि खाते में पुनरांकित कर दिया गया है।

49- कंपनी गैर–विमान सामग्री की खपत तथा स्क्रैप विक्रय के लिए पर्याप्त रिकार्डों को मेन्टेन करने की प्रक्रिया में है। इस प्रकार प्राप्त स्क्रैप विक्रय/उपभोग रिपोर्टों के आधार पर इनका लेखा–जोखा रखा जा रहा है।

50- अग्रदाय के लेखाकरण सहित स्टेशनों के लेन–देन के संबंध में स्टेशनों में आंतरिक नियंत्रण में सुधार प्रगति पर है। सामग्री को जारी करने/ग्रैन को तैयार करने, सामग्री आदि को उधार लेने, कंपनी के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के संबंध में भंडार में आंतरिक नियंत्रणों को, जहां भी आवश्यक हों, उन्हें और अधिक सुदृढ़ करने के लिए समीक्षा की जा रही है।

51- आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग कंपनी में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में है ताकि न्यूनतम लेखा परीक्षा कार्यक्रम में सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने पर विचार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा स्टेशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रयोगकर्ता विभागों एवं केन्द्रीय लेखा कार्यालय में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किए जाएं। वर्ष की कार्यावधि के दौरान कंपनी ने आंतरिक नियंत्रण की जांच करने और इनवेंटरी, ईंधन, राजस्व और केटरिंग जैसे क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट निष्पादन का बेंचमार्क बनाने के लिए बाहरी परामर्शदाता को नियुक्त किया है। इनवेंटरी के मामले को छोड़कर ये समीक्षाएं पूरी की जा रही हैं और यदि कोई जरूरत हुई तो इन समीक्षाओं के पूरा होने पर इनके आधार पर आवश्यक लेखाकरण कार्रवाई की जाएगी।

52- प्रतिपूर्ति के लिए कर्मचारियों से प्राप्त चिकित्सा, शैक्षिक तथा अन्य दावे, बिना वेतन अवकाश, आपूर्तिदाता/अन्य पार्टियों से प्राप्त ब्याज के दावों की अनिश्चितता के कारण नकद आधार पर गणना की जाती है। अन्य स्टाफ दावे, गुम सामान दावे की पहचान नकद आधार पर की जाती है। आयटा देय राशि के लिए देय राशि की देयता, व्यय की देयताएं तथा निर्माता क्रेडिट से प्राप्त दावों/इनवॉयस की पहचान की जाती है।

53- _.k rFkk vfxze ¼nh?kZdkfyd rFkk vYidkfyd½] vU; ifjlEifÙk;k¡ ¼pkyw@xSj pkyw½

क) लगातार अपनाई जा रही प्रक्रिया का पालन करते हुए विमानन बीमा प्रीमियम का भुगतान प्रारंभ में अस्थायी आधार पर आकलित यात्री गणना/प्रस्थान गणना/कल–पुर्जो के उपभोग के आधार पर किया जाता है। वास्तविक गणना/वास्तविक उपभोग के संदर्भ में समायोजन अंतिम गणना के समय किया जाता है। बीमा कंपनियों से प्राप्त होने वाली 377.13 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 439.0 मिलियन रुपए) की लागू सेवा कर सहित जमा राशि प्रीमियम, पुष्टि तथा समाधान के अधीन है।

ख) आय कर निर्धारण/अपील जिसमें कुल 885.8 मिलियन रुपयों (पिछले वर्ष 424.3 मिलियन रुपए) की विवादित मांगें विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं, के संबंध में कंपनी आशावान है कि मामलों का निर्णय उसके पक्ष में होगा, अतः इनका उल्लेख आकस्मिक देयता के रूप में किया गया है। कंपनी ने विभिन्न निर्धारण वर्षों में कुछ 308.9 मिलियन रुपयों (पिछले वर्ष 308.9 मिलियन रुपए) के अस्वीकृत टीडीएस क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं तथा कंपनी को इस संबंध में राहत मिलने की आशा है।

ग) बाहरी पार्टियों द्वारा स्रोत पर टीडीएस कटौती के संबंध में आयकर डाटा बेस (फार्म सं.26 ए एस) के साथ समाधान तथा टीडीएस प्रमाण पत्रों की अनुवर्ती कार्यवाही प्रगति पर है। तब तक के लिए इन्हें वसूली हेतु उचित माना गया है।

घ) कंपनी ने कुछ प्राप्यों तथा देयों के शेष का पुष्टिकरण मांगा है। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अतिरिक्त, अधिकतर मामलों में पार्टियों ने उत्तर नहीं दिया। जहां भी पार्टियों द्वारा पुष्टिकृत शेष अनुबंध में नहीं है वहां पुनः समाधान की प्रक्रिया जारी है तथा परिणामी समायोजन का प्रभाव निश्चित नहीं है। प्रबंध वर्ग संबंधित पार्टियों को शेषों के पुष्टिकरण पत्रों को भेजने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बना रहा है।

ङ.) प्राप्यों/देयों के शेषों में बेमेल क्रेडिटों/डेबिटों की कुछ मदें सम्मिलित हैं और उपयुक्त मिलान और समाधान हेतु लंबित होने के कारण इन्हें बही खातों के शेषों में दर्शाया गया है। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप प्राप्त ट्रेड की एजिंग का संकलन करते समय ऐसे बेमेल क्रेडिट जिनका डेबिट बकाया से मिलान नहीं है तथा देनदारों के खाते में शेष का समाधान प्रगति पर है। इन मदों के खुलासे का प्रभाव तथा कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार आकलित अनिश्चित ऋण के प्रावधान का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

च) "नगदी अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिमों में" दिनांक 31 मार्च, 2014 को अंतर–कार्यालय खाते में उन्हें प्रदान की गई निवल शेष के 11.5 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 10.5 मिलियन रुपए) की राशि भी सम्मिलित है। उक्त शेष में दर्शाए गए समस्त डेबिटों और समस्त क्रेडिटों के संक्षिप्त विवरण संकलित किए जा रहे हैं। इस संबंध में आवश्यक लेखाकरण समायोजन, यदि कोई हो, तो उसे यथासमय कर लिया जाएगा।

छ) कंपनी ने वर्ष 2007 और 2010 के बीच 9.975 मिलियन यूरो जोकि 639.4 मिलियन रुपए के बराबर हैं, प्रवेश शुल्क के रूप में सीधे सदस्य एयरलाइन्स के खाते में भुगतान किए थे जिसे वसूली योग्य अग्रिम माना जा रहा है। कंपनी ने जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दिनांक 11 जुलाई, 2014 को औपचारिक रूप से स्टार एलायंस को ज्वाइन कर लिया है। प्रबंध वर्ग की राय में, स्टार एलायंस सदस्यों को प्रदत्त लाभ एवं राशि के कुछ समय बाद प्राप्त होने की आशा है। आवश्यक लेखाकरण कार्यवाही वर्ष 2014–15 में की जाएगी क्योंकि कंपनी ने 2014–15 में ही स्टार एलायंस ज्वाइन किया है।

54- uxnh vkj cSd 'k"k

नगदी शेष रखने वाले अधिकारियों को छोड़कर अन्य अधिकारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष जांच के अंतर्गत सम्पूर्ण नगदी शेष को सम्मिलित करने के लिए कैश इन हैंड और चैक इन हैंड की वर्ष के अंत में की जाने वाली प्रत्यक्ष जांच की प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। कुछ बैंक शेष पुष्टिकरण एवं मिलान के अधीन हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग भी इस संबंध में अनुकूल तंत्र को विकसित करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

55- pkyw nk;rk,a

क) इनपुट क्रेडिट सहित सेवा कर प्राप्त किया जाना शेष है तथा स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस), आयकर के संबंध में धनवापसी प्राप्त की जानी शेष है, वैट, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआईएस), व्यवसाय कर और एयरपोर्ट कर के खातों का मिलान फाईल किए गए रिटर्न/सांविधिक रिकार्डों के अनुसार किया जा रहा है।

ख) गैर कर योग्य सेवाओं के लिए सेनवैट क्रेडिट के प्रत्यावर्तन की गणना अनुमानित आधार पर की जा रही है और गैर प्राप्य इनपुट क्रेडिट को संबंधित व्यय के भुगतान के समय राजस्व के खर्चे में लिख दिया जाता है। इस संबंध में सही रकम का पता लगाया जा रहा है। उसके पश्चात् आवश्यक समायोजन कर लिए जाएंगे।

ग) दिनांक 31 मार्च, 2014 को पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास शेष राशि की पुष्टि कर दी गई है तथापि इसमें 2014.6 मिलियन रुपए (क्रेडिट) (निवल) का अंतर है जिसका मिलान किया जा रहा है। आवश्यक लेखाकरण कार्यवाही उचित समय पर कर ली जाएगी। अन्य ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के संबंध में शेष पुष्टिकरण पुष्टि एवं उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो, मिलान के अधीन है।

घ) ऑयल कंपनियों को विलंबित भुगतान प्रभार के रूप में प्रदत्त/देय 2373.1 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 3038.3 मिलियन रुपए) और टीडीएस/सेवाकर के विलंबित भुगतान पर ब्याज के 514.6 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 659.3 मिलियन रुपए) की राशि ''वित्तीय लागत'' के अंतर्गत जोड़ दी गई है। इस संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार टीडीएस की देयता की पहचान नहीं की गई है।

ड.) दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के बही खातों में 3491.0 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2414.6 मिलियन रुपए) की राशि का सेवा कर बकाया है जिसका समाधान किया जा रहा है। तथापि सेवा कर रिकार्ड के अनुसार 1937.1 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 1853.9 मिलियन रुपए) के बकायों पर 863.8 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 586.2 मिलियन रुपए) के ब्याज का भुगतान किया गया है। देय जुर्माना, यदि कोई है, को निश्चित नहीं किया गया है। दिनांक 31.03.2014 को सेवा कर देयता के 1548.4 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 691.7 मिलियन रुपए) की राशि छह महीने से अधिक समय से बकाया है जिसका भुगतान तुलन पत्र की तिथि के बाद कर दिया गया है।

च) 31.03.14 की स्थिति के अनुसार ब्याज सहित कंपनी की 2552.2 मिलियन रुपयों (पिछले वर्ष 2165.9 मिलियन रुपए) (पिछले वर्षः 229.9 मिलियन रुपए) की राशि की टीडीएस देयता बकाया है। बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार उपरोक्त में से 139.2 मिलियन रुपयों की राशि छह महीनों से अधिक समय से बकाया है। बैलेंस शीट की तिथि के बाद 2268.1 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2026.8 मिलियन रुपए) की राशि का भुगतान कर दिया गया है। कुछ मामलों में, टीडीएस देयता, बिलों का भुगतान कर दिए जाने पर ही स्वीकार की जाती है और यदि टीडीएस, यदि कोई हो, 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार छह महीने से अधिक समय से अदा किया जाना शेष हो तो, ऐसी देयता के उपार्जन के संबंध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

छ) फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम की 103.6 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 145.9 मिलियन रुपए) की देयता बाहरी सर्विस प्रदाता द्वारा अनुमानित/तदर्थ संगणना, उपार्जित माइल्स का सदस्यवार लंबित विवरण जोकि संकलन और आवश्यक मिलान के अधीन है, के आधार पर प्रदान की गई है। इस संबंध में आवश्यक लेखा समायोजन उचित समय पर कर दिया जाएगा।

ज) वरीयता एजेंट कार्यक्रम तथा कॉरपोरेट प्रोत्साहन राशि के 686.7 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 631.3 मिलियन रुपए) का प्रावधान संबंधित प्रयोक्ता विभाग से डाटा प्राप्त न होने और कॉरपोरेट/एजेंटवार विवरण प्राप्त न होने के कारण तदर्थ आधार पर किया गया है। प्रबंधवर्ग इस संबंध में देयता से संबंधित डाटा एकत्र (संकलित) करने के कदम उठा रहा है और यदि जरूरी हुआ तो आवश्यक लेखा समायोजन उचित समय पर कर लिया जाएगा। परिवहन सेवा संविदा के खाते, जिसमें विक्रेता (वेंडर) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के एवज़ में पैसेज टिकटों के मुद्दे पर विचार किया जाता है, का भी मिलान किया जा रहा है।

झ) विभिन्न विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं द्वारा जारी किए गए बिलों का लेखांकन/भुगतान तभी किया जाता है जब संबंधित विभिन्न प्रचालन विभागों द्वारा ऐसे बिलों में कटौती कर ली जाती है। एएआई/डायल/मायल अन्य विक्रेताओं द्वारा इन कटौतियों की पुष्टि नहीं की जाती है और इस प्रकार इन बिलों को समाप्त नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में खातों में कोई देयता/आकस्मिक देयता नहीं दर्शाई गई है क्योंकि इनका पता लगाया जाना अभी शेष है।

ञ) लीगेसी में मेंटेन किए गए इनवेंटरी रिकार्डों के संबंध में इनवेंटरी से संबंधित वेंडर खाते हस्तान्तरण की तिथि तक लीगेसी अकाउंटिंग सिस्टम में मेंटेन किए गए थे। संचित शेषों को खातों के हस्तान्तरण के दौरान बाद में सैप में हस्तान्तरित कर दिया गया। लीगेसी साफ्टवेयर के अनुसार ये शेष सैप में स्थानांतरित किए गए शेषों से पूरी तरह से मेल नहीं खाते तथा इनवेंटरी से संबंधित इन खातों का सैप और रैमको में स्थानांतरण किए जाने के बाद मिलान किया जा रहा है। राशियों में अंतर का वास्तविक प्रभाव पता नहीं लग पाया है। विभिन्न वेंडर खातों और इनवेंटरी खातों (ओएसिस से संबंधित) से संबंधित अन्य संबद्ध खाता शीर्षों का आवश्यक लेखांकन समाधान किया जाना है जिसे यथासमय करा लिया जाएगा।

56- वर्ष के दौरान सांविधिक देयताओं जैसे स्रोत पर काटा गया कर, पीएफ/ईएसआई आदि के भुगतान में कुछ विलंब हुआ। इस प्रकार के विलंबों के लिए ब्याज का भुगतान किया गया।

57- तुलन पत्र की तिथि के बाद कोलकाता में किसी एजेंसी के माध्यम से नियुक्त अस्थाई कर्मचारी के साथ मिलकर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा कंपनी की निधियों के दुर्विनियोजन की एक घटना का पता चला है। मामला बाहरी एजेंसियों की जांच के अधीन है। सतर्कता विभाग द्वारा 8.6 मिलियन रुपए (पहचान की गई सीमा तक) की राशि की धोखाधड़ी का पता लगाया गया है। धोखाधड़ी की राशि को 2011–12 से आरंभ करते हुए संबंधित वर्षों के संगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जांच–पड़ताल पूरी होने के बाद उपर्युक्त के लिए लेखाकरण कार्यवाही कर ली जाएगी।

58- कंपनी को सिडनी स्टेशन पर दिनांक 31 मार्च, 14 को वास्तविक शेष और खाता शेष के बीच 147,061.97 एयूडी, जोकि 8.4 मिलियन रुपए के बराबर है, की कमी/अंतर का पता चला है। यह अंतर स्टेशन पर तैनात कर्मचारी द्वारा उपयुक्त लेखाकरण रिकार्डों को मेंटेन करने की कमी के कारण हुआ है, क्योकि उसने कोई नोटिस दिए बिना कंपनी छोड़ दी है। कंपनी को आरंभिक सत्यापन के बाद उपर्युक्त राशि का पता चला है जोकि रसीदों (बेचे गए टिकटों सहित) के संबंध में सभी मूल सहायक रिकार्डों और स्टेशन पर हुए व्यय और मिलान के अधीन है। इस संबंध में आवश्यक लेखांकन समायोजन उचित समय पर कर दिए जाएंगे। 8.4 मिलियन रुपए के बराबर 147,061.97 एयूडी की अंतर राशि पहले ही बही–खाते में दर्शा दी गई है।

59- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा चुनिंदा विदेशी स्टेशनों और कुछ घरेलू लोकेशनों के रिकॉर्डों की समीक्षा की गई थी। तथापि इन स्टेशनों से प्राप्त संक्षिप्त विवरण के आधार पर पता चला है कि कुछ स्टेशनों पर लेखाकरण प्रविष्टियां सैप में की गई हैं और ये वर्ष के दौरान हुई आंतरिक लेखा परीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रबंध वर्ग द्वारा इन स्टेशनों पर आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा की जा रही है।

60- jktLo lcaèkh ekey%

क) राजस्व लेखाकरण डाटा प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कंपनी के पास एक बाहरी सेवा प्रदाता है और राजस्व लेखा से संबंधित लेखांकन प्रविष्टियां उसी सेवा प्रदाता द्वारा सैप लेखांकन प्रणाली में जोड़ी जाती हैं। वर्ष के दौरान टिकट विक्रय की डाटा प्रविष्टि/प्रक्रिया, धन वापसी, कमीशन, एजेंटों को देय छूटों/प्रोत्साहनों और अन्य संबद्ध खातों में विसंगतियां देखी गईं। प्रबंध वर्ग ने सेवा प्रदाता के परामर्श से इनमें से अधिकांश विसंगतियों को संशोधित कर लिया है। राजस्व में दर्शाई गई शेष विसंगतियों, यदि कोई हो, को संशोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं कि सेवा प्रदाता द्वारा पास की जा रही प्रविष्टियों के लिए उनके स्थान पर वैधीकरण की प्रक्रिया ला दी गई है। 141,507.3 मिलियन रुपए के यात्री राजस्व के शेष, यदि कोई हैं, में लेखांकन के समायोजन आवश्यकतानुसार उचित समय पर कर दिए जाएंगे।

ख) कंपनी वर्ष के दौरान यात्रियों द्वारा की गई यात्रा के आधार पर राजस्व की गणना करती है और यात्रा नही की गई टिकटों के बकाये को वर्ष के अंत में देयता के रूप में दर्शाया जाता है। वर्ष के अंत में, पैक्स क्रेडिट सेल्स (मध्यवर्ती खाता), जो स्वीकृत अधिशेष राजस्व को दर्शाता है अथवा जिसमें यात्रा न की गई टिकटों की स्वीकृत अधिशेष देयता

भी हो सकती है, के अंतर्गत 500.7 मिलियन रुपए (डीआर) का बकाया है; चूंकि सूक्ष्म लेखाकरण कार्यवाही के लिए खाते का मिलान किया जा रहा है, इसलिए ऐसे बकाये के लिए कोई प्रावधान करना जरूरी नहीं समझा गया है और आवश्यक लेखाकरण समायोजन उचित समय पर कर दिए जाएंगे।

ग) वर्ष के दौरान देखी गई विभिन्न खामियों के दृष्टिगत, कंपनी, राजस्व लेखांकन प्रणाली को मजबूत करने की प्रक्रिया में है। टिकट–वार/यात्रीवार डाटा के संबंध में, वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से यात्रा कर चुके यात्रियों से संबंधित डाटा का मिलान, सरकारी करों, वर्ष के अंत में यात्रा न की गई टिकटों की देयता सहित विभिन्न राजस्व संबंधी खातों का मिलान प्रक्रियाधीन है अतः आउटसोर्स किए हुए सेवा प्रदाता द्वारा प्रोसेस किए गए फ्लोन डाटा की सीमा तक राजस्व की पहचान की गई है। इसके यथार्थ प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका है।

घ) पूर्व जीएसए की ओर से 145.7 मिलियन रुपए की देयता क्रेडिट अवधि के बाद भी बकाया है और विदेशी स्टेशनों पर जीएसए की ओर से 46.3 मिलियन रुपए की राशि विवादास्पद है तथा वसूली योग्य राशि के संबंध में कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है। चूंकि संबंधित एजेंटों के साथ इन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है, अतः कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

ड.) 8754.0 मिलियन रुपए की अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों में एअर इंडिया बिल्डिंग के विभिन्न किराएदारों, जो 3 वर्षों से अधिक पुराने हैं और जिन्हें आरंभिक वर्षों में यह संपत्ति किराए पर दे दी गई थी, की ओर से देयों से संबंधित 370.2 मिलियन रुपए की राशि भी सम्मिलित है। कंपनी के पक्ष में सुनाए गए मध्यस्थता पंचाटों/न्यायालय अधिनिर्णयों और अनुकूल समझौतों के आधार पर, इन मामलों में प्रावधान वर्ष 2012–13 में पुनरांकित कर दिए गए हैं और अब ये वसूली योग्य माने जा रहे हैं।

च) वर्ष के दौरान कंपनी ने यात्रियों के संबंध में अलिखित विक्रय के लिए 4.7 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 12.5 मिलियन रुपए) तथा कार्गो के संबंध में 100.0 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 95.0 रुपए) का प्रावधान किया है, जिसके लिए राजस्व का निर्धारण वहन के आधार पर किया गया था, जबकि प्राप्यों के लेखाकरण के संबंध में संबंधित स्टेशनों से विवरण प्राप्त होना शेष है। ऐसी सूचना के लंबित होने के कारण, इन प्राप्यों हेतु, उपलब्ध डाटा की सीमा तक, खातों में प्रावधान कर दिया गया है। इस संबंध में आवश्यक लेखांकन कार्यवाही उचित समय पर कर दी जाएगी।

छ) प्राप्त हुए अनंतिम आंकड़ों के आधार पर दिए गए लेखों के अनुसार प्रचालन राजस्व में एअर इंडिया चार्टर लिमिटेड (एआईसीएल) से प्राप्त राजस्व शेयरिंग के 2910.8 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 2227.0 मिलियन रुपए) की राशि भी सम्मिलित है। लेखा परीक्षित शेषों का पुष्टिकरण एवं मिलान लंबित है।

61- dkxk@Mkd jktLo

क) कार्गो विक्रय शेष में 1074.4 मिलियन रुपए का अंतर है। स्टेशनों पर विक्रय डाटा में उपलब्ध राशि और ऑउटसोर्स किए गए सेवा प्रदाता से प्राप्त डाटा में मिलान न होने के कारण यह अन्तर है। उक्त का मिलान किया जा रहा है और आवश्यक लेखांकन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त कार्गो विक्रय पर ऐजेंटों को भुगतान किया गया कमीशन और कार्गो से संबंधित अन्य खातों का भी मिलान किया जा रहा है तथा मिलान के बाद वित्तीय विवरणी पर इसके प्रभाव को लेखाबद्ध किया जाएगा। मैनुअल एयर वे बिल जारी करने के मुद्दे के संबंध में, स्टेशनों पर आंतरिक नियंत्रण मजबूत किए जा रहे हैं।

ख) वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए अवार्ड के आधार पर कंपनी घरेलू प्रचालनों के संबंध में डाक राजस्व की पहचान रही है। मंत्रालय द्वारा केवल वर्ष 2009–10 तक की अवधि के लिए ही डाक दरों को अंतिम रूप दिया गया है। वर्ष 2010–11 के लिए वित्त मंत्रालय ने 30.57 रुपए प्रति टी के एम की डाक दर स्वीकृत की है। कंपनी डाक विभाग को इस दर पर बिल देने में सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्रालय से इसकी समीक्षा करने का अनुरोध किया है। समीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने तक डाक राजस्व की बिलिंग और लेखाकरण 29.92 रुपए प्रति टी के एम की पुरानी दरों पर किया जा रहा है। दिनांक 31 मार्च, 2014 को डाक विभाग पर चालू बकाया 1105.70 मिलियन रुपए है।

62- buoVjh

i) कंपनी की विमान इनवेंटरी को वर्ष 2012–13 के दौरान रैमको द्वारा विकसित की गई ईआरपी पैकेज में हस्तान्तरित कर दिया गया है। इसमें 3290.3 मिलियन रुपए की इनवेंटरी सम्मिलित नहीं है जिसे अब भी पुराने सिस्टम में मेंटेन किया जा रहा है जिसमें से 2595.6 मिलियन रुपए की अचल इनवेंटरी की व्यवस्था कर ली गई है।

ii) वर्ष 2012–13 में स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान, इनवेंटरी का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया और हस्तान्तरण पुराने सिस्टम/मैनुअल रिकॉर्डों अथवा विभिन्न लोकेशनों पर एकत्रित डाटा से संबद्ध अंतिम रिपोर्टों के आधार पर किया गया। रैमको सिस्टम में हस्तान्तरित की गई मात्राओं और मूल्यों के दस्तावेजी आधार, मुख्य रूप से गैर सर्विस योग्य मदों की इनवेंटरी के मामले में, शीघ्रता से उपलब्ध नहीं थे। हस्तांतरित इनवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन पूरा कर लिया गया है और पाई गई विसंगतियां सत्यापन के अधीन हैं जिनका लेखांकन समायोजन उचित प्रक्रिया के बाद किया जाना

शेष है। रैमको डाटा बेस के सैप में शेषों का मिलान किया जा रहा है। इस समय इसके वित्तीय प्रभाव सुनिश्चित नहीं किए जा सकते। प्रक्रिया की डाटा स्थानांतरण जांच भी कराई जाएगी और यदि कोई विसंगति हुई तो वह उचित समय पर समायोजित कर ली जाएगी। लेखों में स्थानांतरण के दौरान मिलान नहीं हुए अंतरों के 353.9 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया था जिसे अब उलट दिया गया है।

iii) वर्ष 2012–13 में हस्तांतरण की प्रक्रिया के दौरान, गैर सर्विस योग्य इनवेंटरी के संबंध में जहां लागू भारित औसत लागत यथासमय उपलब्ध नहीं थी, वहां, इन मामलों में, मूल्यांकन दरें नवीनतम उपलब्ध भारित औसत दरों/कैटलॉग मूल्य के अनुसार ली गई थीं। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें बिना लागत की मदों (एफओसी) केनीब्लाइज मदों तथा विमान के साथ प्राप्त की गई इनवेंटरी का भी मूल्य निर्धारित किया गया है और उपरोक्त मूल्य पर उन्हें इनवेंटरी में ले लिया गया है। तथापि, इस समय उक्त की सटीक मात्रा नहीं बताई जा सकती। ऐसी मदें जहां दरें/मात्रा अभी संशोधित की जानी शेष हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है और सुधारात्मक कार्रवाई यथासमय की जाएगी। वर्ष 2012–13 के दौरान 577.6 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया था। वर्ष के दौरान, 61.5 मिलियन रुपए की सीमा तक सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और संशोधित की जाने वाली शेष विसंगतियों के लिए 200 मिलियन रुपए का तदर्थ प्रावधान खातों में किया गया है। इसका वास्तविक प्रभाव निश्चित नहीं किया जा सकता।

iv) निर्धारित लेखाकरण नीति का अनुपालन करने के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन कार्यवाही के अनुसार, जारी की गई मरम्मत योग्य मदें कार्य आदेश की समाप्ति के समय उपभोग खाते से घटा दी जाती हैं जबकि जारी की गई सामग्री में से वापस प्राप्त किए गए पार्ट्स इनवेंटरी में वापस ले लिए जाते हैं। अपनाई गई कार्यवाही के बाद कुछ गैर सर्विस योग्य पार्ट्स ऐसे हैं जो इनवेंट्री के रूप में वहन किए जा रहे हैं और नवीनतम भारित औसत लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं। प्रक्रिया जारी होने के कारण उपभोग के लिए प्रभारित मदों/मूल्यों का मिलान करना और उन्हें वापस लेना संभव नहीं है। भारित औसत में बदलाव और सामग्री को जारी करने एवं उसे इनवेंटरी में वापस लेने के बीच समयान्तर के कारण उत्पन्न अंतर लेन–देनों की भारी मात्रा के कारण निश्चित नहीं किया गया है। संबंधित लेखांकन कार्रवाई करते समय इन्हें समायोजित कर दिया जाता है। वर्ष के अंत में, इसका वास्तविक प्रभाव निर्धारित नहीं किया गया है।

v) प्रत्यक्ष उपलब्धता और विभिन्न प्रयोक्ताओं से प्राप्त इनपुटों के आधार पर वर्ष के दौरान कुल 1181.1 मिलियन रुपए की इनवेंटरी रेमको में और हस्तांतरित की गई। यद्यपि प्रत्यक्ष उपलब्धता को प्रमाणित करने के लिए सहायक रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए जाते, इसीलिए उपलब्ध नहीं हैं। इन मदों के संबंध मे प्रावधान, यदि आवश्यक हुआ तो, मिलान के समय कर दिया जाएगा।

vi) वर्ष 2012–13 में हस्तांतरण प्रक्रिया के दौरान, कुछ विमान रोटेबल्स भी रैमको सिस्टम में अपलोड किए गए थे और भारित औसत लागत/केटलॉग मूल्य पर इनवेंटरी में वहन किए गए थे। वर्ष समाप्त होने के बाद, प्रबंधवर्ग द्वारा सुधार कार्यवाही की गई है और 5395.5 मिलियन रुपए की सीमा तक इन मदों की पहचान की गई है जिसके एवज में इनवेंटरी मिलान हेतु 5375.8 मिलियन रुपए की सीमा तक प्रावधान किया गया है। इनवेंटरी में सम्मिलित किए गए रोटेबल्स के लिए आवश्यक प्रावधान/लेखांकन यथासमय किया जाएगा।

vii) हस्तांतरित इनवेंटरी में कुल 2112.2 मिलियन रुपए की मदें भी सम्मिलित हैं जिन्हें विसंगतियों के कारण 10.2 मिलियन रुपए पर मूल्यांकित किया जाना था और इसीलिए इनवेंटरी समाधान हेतु खातों में 2102.0 मिलियन रुपए की अंतर की राशि का प्रावधान किया गया है।

viii) वर्ष के अंत में इनवेंटरियों में ''कार्य आदेश सस्पेंस अंतरिक/बाहरी'' के तहत इन–हाउस मरम्मत कार्यों के लिए शेष भी सम्मिलित है। उक्त में जारी की गई सामग्री और वर्ष के अंत तक समापन तिथि को समाप्त/पूर्ण किए गए/पूर्व–बंद/रद्द किए गए कार्य आदेशों के संबंध में जारी किए गए 3532.4 मिलियन रुपए (जिस सीमा तक पहचान किए गए हैं) का शेष सम्मिलित है, जो समायोजित नहीं किया गया। इन मदों को रेमको सिस्टम में अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार सामग्री/रिपेयर्स के उपभोग के रूप में लेखाबद्ध किया जाना है। उपर्युक्त के अतिरिक्त आदेश सस्पेंस खाते में 879.5 मिलियन रुपए की एक्सपेंडेबल मदें सम्मिलित हैं जिन्हें निर्गम होने पर उपभोग हेतु, चार्ज ऑफ किया जाना है। उपर्युक्त में से 498.5 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया है और रेमको सिस्टम में कार्य आदेशों के बंद होते ही शेष मदों का लेखांकन कर दिया जाएगा।

ix) इनवेंटरी शेषों के मिलान/परिशोधन के लंबित होने के कारण विभिन्न मध्यवर्ती हैड के अंतर्गत रखे गए कुल 1485.1 मिलियन रुपए के इनवेंटरी शेषों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जिसके लिए 31/3/2014 तक रैमको सिस्टम में उपभोग/निर्गम/स्क्रैपेज को अद्यतन नहीं किया गया है। अपेक्षित लेखाकरण समायोजन यथासमय कर लिए जाएंगे।

x) वर्ष के अंत में, रैमको रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर 970.1 मिलियन रुपए के दर्शाए गए रिपेयरेबल उपभोग को उल्ट दिया गया है जिसे अब खातों में इनवेंटरी के रूप में दर्शाया जा रहा है। ये इनवेंटरी शेष रैमको में नहीं दर्शाए जा रहे हैं और उनके लोकेशन विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

xi) कंपनी के पास सीएफ 6 इंजनों से संबंधित फेज आउट किए गए विमान बेड़े से संबंधित 801.3 मिलियन रुपए की राशि की इनवेंटरी है। तथापि इन स्पेयर्स का अन्य विमानों पर इस्तेमाल का पता लगाया जा रहा है जिसके लिए आवश्यक प्रावधान यथासमय कर लिया जाएगा।

xii) इनवेंटरी के पिछले मूवमेंट से संबंधित डाटा रैमको सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। लीगेसी सिस्टम में उपलब्ध मूवमेंट डाटा के आधार पर मदों की पहचान नॉन–मूविंग के रूप में की गई है और तदनुसार उसके लिए 4875.6 मिलियन रुपए (वर्ष के दौरान 348.9 मिलियन रुपए) तक का प्रावधान किया गया है।

xiii) खातों को सैप में स्थानांतरित किए जाने के बाद नॉन एयरक्राफ्ट इनवेंटरी जिसे पहले मेटीरियल मैनेजमेंट डिवीजन (एमएमडी) में लीगेसी सिस्टम/मैनुअल रिकार्डों में मेंटेन किया जा रहा था, उसे सैप में हस्तांतरित कर दिया गया है। मैनुअल रिकार्डों में मेंटेन किए गए इन शेषों का वित्तीय रिकार्डों के साथ मिलान नहीं किया गया था और हस्तांतरित किए गए शेषों की राशि एमएमडी में उपलब्ध डाटा के बराबर हस्तांतरित की गई थी। नॉन एयरक्राफ्ट इनवेंटरी के संबंध में ये शेष मिलान और आवश्यक लेखाकरण की कार्रवाई के अधीन है। इस संबंध में, संबंधित वेंडर खाते भी मिलान और आवश्यक लेखाकरण समायोजनों के अधीन हैं। लेखाकरण नीति के अनुसार नॉन मूविंग इनवेंटरी की पहचान करने के लिए इन वस्तुओं की आवाजाही से संबंधित डाटा को भी संकलित किया जा रहा है।

xiv) कंपनी स्टैंडबाई उपकरणों/मशीन के कल पुर्जे/बीमा स्पेयर को इनवेंटरी के रूप में अपने पास रखती है चूंकि इनका प्रयोग विमान के परिशोधन के उद्देश्य से तथा रख–रखाव कार्य के साथ बाहरी मरम्मत के लिए भी किया जाता है।

xv) प्राप्त किए गए समस्त सामान/खर्च का दायित्व रैमको द्वारा सृजित डाटा के अनुसार दिनांक 31.3.2014 को ग्रान्स एवं मार्गस्थ स्टोर विवरणी में दिए गए मूल्यों के अनुसार प्रदान किया गया है। आर एंड डी अनुभाग/सीमा–शुल्क विभाग/हाई सी में प्राप्त वस्तुओं के लिए, रैमको डाटा बेस से बाहर, उपलब्ध डाटा के आधार पर दायित्व प्रदान किया जाता है। ग्रान्स को तैयार करने में हुए विलंब और रैमको डाटाबेस से बाहर के ग्रान्स की गणना की प्रणाली तथा दायित्व के निर्धारण पर उसके परिणामी प्रभाव के संबंध में उपयुक्त स्तर पर समीक्षा की जा रही है। जैसाकि सैप में प्रविष्टियों को "समरी" स्तर पर दर्ज किया जा रहा, वर्ष के अंत में बकाया अग्रिमों और देयों के शेषों का वेंडर–वार मिलान लंबित है। वर्ष के दौरान निपटान किए गए लेन–देनों से संबंधित विनिमय अंतर का लेखाकरण और वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा के रूप में देयताओं का अंतरण भी उपलब्ध डाटा के बराबर किया गया है। विभिन्न वेंडर संबंधित खातों का मिलान भी किया जा रहा है। रैमको/सैप में ऐसी लागत को डाल कर एफडीआई (फ्रेट डयूटी एंड इन्सीडेंटल्स) के लेखाकरण को भी सरल और कारगर किया जा रहा है। उपर्युक्त के यथार्थ वित्तीय प्रभाव का पता लगाया जा रहा है और उन्हें यथासमय लेखाबद्ध कर दिया जाएगा।

xvi) वर्ष 2012–14 की द्विवार्षिक अवधि के लिए इनवेंटरियों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रगति पर है और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा पाई गई विसंगतियों की आवश्यक लेखांकन कार्यवाही यथासमय की जाएगी।

xvii) वर्ष के दौरान 1264.8 मिलियन रुपए की राशि की अप्रचलित इनवेंटरी को रेमको में हस्तातरित नहीं किया गया था जिसे गत वर्ष पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया था। एमएमडी/इंजी. प्रभाग से पुष्टिकरण के आधार पर उक्त को बट्टे खाते में डाल दिया गया है क्योंकि उसे लॉट आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गत वर्ष में बेचा/निपटा दिया गया था जिसके लिए मदवार मिलान अभी उपलब्ध नहीं है। निपटान के समय की गई लेखाकरण कार्रवाई के विवरण वर्तमान में उपलब्ध नही हैं।

xviii) कंपनी ने इस उद्योग की बेहतरीन कार्यवाही और आदेश एवं नियंत्रण प्रणाली को बैंचमार्क करने के लिए इनवेंटरी लेखाकरण की सम्पूर्ण प्रणाली को सरल और कारगर बनाने पर सलाह देने के लिए बाहरी परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। रेमको सिस्टम को संगत रूप से अद्यतन किया जा रहा है। प्रबंध वर्ग यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित कदम उठा रहा है कि इनवेंटरी शेषों के प्रत्यक्ष सत्यापन और मूल्यांकन के संबंध में स्थनांतरण के दौरान/स्थानांतरण के बाद नोटिस की गई विसंगतियां बही खातों में वहन की जा रही हैं तथा आवश्यक लेखाकरण कार्यवाही मिलान के समय कर ली जाएगी। वित्तीय विवरणी पर उक्त का यर्थाथ वित्तीय प्रभाव इस समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

63- eqcbZ bZVju'kuy ,;jiksVZ fyfeVsM ¼ek;y½

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा मायल के बीच अनुबंध किया गया है जिसके तहत मायल को मुंबई एयरपोर्ट के विकास का दायित्व सौंपा गया है। तदनुसार, मायल ने सूचित किया है कि एयरपोर्ट को विकसित करने के उद्देश्य से कंपनी को लीज़ पर दी गई भूमि (जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से लीज़ पर ली गई थी) का कुछ भाग मायल को देना होगा। अनुबंध के तहत गिराई जाने वाली बिल्डिंगों का पुनः निर्माण कंपनी द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक स्थानों पर मायल की लागत से किया जाएगा या मायल स्वीकृत फार्मूले के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। साथ ही, एयरपोर्ट पर अधिकृत भूमि/स्थानों पर मायल लाइसेंस शुल्क/किरायों में रियायत/छूट भी प्रदान करेगा।

मायल द्वारा एयरपोर्ट क्षेत्र में पुनः निर्माण तथा चल रहे विस्तार कार्यों के कारण, एअर इंडिया द्वारा लीज पर ली गई भूमि मायल को सौंपने का कार्य प्रगति पर है। क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, सहित लीज पर दी गई कुल भूमि की व्यापक समीक्षा केवल विस्तार कार्य के पूर्ण/प्रमाणित हो जाने पर ही की जा सकती है और कार्यभार सौंपने/ग्रहण करने पर कार्यवाही की जा रही है। तद्नुसार भूमि एवं स्पेस बिलों के भुगतान अंतिम निर्णय आने तक मुल्तवी रखे गए हैं।

मायल के साथ मासिक भुगतान योजना के अंतर्गत एआई को फरवरी 2014 से 100 मिलियन रुपए प्रतिमाह की दर से और तत्पश्चात जुलाई 2014 से 120 मिलियन रुपए प्रतिमाह की दर से आईएटीए/बीएसपी एस्क्रो खाते के माध्यम से यूडीएफ/एडीएफ/पीएसएफ के संबंध में बकाया देयों का भुगतान करना है और शेष राशि का भुगतान आवधिक दैनिक भुगतान के माध्यम से करना है जिससे धीरे–धीरे सम्पूर्ण बकाया देय समाप्त हो जाएंगे। तद्नुसार 31.03.2014 तक आकस्मिक देयता सहित बकाया देयों की राशि 3184.8 मिलियन रुपए है जिसमें से 2100.8 मिलियन रुपए निर्विवाद देयों के है और 1148.9 मिलियन रुपए आकस्मिक देयता के रूप में दिए गए हैं। आज की तिथि में केवल वर्तमान बकाया निर्विवाद देय ही दिए जाने शेष है।

उपर्युक्त बकाया एआई की बहियों के अनुसार हैं और सही माने गए हैं। इन बकायों के विरूद्ध, मायल ने अपने लेखा विवरण में 974.3 मिलियन रुपए के ब्याज सहित 3949.2 मिलियन रुपए की राशि बकाया के रूप में दर्शाई है। तथापि मायल के खाते पुष्टि, मिलान और लेखाकरण समायोजनों के अधीन हैं, इस कारण पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

64- dkphu bVjus'kuy ,;jiksVZ fy0 ¼lhvkbZ,,y½

सीआईएएल से प्राप्त पुष्टिकरण के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को उनकी बहियों के अनुसार देय राशि 328.7 मिलियन रुपए है। तथापि, एआई की बहियों के अनुसार सीआईएएल को कुल देय राशि 71.4 मिलियन रुपए है। यह अंतर मुख्यतः स्वयं हैंडल की जा रही उड़ानों के लाइसेंस फीस के भुगतान में सीआईएएल लेवी की बढ़ी हुई दरों, हैंडलिंग के विशेषाधिकार की हानि और इस प्रक्रिया को किसी अन्य एयरपोर्ट पर नहीं अपनाए जाने के कारण है। टिप्पणियों में कुल आकस्मिक देयता 169.5 मिलियन रुपए (पिछले वर्षः 122.5 मिलियन रुपए) दर्शाई गई है। बकाया देयों के बिल–वार विवरण भी एकत्रित किए जा रहे हैं। सीआईएएल के साथ ये खाते तथापि पुष्टि, मिलान और लेखांकन समायोजनों के अधीन हैं, इस कारण पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई हैं, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

65- fnYyh bVjus'kuy ,;jiksVZ fy0 ¼Mk;y½

जुलाई, 2010 में टी–3, आई.जी.आई. नई दिल्ली पर उड़ान प्रचालनों को शिफ्ट करने के बाद डायल के साथ टी–3 पर जगह के किरायों के संबंध में कुछ विवाद हुए थे । सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के तत्त्वावधान में दिनांक 12.12.2012 को आयोजित बैठक में टी–3, आई.जी.आई. एयरपोर्ट स्थित नए लाउंज सहित जगह के किराए के समझौते के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए। तद्नुसार, डायल के साथ किराया प्रभारों से संबंधित विवाद का निपटान कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, पीएसएफ, यूडीएफ एवं डीएफ जैसे भुगतानों की मासिक किस्त देने के लिए आयटा क्लीयरिंग हाउस के साथ अगस्त, 2013 से प्रभावी एक एस्क्रो खाता खोला गया है। इस खाते में 320.0 मिलियन रुपए (जिसे अगस्त 2014 से बढ़ाकर 340.0 मिलियन रुपए कर दिया गया) का मासिक भुगतान किया जाता है जिसका समायोजन वास्तविक यात्री डाटा के आधार पर किया जाता है।

दिनांक 31.03.14 को कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार बकाया देयता 4,866.8 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 2,922.8 मिलियन रुपए) है जिसमें से 103.5 मिलियन रुपए मार्च 2010 की अवधि तक रॉयल्टी पर छूट और ग्राउंड हैंडलिंग रॉयल्टी प्रभारों की बिलिंग से ग्राहक एयरलाइनों द्वारा अस्वीकृतियों के कारण डायल से प्राप्य/समायोज्य हैं। इस प्रकार डायल द्वारा दर्शाई गई ब्याज सहित बकाया देयों की 4831.3 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 3044.8 मिलियन रुपए) की तुलना में डायल को देय निवल राशि 4,763.3 मिलियन रुपए है। इसके अतिरिक्त, स्पेस एरिया/पार्किंग प्रभारों और ब्याज के संबंध में कुछ विवाद थे। तथापि, डायल की ओर से ब्याज के दावों के लिए 1076.3 मिलियन रुपए की आकस्मिक देयता की व्यवस्था की गई है।

डायल की ओर से दिनांक 31.03.2014 की एक लेखा विवरणी प्राप्त हुई है। खातों में डायल द्वारा दर्शाए गए शेषों में, मुख्यतः पार्किंग प्रभारों, स्पेस मिलान इत्यादि जैसे देयों में अंतरों के कारण, कुछ विभिन्नताएं हैं जिनका समाधान एवं लेखाबद्ध करने की जरूरत है। तथापि, डायल की ओर से कोई पृथक शेष का पुष्टिकरण उपलब्ध नहीं है। सीआईएएल के साथ ये खाते तथापि पुष्टि, मिलान और लेखाकरण समायोजनों के अधीन हैं, इस कारण पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

66- Hkkjrh; foekuiÙku ikfékdj.k ¼,,vkbZ½

(क) नागर विमानन मंत्रालय के तत्त्वावधान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ दिनांक 26.08.2013 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए जिसके माध्यम से एआईएल द्वारा एएआई को देय राशि का मंत्रालय द्वारा निर्धारण कर दिया गया। तद्नुसार कंपनी के बही–खातों में लेखाकरण प्रविष्टियां कर दी गई हैं जिनका दिनांक 31.03.2012

को समझौता ज्ञापन के साथ समाधान किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 में एएआई की ओर से की गई अनुवर्ती बिलिंग को समझौता ज्ञापन के अंतर्गत हुए समझौते के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। एएआई ने बकाया राशि पर उनके देयों के लिए ब्याज भी वसूल किया था जो कि विवाद का विषय रही है क्योंकि एआई द्वारा किए गए विलंबित भुगतानों से एएआई को कोई हानि नहीं हुई है। समझौता ज्ञापन के अनुसार ब्याज 9% की दर से वसूल किया जाना है किन्तु यह भी देखा जाना है कि समझौता ज्ञापन के अनुसार 9% का ब्याज किस पर लगाया जाना है। नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त पत्र के अनुसार, 760.0 मिलियन रुपए की राशि वर्ष 2012–13 के लिए ब्याज की आकस्मिक देयता के रूप में प्रदान की गई थी। समझौता ज्ञापन के अनुसार दिनांक 31.03.2012 तक के देयों के लिए वर्ष 2012–13 और 2013–14 की अवधि के लिए ब्याज की गणना 697.8 मिलियन रुपए की गई है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन मंत्रालय की ओर से कोई आदेश प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2012–13 और 2013–14 से संबंधित देयों के लिए कंपनी ने वर्ष 2012–13 में 176.20 मिलियन रुपए की एक अतिरिक्त आकस्मिक देयता तथा वर्ष 2013–14 के दौरान ब्याज के रूप में 534.5 मिलियन रुपए प्रदान किए हैं। इस प्रकार 31 मार्च 2014 को कुल 1408.3 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष 760.0 मिलियन रुपए) ब्याज के लिए आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाए गए हैं।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनुसार बकाया राशि का पता नहीं लगाया जा सका है क्योंकि इसकी पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी के खातों के अनुसार, 9257.7 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष : 10335.6 मिलियन रुपए) की स्थायी देयता और 1421.6 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष:816.8 मिलियन रुपए) की आकस्मिक देयता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ खाता पुष्टिकरण और समाधान के अधीन है। वर्ष के दौरान आए देयों के निपटान के आधार पर 103.2 मिलियन रुपए की राशि 31 मार्च 2012 तक के यातायात देयों से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान के रूप में पुनरांकित कर दी गई है। उपर्युक्त बकाए में 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए एएआई को देय 1331.4 मिलियन रुपए की राशि भी सम्मिलित हैं। इस खाते की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ पुष्टि, मिलान और लेखाकरण समायोजन किया जाना शेष है जिसका प्रभाव, यदि कोई है, का निर्धारण नही दिया जा सकता है।

67- e l l th,pvkb,,y gnjkckn

जीएचआईएएल, हैदराबाद से प्राप्त पुष्टिकरण के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को उनकी बहियों के अनुसार देय राशि 1982.5 मिलियन रुपए है। तथापि एआई की बहियों के अनुसार कुल देय राशि 1384.4 मिलियन रुपए है। विलंबित भुगतानों के कारण मैसर्स जीएचआईएएल द्वारा ब्याज के दावे की राशि 551.0 मिलियन रुपए का लेखांकन नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी को ब्याज माफ किए जाने की आशा है। तथापि, उसे आकस्मिक देयता के रूप में लिया गया है। मैसर्स जीएचआईएएल के साथ खातों का मिलान किया जा रहा है आवश्यक लेखाकरण समायोजन यथासमय कर लिया जाएगा।

68- नागर विमानन मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार, वर्ष 2013–14 के दौरान कंपनी द्वारा हज गतिविधियां जारी रखी गईं। एअर इंडिया द्वारा कुल 46401 हज यात्री जद्दाह और मदीना ले जाए गए। हज यात्रियों के वहन के लिए सरकार की ओर से कुल 4223.8 मिलियन रुपए की राशि प्राप्त की गई जिसे चार्टर राजस्व के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। चार्टर उड़ानों पर हज़ यात्रियों के वहन का खर्च संबंधित लेखा–शीर्षों के अंतर्गत बुक किया गया है।

69- l xeV fjikfVx

क) कंपनी एयरलाइन से संबद्ध व्यापार से जुड़ी है जो उसका मुख्य व्यापार सेगमेंट है, इसलिए सेगमेंट परिणामों का खुलासा नहीं किया गया है। भौगोलिक रूप से क्षेत्रवार अर्जित राजस्व के ब्यौरे (जिस क्षेत्र में बिक्री की गई, उस क्षेत्र में राजस्व आंबटित करके निकाले गए हैं) नीचे दिए गए हैं:–

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2013&14	2012–13
क)	यू एस ए/कनाडा	17346-6	15117.5
ख)	यू के/यूरोप	14606-1	11546.4
ग)	एशिया (भारत को छोड़कर), अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया	26335-0	25142.6
घ)	भारत	125421-9	108471.9
	dy	183709-6	160278.4

ख) कंपनी की प्रमुख राजस्व अर्जित करने की परिसंपत्ति उसका विमान बेड़ा है जिसे सुविधानुसार विश्वभर के रूट नेटवर्क पर तैनात किया जाता है। भौगोलिक सेगमेंट के अनुसार परिसम्पत्तियों और देयताओं के आबंटन का कोई उचित आधार नहीं है। परिणामस्वरूप क्षेत्रवार परिसंपत्तियों और देयताओं का खुलासा नहीं किया गया है।

ग) टर्न अराउंड योजना में, ग्राउंड हैंडलिंग और इंजीनियरिंग सर्विसेज़ बिजनेस को सहायक कंपनियों अर्थात् एआईएटीएसएल और एआईईएसएल में अंतरित किया जाना प्रस्तावित है। अंतरण की प्रक्रिया को वर्ष के अंत तक पूरा किया जाना है, इन सेवाओं से संबंधित व्यय एवं राजस्व को लाभ एवं हानि विवरणी में सम्मिलित करना जारी रखा गया है। ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं से संबंधित वास्तविक डाटा को एकत्र किया जाना शेष है, वित्तीय विवरणी में सम्मिलित इंजीनियरिंग सेवाओं से संबंधित राजस्व एवं व्यय नीचे दिया गया है। निम्नानुसार, इंजीनियरिंग सेवा गतिविधियों के लिए निवल हानि 3436.7 मिलियन रुपए है और इंजीनियरिंग सेवाओं को छोड़कर जो कंपनी की हानि है वह 59359.3 मिलियन रुपए है जो इस प्रकार है:

	fooj.k	,vj bfM;k fy- dk iFkd	bt h-	,vj bfM;k fy- dk dy
¼d½	jktLo			
i)	jktLo	190468.4	466.5	190934.9
	dy jktLo	190468-4	466-5	190934-9
¼[k½	0;;			
i)	प्रचालन व्यय	148846.8		148846.8
ii)	कर्मचारी हित लाभ व्यय	23757.7	7764.2	31521.9
iii)	हैंडलिंग व्यय (*)	12953.5	(4090.0)	8863.5
iv)	वित्त लागत	40713.4	0.0	40713.4
v)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	18726.7	229.0	18955.7
vi)	अन्य व्यय	16333.7		16333.7
vii)	पूर्वावधि व्यय	(1033.1)		(1033.1)
	dy 0;;	260298-7	3903-2	264201-9
	विशिष्ट / असाधारण मदें	10471.0		10471.0
	dj i'pkr fuoy gkfu	¼59359-3½	¼3436-7½	¼62796-0½
	bchvkbVhMh, ¼3 ch&777 ,yvkj dh fcØh ij gkfu dk NkM+dj½	5769-8	¼3207-7½	2562-1

(*) ऊपर दर्शाए गए 4090.0 मिलियन रुपए के हैंडलिंग प्रभार एआईईएसएल के गठन हेतु कैबिनेट नोट में दिए गए आंकड़ों के आधार पर गणना की गई बजट राशि पर आधारित हैं।

(**) ये विवरण प्रबंधकवर्ग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार हैं और लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित नहीं हैं।

70- lacfèkr ikVh }kjk fd;k x;k yu&nu % lgk;d daifu;ka ij ol yk x;k C;kt

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा मानक (एएस–18) के अनुसार "संबंधित पार्टी लेन–देन के विवरण" के बारे में यथा अपेक्षित घोषणाएं नीचे दी गई हैं :–

क. प्रमुख प्रबंधन कर्मी एवं संबंधी: (31 मार्च, 2014 को और 20 अक्तूबर, 2014 तक)

Ø- la-	uke	cksMZ eas in	inuke
1.	श्री रोहित नंदन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री सैय्यद नासिर अली	कार्यात्मक निदेशक	संयुक्त प्रबंध निदेशक
3.	श्री एस. वेंकट	कार्यात्मक निदेशक	निदेशक (वित्त)
4.	श्री निखिल कुमार जैन	कार्यात्मक निदेशक	निदेशक–कार्मिक
5.	श्री गुरूचरण दास	स्वतंत्र निदेशक	प्रबंधन परामर्शदाता एवं लेखक (29 मई, 2013 से नियुक्त)
6.	डॉ. प्रेम व्रत	स्वतंत्र निदेशक	प्रो. कुलपति एवं प्रोफेसर, आईटीएम यूनिवर्सिटी, गुडगांव (29 मई, 2013 को प्रभावी)
7.	श्री के.के. नोहवार	स्वतंत्र निदेशक	एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) पीवीएसएम वीएम (29 मई, 2013 से प्रभावी)
8.	डा. रविन्द्रा एच.ढोलकिया	स्वतंत्र निदेशक	प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद (29 मई, 2013 से प्रभावी)
9.	सुश्री रेनूका रामनाथ	स्वतंत्र निदेशक	संस्थापक–मल्टीप्लस ऑल्टरनेट एसेट मैनेज़मैंट प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (29 मई, 2013 से प्रभावी)
10.	श्री पंकज श्रीवास्तव	कार्यात्मक निदेशक	निदेशक – वाणिज्य (01 अक्तूबर, 2013 से प्रभावी)
11.	सुश्री एम. सत्यवती	सरकार द्वारा नामित	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय (26 फरवरी, 2014 से प्रभावी)
12.	श्री जी अशोक कुमार	सरकार द्वारा नामित	संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (23 अप्रैल, 2014 से पदमुक्त)
13.	श्री अरुण कुमार	सरकार द्वारा नामित	संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (23 अप्रैल, 2014 से प्रभावी)

वर्ष 2013–14 के दौरान तथा 20 अक्तूबर 2014 तक हुए परिवर्तन

Ø-l-	uke	ckMZ esa in	inuke
1.	श्री एस मछेन्द्रनाथन	सरकार द्वारा नामित	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय (19 नवम्बर, 2013 से पदमुक्त)
2.	डॉ. प्रभात कुमार	सरकार द्वारा नामित	संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (11 फरवरी, 2014 से पदमुक्त)
3.	श्री विपिन कु. शर्मा	कार्यात्मक निदेशक	एसबीयू प्रमुख–एमआरओ (इंजन एवं कंपोनेंट) (30 सितम्बर 2013 से पदमुक्त)
4.	श्री के.एम. उन्नी	कार्यात्मक निदेशक	एसबीयू प्रमुख–एमआरओ (एयरफ्रेम) (30 नवम्बर 2013 से पदमुक्त)
5.	श्री ज्ञान दीपक बरारा	कार्यात्मक निदेशक	निदेशक वाणिज्य (30 सितम्बर से पदमुक्त)
6.	श्री जी अशोक कुमार	सरकार द्वारा नामित	संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (11 फरवरी, 2014 से प्रभावी और 23 अप्रैल, 2014 को पदमुक्त)

d- izeq[k izca/ku dfeZ;ksa ds lkFk fd;k x;k ysu&nsu%

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यात्मक निदेशकों के वेतन एवं परिलब्धियों और स्वतंत्र निदेशकों की सिटिंग फीस (दिनांक 19 जुलाई, 2013 को आयोजित एआईएल की 54वीं बोर्ड बैठक में दिए गए अनुमोदन के अनुसार) को छोड़कर प्रमुख प्रबंध कर्मियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन नहीं किया गया ।

(ii) सामान्य तौर पर एयरलाइन व्यवसाय के लिए एयरलाइन से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने जैसे लेन–देन को उपरोक्त में शामिल नहीं किया गया है।

[k- l;qDr m|e dh 0;oLFkk,a%

क. <u>बेंगलूरू में मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि0 (एचएएल) के साथ संयुक्त कार्य समूह</u>

वर्ष के दौरान, बेंगलूरू एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग व्यवस्था के लिए एचएएल के साथ संयुक्त कार्य समूह व्यवस्था के तहत कंपनी को 11.7 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 15.5 मिलियन रुपए) का लाभ हुआ।

लंबित मुकदमे के कारण, एचएएल ने बेंगलूरू में एचएएल–एआई जेडब्ल्यूजी समझौते के तहत उपलब्ध कराए गए एआई लाभांश के 99.6 मिलियन रुपए (गत वर्ष – 99.6 मिलियन रुपए) की राशि के भुगतान को रोक दिया है।

ख. <u>मैसर्स सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज़ (सैट्स), सिंगापुर के साथ संयुक्त उद्यम</u>

कुछ एयरपोर्टों पर एयरलाइनों को ग्राउंड हैंडलिंग उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने सैट्स, सिंगापुर के साथ 50:50 के इक्विटी अनुपात पर संयुक्त उद्यम अनुबंध किया है। यह ग्राउंड हैंडलिंग नीति पर भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसरण में है।

कंपनी ने पारस्परिक सहमति के अनुसार कंपनी/एआई–सैट्स द्वारा जारी इन्वाइसों के आधार पर विभिन्न लोकेशनों के लिए एआई–सैट्स से राजस्व/व्यय का परिकलन किया है क्योंकि दिनांक 31 मार्च, 2014 को एआई–सैट्स के साथ करार को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

वर्ष के दौरान, एआई–सैट्स द्वारा एअर इंडिया को प्रदत्त अन्य सेवाओं और हैंडलिंग प्रभार के लिए कुल 2196.0 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष: 2238.4 मिलियन रुपए) का बिल जारी किया गया और एअर इंडिया द्वारा एआई सैट्स पर कुल 1311.7 मिलियन रुपए (पिछले वर्ष: 1552.0 मिलियन रुपए) का बिल जारी किया गया।

कंपनी के बही खातों के अनुसार, दिनांक 31.3.2014 को एआई–सैट्स को देय बकाया राशि 430.7 मिलियन रुपए है और एआई सैट्स की ओर से प्राप्त हुए बकाया के पुष्टिकरण के अनुसार निवल देय बकाया राशि 442.7 मिलियन रुपए है। 12 मिलियन रुपए का निवल अंतर मिलान के अधीन है और आवश्यक लेखाकरण समायोजन यथा समय कर लिया जाएगा।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान एआई–सैट्स संयुक्त उद्यम को कर पश्चात् 421.5 मिलियन रुपए का लाभ हुआ और वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम द्वारा 15 प्रतिशत के लाभांश की घोषणा की गई।

ग) वर्ष के अंत तक कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों अथवा उनके रिश्तेदारों पर किसी प्रकार का ऋण या क्रेडिट लेन–देन बकाया नहीं है जिसका कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत लेखों में प्रकटीकरण आवश्यक है।

घ) कंपनी की राय में, विभिन्न एयरलाइनों, निजी पार्टियों के साथ किए गए समझौते जिन्हें "ज्वाइंट ऑपरेशन/कोड शेयर एग्रीमेंट्स" कहा गया है, लेखा मानक (एएस–18) तथा (एएस–27) में उल्लिखित संयुक्त उद्यम की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते, इसलिए उन्हें उक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है।

ड.) कंपनी की सहायक कंपनियां एएस–18 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम हैं और इसलिए कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनियों के साथ किए गए लेन–देन संबंधित पार्टी लेन–देनों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते।

71- i|cèkdh; ikfjJfed%

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	2013&14	2012–13
d½	vè;{k o i|cèk funs'kd		
	वेतन और भत्ते	2-1	1.5
	(इसमें परिलब्धियों का मूल्य 0.02 मिलियन रुपए शामिल है)		
[k½	dk;kZRed funs'kd		
(i)	वेतन और भत्ते	12-1	13.0
	(इसमें परिलब्धियों का मूल्य 0.2 मिलियन रुपए शामिल है।)		
(ii)	भविष्य–निधि में अंशदान	0-5	0.5

टिप्पणी : भविष्य निधि से इतर सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में, चूंकि इन्हें वैश्विक आधार पर किया गया है, अतः कोई आबंटन नहीं किया गया।

72- yht

¼d½ foÙk yht

(क) वित्त लीज के अंतर्गत 01 अप्रैल, 2001 के बाद अर्जित विमान बेड़े तथा उपकरणों को एकमुश्त खरीद मान लिया गया है। लीज़ पर ली गई इन परिसंपत्तियों की लागत 192797.9 मिलियन रुपए (गत वर्ष 205082.7 मिलियन रुपए) है। दिनांक 31 मार्च, 2014 को भविष्य की लीज़ बाध्यता 120257.3 मिलियन रुपए (गत वर्ष 133575.1 मिलियन रुपए) है।

(ख) भविष्य के न्यूनतम लीज़ किराये पर देयताएं निम्नानुसार हैं :–

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	31-3-14 dk	31.3.13 को
क)	ब्याज सहित न्यूनतम लीज़ भुगतान की बकाया राशि।		
	– एक वर्ष से कम अवधि में	22989-7	16909.3
	– एक वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम अवधि में	65524-3	70410.6
	– पांच वर्ष से अधिक अवधि में	37230-4	54280.6
	dqy	125744-4	141600.5
ख)	उपरोक्त (क) का वर्तमान मूल्य		
	– एक वर्ष से कम अवधि में	21592-7	15071
	– एक वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम अवधि में	61938-4	65327.3
	– पांच वर्ष से अधिक अवधि में	36726-2	53176.8
	dqy(*)	120257-3	133575.1
ग)	वित्त प्रभार	5487-1	8025.4

नोटः एलआईबीओआर को 0.5% मानते हुए ब्याज की गणना की गई।

¼[k½ vkijfVx yht

क) कंपनी ने रद्द न की जा सकने वाली ऑपरेटिंग लीज़ पर 15 विमान (एआई:7बी–787 तथा 2 बी–747 तथा आईएएल : 6 विमान) (पिछले वर्ष लीज़ पर 15 विमान) लिए हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान 7बी 787–8 विमानों के लिए सेल तथा लीज़ बैक व्यवस्था की है। यह व्यवस्था 12 वर्ष की अवधि के लिए तथा रद्द न की जा सकने वाली ऑपरेटिंग लीज पर की गई है। जैसाकि 787 विमान एक अत्याधुनिक विमान है जिसे वर्ष 2012 के अंत में बोईंग द्वारा विमानन बाजार में लाया गया था, अतः इन विमानों के पुनः विक्रय के लिए कोई सेकेंडरी बाजार उपलब्ध नहीं है। अतः इस सौदे में विक्रय मूल्य जिसका निर्धारण उचित सार्वजनिक टेंडर पर आधारित था, इन विमानों के उचित बाजार मूल्य को दर्शाता है। 31 मार्च, 2014 के अनुसार भविष्य का न्यूनतम लीज़ किराया 60628.4 मिलियन रुपए (गत वर्ष : 5824.1 मिलियन रुपए) है।

दिनांक 01 अप्रैल 2001 के बाद अर्जित लीज के लिए भविष्य के न्यूनतम लीज किराए पर देयताएं निम्नानुसार हैं:

¼#i, fefy;u e½

	fooj.k	31 ekp] 2014 dk	31 मार्च, 2013 को
क)	एक वर्ष से कम अवधि में	7414-4	3274.6
ख)	एक वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से कम	21736-2	2549.5
ग)	पांच वर्ष से अधिक अवधि में	31477-8	0.0
	dy	60628-4	5824-1

तथापि, अवधि से पूर्व लीज़ समाप्त करने पर समझौते की शर्तों के अनुसार पट्टाधारी को भुगतान करना अपेक्षित होगा। लीज़ पर लिए गए विमानों के संबंध में 5341.1 मिलियन रुपए (गत वर्ष 5322.4 मिलियन रुपए) का लीज़ किराया व्यय, वर्ष के लाभ–हानि खाते में दर्शाया गया है।

ख) कंपनी ने विभिन्न आवासीय/वाणिज्यिक परिसर रद्द की जा सकने वाली ऑपरेटिंग लीज़ पर लिए हैं। उपर्युक्त में से समाप्त लीज़ संबंधी विवरण संकलित किया जा रहा है।

ग) कंपनी ने वाहनों तथा कार्यालय उपकरणों को भी क्रय के विकल्प के साथ ऑपरेटिंग लीज़ पर लिया है जिनकी हकदारी अन्ततः अंतरित हो भी सकती है और नहीं भी। यह परिसंपत्तियां विभिन्न स्टेशनों पर हैं तथा संचित रूप से बहुत अधिक नहीं हैं। इस संबंध में भावी दायित्वों का पूर्ण विवरण संकलित नहीं किया जा सकता है, चूंकि राशि अधिक नहीं है अतः इसे प्रकट नहीं किया गया है।

73- 7 ,&320 ,l,ych foeku ykxr dk ifj'kks/ku%

एअर इंडिया लिमिटेड ने मार्च 2007 में 7 ए–320 विमानों के लिए सेल तथा लीज बैक (एसएलबी) व्यवस्था की है। इन विमानों की एसएलबी अवधि के अंत में एअर इंडिया ने सितम्बर, 2013 में पट्टादाता मैसर्स इन्वेस्टेक के साथ नया करार किया है। नए करार की शर्तों के अनुसार एअर इंडिया को पट्टादाता को प्रति विमान 4.1 मिलियन यूएस डालर की दर से रिलीज़ राशि का भुगतान करना था तथा मार्च, 2007 में हस्ताक्षरित मूल लीज़ करार के अंतर्गत निर्धारित पुनः डिलीवरी की शर्तों में विमान की पुनः डिलीवरी की सभी बाध्यताओं से पट्टेदार को मुक्त करना था।

यह नया करार, सितम्बर, 2015 या विमान के विक्रय होने तक, जो भी पहले हो, तक वैध है। इस करार के अनुसार विमान का हक तथा बीमा पट्टादाता के पास रहेंगे तथा पट्टेदार विमान तथा इसके कंपोनेन्ट्स के परिचालन तथा रख–रखाव के लिए प्राधिकृत है। करार के अंतर्गत विमान के भावी विक्रय के विकल्प का भी प्रावधान है जिसमें इन विमानों की विक्रय की प्रक्रिया पट्टेदार को प्रति विमान प्रति माह की दर से 1 यूएस डॉलर नोशनल लीज किराया समझौते के समाप्त होने तक या भावी विक्रेता को इन विमानों का विक्रय करने तक देना होगा।

इन विमानों की उपयोगी राजस्व अर्जित करने की तकनीकी आयु है तथा पट्टेदार होने के नाते एआईएल 2013–14 के बाद की अवधि में भी इन विमानों के प्रचालन से राजस्व अर्जित करेगा। तद्नुसार वर्ष 2013–14 के दौरान प्रति विमान 4.1 मिलियन यूएसडी की एकमुश्त रिलीज़ राशि को इन विमानों की शेष उपयोगी तकनीकी आयु में यथानुपात परिशोधित कर दिया गया है।

इन 07 विमानों में से 2 मरम्मतयोग्य विमानों के लिए जारी की गई 510.5 मिलियन रुपयों की राशि को चालू वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान विस्तारित कर दिया गया क्योंकि इन विमानों से सृजित हो रहे राजस्व का कोई मिलान नहीं किया जा रहा है। तद्नुसार पालन की जा रही लेखाकरण नीति के संदर्भ में, 1269.4 मिलियन रुपयों की शेष राशि में से पांच विमानों

से संबंधित 318.6 मिलियन रुपयों को 2013–14 के दौरान प्रभारित किया गया तथा 950.8 मिलियन रुपयों को अन्य ऋण तथा अग्रिम –पूर्व प्रदत्त व्यय के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसे वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 के दौरान परिशोधित किया जाना है।

74- ,;jykbu ,ykbM lfoZlst fy0 ¼,,,l,y½&iw.kZ LokfEkRo okyh lgk;d daiuh%

एआईएल और एएएसएल के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी एएएसएल को व्यापक आधारभूत संरचना और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करा रही है। समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष के दौरान एएएसएल से इस प्रकार की प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक सहायता के लिए हैंडलिंग प्रभार और एटीआर/सीआरजे विमान के आंतरिक अनुरक्षण प्रभार वसूल किए गए हैं। तथापि, दिनांक 31 मार्च, 2014 को एएएसएल से कंपनी द्वारा 8532.0 मिलियन रुपए (गत वर्षः 5649.9 मिलियन रुपए) की राशि प्रापण योग्य है जोकि समाधान के अधीन है।

75- (क) कंपनी की सहायक कंपनियों के संचित घाटे हैं तथा 31.03.2014 को इन कंपनियों के निवल मूल्य में कमी आई है। तथापि वर्तमान टर्न अराउंड योजना तथा पुनर्संरचना के चलते प्रबंध वर्ग के मतानुसार निवेश मूल्य के ह्रास को स्थायी नहीं माना जा सकता। अतः इस प्रकार के घाटे के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कंपनियों को हुई संचित हानि से संबंधित सूचना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के तहत अपेक्षित संलग्न विवरण में दी गई है। इन सहायक कंपनियों के प्रचालनों की निरंतरता के मद्देनज़र 31.03.2014 को बकाया 27690.3 मिलियन रुपए की राशि के अग्रिमों के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया। (गत वर्षः 20188.7 मिलियन रुपए)।

(ख) एफआरपी के तहत कंपनी केवल अपनी कार्यशील पूंजी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उधार ले सकती है। तथापि सहायक कंपनियों से देय ऋण के कारण कंपनी को अधिकतर राशि का उधार लेना पड़ा जिस कारण अतिरिक्त ब्याज लागत वहन करनी पड़ी। अतः यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 से कंपनी अपनी कार्यशील पूंजी ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज को सहायक कंपनियों में प्रभारित करेगी जो 31.03.2014 के अनुसार सहायक कंपनियों के वसूल योग्य शेष के बकायों के अनुपात में होगी। तद्नुसार वर्ष के दौरान कपंनी ने 31.03.2014 के अनुसार सहायक कंपनियों से प्राप्य बकाया देयों पर ब्याज लागत की प्रतिपूर्ति/सहभागिता के लिए सहायक कंपनियों में 2484.9 मिलियन रुपयों की राशि को डेबिट किया।

76- अन्य विदेशी एयरलाइनों के साथ कंपनी के विरुद्ध विदेश में एक क्लास एक्शन मुकदमा लंबित है, जिसके वित्तीय प्रभाव निश्चित नहीं है।

77- deZpkfj;ksa dks Hkqxrku rFkk ikoèkku%

(क) 31 दिसंबर, 2006 तक की अवधि के लिए वेतन समझौते हेतु, वास्तविक देयता को अंतिम रूप देने तक तदर्थ आधार पर वेतन बकाया देयताओं में 2386.4 मिलियन रु. (निवल) (गत वर्ष 3419.2 मिलियन रु.) (निवल) की देयता शामिल है।

(ख) पीएसयू पर लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार घाटे में चल रहे पीएसयू में कार्यरत कर्मचारियों को कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकती। कंपनी को 01 जनवरी, 2007 से घाटा हो रहा है अतः वेतन वृद्धि/समझौते के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ग) विलयित इकाई में वेतन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार वेतनमानों में एकरूपता लाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जस्टिस धर्माधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2012 में मंत्रालय को सौंप दी थी। परिणामस्वरूप प्रबंधन द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए युक्तिसंगत वेतनमानों को निर्धारित किया गया। प्रबंध वर्ग जुलाई 2012 से धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों को देय भत्तों की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान कर रहा है।

जस्टिस धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर, सामान्य काडर के अधिकारियों (जीसीओ) के वेतन ढांचे को अक्तूबर 2014 से लागू कर दिया गया है। सेवानिवृत लाभ जैसे ग्रेच्यूटी तथा अवकाश नकदीकरण को छोड़कर कार्यान्वित श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 3040 कर्मचारियों का अनुमानित प्रभाव प्रति माह लगभग 20 मिलियन रुपए हैं। कंपनी ने कुल कर्मचारियों के प्रभाव का भी अनुमान लगाया है जो प्रतिमाह लगभग 10 मिलियन हैं चूंकि प्रभाव को विस्तार से व्यवस्थित आधार पर नहीं लगाया गया है, अतः कार्यान्वित तथा अन्य कर्मचारियों दोनों के मामले में सही प्रभाव निश्चित नहीं किया जा सका है। तथापि, एअर इंडिया लिमिटेड के लाइसेंस श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते को औद्योगिक पद्धति के अनुसार युक्तिसंगत बनाने के लिए एमओसीए द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2013 को सीसीईए को प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रति वर्ष 3200.0 मिलियन रुपयों की बचत हो सकेगी।

जिन कर्मचारियों पर सिफारिशें लागू हो गई हैं केवल उन कर्मचारियों के ग्रेच्यूटी और अवकाश नकदीकरण के प्रावधान को अलग से निश्चित नहीं किया जा सका। रिपोर्ट के पूर्ण कार्यान्वयन पर ग्रेच्यूटी तथा अवकाश नकदीकरण के बीमांकिक देयता की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है।

तथापि जुलाई 2012 से मार्च 2014 तक विभिन्न श्रेणियों को भुगतान किए जाने वाले भत्तों की 25 प्रतिशत देयता का आकस्मिक देयता में प्रावधान किया गया हैं क्योंकि कई समयोजनों के प्रभाव को सही तौर पर निश्चित करना संभव नहीं है जिसके कारण कुछ कर्मचारियों से वसूली/देनदारी भी संभव है। उदाहरण के लिए कंपनी के आवास का लाभ उठा रहे कर्मचारियों के मामले में जो एचआरए लाभ के हकदार नहीं हैं, उनसे वसूली की जाएगी। इसके अलावा कुछ भत्ते जैसे मनोरंजन, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं आदि जिन्हें जेडीसी रिपोर्ट के आधार पर बंद कर दिया गया है। उनके संबंध में भी वसूलियां की जाएंगी।

तदनुसार 25% भत्तों के संबंध से कंपनी ने आकस्मिक देयता के लिए 6738.6 मिलियन (गत वर्ष : 2361.4 मिलियन रुपए) रुपयों का प्रावधान किया है।

(घ) टीएपी/एफआरपी के तहत कंपनी ने 10569 कर्मचारियों को दिनांक 01 फरवरी, 2013 से अपनी दो सहायक कंपनियों एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड (एआईईएसएल) और एअर इंडिया एअर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (एआईएटीएसएल) में स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त किया है। बाद में, एआईईएसएल में स्थानांतरित किए गए कर्मचारी प्रबंध वर्ग के निर्णय के विरुद्ध बॉम्बे उच्च न्यायालय में चले गए। मुंबई उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण के निर्णय को कायम रखा जिसके बाद वे कर्मचारी स्पेशल लीव पेटिशन (एसएलपी) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में गए, उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी को दिनांक 09 मई, 2013 को प्रबंध वर्ग द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया कि वह स्थानांतरण की तिथि से 18 महीने की अवधि के भीतर स्थानांतरित कर्मचारियों की स्वीकृत देयराशि, यदि कोई हो, का निपटान कर देगा। इसी प्रकार से, एआईएटीएसएल में स्थानांतरित किए गए कर्मचारी स्थानांतरण पर रोक लगाने के लिए चेन्नै उच्च न्यायालय चले गए और वह मामला न्यायाधीन है। दरों को अंतिम रूप दिए जाने और सहायक कंपनियों को प्रचालनीकरण के लंबित होने के कारण, कंपनी ने उपर्युक्त स्थानांतरणों को वर्ष 2013–14 के बहीखातों में प्रभावी नहीं किया है।

(ङ) केबिन यूनियनों के साथ हुए नए वेतन समझौते के अनुसार बही खातों में, उड़ान भत्तों के बकाया हेतु 500.4 मिलियन रुपए का तदर्थ प्रावधान किया जा रहा है।

78- deZpkfj;ksa dks fgr ykHk

d½ ifjHkkf"kr fgr ykHk ;kstuk dk lkekU; fooj.k

क. उपदान: उपदान भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को अधिवर्षिता, मृत्यु, स्थायी अशक्तता होने पर उपदान देय होता है।

ख. छुट्टी नकदीकरण: सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 300 दिनों तक की प्राधिकार छुट्टी के नकदीकरण के हकदार हैं। तथापि 1 अप्रैल 2013 से समाप्तियोग्य प्राधिकार छुट्टी का नकदीकरण अब केवल प्रचालनात्मक श्रेणियों के लिए ही देय होगा।

ग. बीमारी की छुट्टी का नकदीकरण: सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 120 दिनों तक की बीमारी की छुट्टी का नकदीकरण इस शर्त पर करा सकते हैं कि कर्मचारी के खाते में उस समय कम से कम 60 दिन की बीमारी की छुट्टी शेष हों। वर्ष के दौरान, यह निर्णय भी लिया गया था कि दिनांक 01.07.2012 को सभी मौजूदा कर्मचारियों के जमा खाते में शेष बीमारी की छुट्टी फ्रीज हो जाएंगी और कर्मचारी केवल सेवानिवृत्ति के समय उन छुट्टियों का नकदीकरण इस शर्त पर करा सकेगा कि उसने सेवानिवृत्ति के समय वे छुट्टियां समाप्त न कर दी हों। इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी लिया गया कि दिनांक 01.07.2012 के बाद जमा की गई बीमारी की छुट्टियों का नकदीकरण नहीं किया जाएगा और कर्मचारी को वे छुट्टियां लेनी ही होंगी। अन्यथा वह समाप्त हो जाएंगी।

¼[k½ ifjHkkf"kr va'knk;h ;kstuk

कर्मचारी भविष्य निधि : भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत कंपनी में कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट है जो पात्र कर्मचारियों की भविष्य निधि योजना को नियंत्रित करती है। कंपनी तथा कर्मचारी निधि में पी एफ वेतन का 10 प्रतिशत का अंशदान देते हैं जिसमें से कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाता है।

¼x½ ifjHkkf"kr fgr ykHk ;kstuk&minku o lsokfuo`Ùk i'pkr fpfdRlk lqfoèkk,a ¼vfufèkc)½
लेखांकन मानक–15 के अनुसार घोषणा :–

¼#i, fefy;u esa½

	fooj.k	minku		lsokfuo`Ùk i'pkr fpfdRlk ykHk	
		31-3-14 dks vuqlkj	31-3-13 dks vuqlkj	31-3-14 dks vuqlkj	31-3-13 dks vuqlkj
¼d½	fgr ykHk ck/;rk esa ifjorZu gsrq lek.kh%				
	वर्ष के प्रारंभ में देयता	9631-3	8545.1	1795-0	1611.1
	ब्याज लागत	770-5	714.3	143-6	132.9
	वर्तमान सेवा लागत	335-4	329.4	552-6	490.1
	पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	0-0	0.0
	प्रदान किए गए हित लाभ	¼1084-8½	(1089.6)	¼434-9½	(356.4)
	बाध्यता में बीमांकिक (लाभ)/हानि	¼196-3½	1132.1	¼21-7½	(82.7)
	o"kZ ds var esa ns;rk	9456-1	9631.3	2078-0	1795.0
¼[k½	;kstuk ifjlaifÙk;ksa ds mfpr ewY; gsrq lek.kh%				
	वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	&	–	&	–
	योजना परिसंपत्तियों का अनुमानित प्रतिफल	&	–	&	–
	अंशदान	1084-8	1089.6	434-9	356.4
	प्रदान किए गए हित लाभ	¼1084-8½	(1089.6)	¼434-9½	(356.4)
	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	&	–	&	–
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	&	–	&	–
	;kstuk ifjlaifÙk;ksa ij dqy chekafdd ¼ykHk½@gkfu	0-0	0.0	0-0	0.0
¼x½	chekafdd ¼ykHk½@gkfu dh LohÑfr lek.kh%				
	अवधि हेतु बाध्यता में बीमांकिक (लाभ)/हानि	¼196-3½	1132.1	21-7	(82.7)
	अवधि हेतु परिसंपत्तियों की बीमांकिक (लाभ)/हानि	&	–	&	–
	ykHk&gkfu [kkrs esa n'kkZ, x, chekafdd ¼ykHk½@gkfu	¼196-3½	1132.1	21-7	(82.7)
¼?k½	rqyu i= esa n'kkZbZ xbZ jkf'k%				
	वर्ष के अंत में देयता	9456-1	9631.3	2078-0	1795.0
	वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	&	–	&	–
	rqyu i= esa n'kkZbZ xbZ jkf'k	9456-1	9631.3	2078-0	1795.0
¼M-½	ykHk rFkk gkfu [kkrs esa n'kkZ, x, O;;%				
	वर्तमान सेवा लागत	335-4	329.4	552-6	490.1
	ब्याज लागत	770-5	714.3	143-6	132.9
	योजना परिसंपत्तियों का अनुमानित प्रतिफल	&	–	&	–
	स्वीकृत निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	¼196-3½	1132.1	21-7	(82.7)
	पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	0-0	0.0	0-0	0.0
	ykHk&gkfu [kkrs esa n'kkZ, x, O;;	909-6	2175.8	717-9	540.3
¼p½	rqyu i= lek;kstu%				
	प्रारंभिक निवल देयता	9631-3	8545.1	1795-0	1611.1
	उपरोक्तानुसार व्यय	909-6	2175.8	717-9	540.3
	नियोक्ता का प्रदत्त लाभ	¼1084-8½	(1089.6)	¼434-9½	(356.4)
	ykHk&gkfu [kkrs esa n'kkZbZ xbZ fuoy ns;rk@ifjlaifÙk;ka	9456-1	9631.3	2078-0	1795
¼N½	o"kZ dk iz;qDr ewyHkwr chekafdd%				
	छूट की दर	9-29%	8.00%	9-26%	8.00%
	वेतन वृद्धि दर	5-50%	5.50%	&	–
	चिकित्सा लाभ मुद्रास्फीति दर	&	–	5-50%	5.50%
	एट्रीशन दर	2-00%	2.00%	2-00%	2.00%

79- vkLFkfxr dj ifjlifUk;k

कंपनी ने लागत कटौती और राजस्व में वृद्धि के लिए अनेक पहल की जिसके परिणामस्वरूप प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन में सुधार हुआ। इन उपायों में कुछ हानि वाले मार्गों को युक्तिसंगत बनाना; अंतरदेशीय तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर यात्रियों को और अधिक आकर्षित करने के लिए एकदम नए विमानों को लगाना; पुराने विमान बेड़े को फेज़ आउट करना तथा ग्राउंड करना; लीज़ पर लिए गए विमानों को वापस लौटाना; गैर–प्रचालनात्मक क्षेत्रों पर रोजगार में रोक लगाना; ईडी/आईबीओ की विदेश से भारत में तैनाती; कुछ स्थानों पर विदेशी ऑफलाइन कार्यालयों को बंद करना; एमआरओ राजस्व तथा कंपनी की भू–संपदा संपत्ति राजस्व में वृद्धि के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग; आईटी आधारभूत संरचना का उन्नयन तथा क्विक विन आईटी संसाधनों का कार्यान्वयन; एकल कोड तथा सैप ईआरपी आधारित समाधानों के लिए पीएसएस (यात्री सेवा प्रणाली) प्रारंभ करना; दिल्ली में एकीकृत प्रचालन नियंत्रण केन्द्र तथा हब नियंत्रण केन्द्र की स्थापना; सहायक कंपनियों जैसे एआईएटीएसएल तथा एआईईएसएल का प्रचालन तथा मानवशक्ति व उपकरणों का स्थानांतरण एवं उन्हें स्वतंत्र लाभ केन्द्र मानना; मध्यम क्षमता वाले लंबी दूरी के मार्गों पर बी–787 विमानों को लगाना; एसबीआई कैप्स द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार व्यापक वित्तीय पुनःसंरचना योजना (एफआरपी) को लागू करना सम्मिलित है।

भारत सरकार ने वर्ष 2021 तक 302310 मिलियन रुपए की इक्विटी जिसमें 67500 मिलियन रुपए का अपफ्रंट इक्विटी इंफ्यूज़न सम्मिलित है; 45520 मिलियन रुपए (वित्तीय वर्ष 2013 से वित्तीय वर्ष 2021) की नकद हानि को पूरा करने के लिए इक्विटी इंफ्यूज़न; 189290 मिलियन रुपए के गारंटिड विमान ऋण वित्तीय वर्ष 2021 के लिए इक्विटी प्रदान करने की अनुमति भी दे दी है।

भारत सरकार ने एफआरपी/टीएपी के तहत 31.03.14 तक 132000 मिलियन रुपए की इक्विटी लगाई है तथा इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 65000.00 मिलियन रुपए की राशि देने का प्रस्ताव है जिसमें से 30 सितम्बर, 14 तक 46600 मिलियन रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। प्रचालनात्मक पैरामीटरों के संदर्भ में वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 में कंपनी के निष्पादन में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान प्रचालनात्मक हानि में कमी आई।

कंपनी 11 जुलाई 2014 से स्टार एलायंस में शामिल हो गई जो एयरलाइन को वैश्विक संपर्क प्रदान करेगी। स्टार एलायंस की सदस्यता एआई को विश्वभर में 193 से अधिक देशों में 1269 गंतव्यों के लिए 18043 उड़ानों के नेटवर्क की सुविधा प्रदान करेगी। अतः एआई को विशाल वैश्विक नेटवर्क पर अद्वितीय पहुंच एवं संपर्क प्राप्त होगा। स्टार एलायंस की सदस्यता से, एलायंस की सदस्य एयरलाइनों के लिए/से क्रॉस फीड के परिणामस्वरूप यात्री राजस्व में 3–5% वृद्धि होने की आशा है तथा यात्रियों को एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन पर स्थानान्तरित करने के लिए निर्बाध अंतरण अनुभव प्राप्त होगा। स्टार एलायंस की सदस्य एयरलाइनों के साथ एक एफएफपी भागीदारी से यात्रियों को किसी भी सदस्य एयरलाइन पर एफएफपी अर्जित और उन्हें उपयोग करने के साथ–साथ पूरे नेटवर्क पर विभिन्न लाउंज में प्रवेश की सुविधा मिलेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वित्तीय टर्नअराउंड के साथ प्रचालनात्मक कुशलताओं युक्त टीएपी से एआई के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय निष्पादन दोनों में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त इक्विटी के रूप में भारत सरकार की सहायता, दीर्घकालीन ऋणों को पुनः संरचित कर ऋणदाताओं के सहयोग तथा ऋणदातों की पुनःसंरचना योजना को अनुमोदन देकर नियामकों के सहयोग से एआई "लाभप्रदता की ओर" अग्रसर है। उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप, एआई ने 2012–13 तथा 2013–14 में ईबीआईटीडीए सकारात्मक स्टेटस प्राप्त किया है तथा 2018–19 में नकदी सकारात्मक तथा 2021–22 मे पीएटी सकारात्मक होने की आशा है।

अतः आस्थगित कर परिसंपत्ति की स्वीकृति केवल आस्थगित कर देयता के स्तर तक ही निम्नानुसार की जाती हैः–

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	31-03-13 dk 'k"k	MhVh,@MhVh,y LohÑr ¼2013&14½	31-03-14 dk d|y MhVh,
¼d½ vkLFkfxr dj n|;rk			
(i) स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित	61266.9	1838.5	63105.4
(ii) एफसीएमआई लेखों से संबंधित	0.0	1051.2	1051.2
mi&tkM+ ¼d½	61266-9	2889-7	64156-0
¼[k½ vkLFkfxr dj ifjlifUk;k			
(i) असमाहित मूल्यह्रास	53017.2	2889.7	55906.9
(ii) व्यावसायिक हानि	32127.9		32127.9
(iii) आयकर अधिनियम के तहत अन्य अस्वीकृतियां	4547.0		4547.0
mi&tkM+ ¼[k½	89692-1	2889-7	92581-8
vkLFkfxr dj@¼n|;rk½ ¼fuoy½	28425-2	0-0	28425-2

80- ifr 'k;j vk; %

¼#i, fefy;u e½

fooj.k	31 ekp] 2014 d vuqlkj	31 मार्च, 2013 के अनुसार
कर के पश्चात् तथा असाधारण मदों के पूर्व लाभ/(हानि)	¼68929-9½	(65119.4)
घटा : असाधारण मदें	¼6133-9½	(10217.8)
कर तथा असाधारण मदों के पश्चात् लाभ/(हानि)	¼62796-0½	(54901.6)
इक्विटी शेयरों की वेटेड एवरेज संख्या	13181164384	5940687671
bih,l cfld o MkbY;VM		
क) असाधारण मदों से पहले (प्रति शेयर रुपए में)	¼5-20½	(11.00)
ख) असाधारण मदों के पश्चात् (प्रति शेयर रुपए में)	¼4-80½	(9.20)

81- l{e] NkV ,o e>kyk m|e fodkl vfekfu;e

सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्यमों से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है और एमएसएमई की पहचान के संबंध में एसएपी में मास्टर्स को अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी है और इसलिए संक्षिप्त आंकड़ा तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले विकास अधिनियम के तहत आने वाले ऐसे उपक्रमों को स्वीकृत किए गए स्तर तक का भुगतान सप्लायर की स्वीकृति से निर्धारित समय सीमा/तिथि के भीतर किया गया है और इसलिए विलंबित भुगतानों के लिए कोई ब्याज देय नहीं है। अन्य मामलों में, आवश्यक अनुपालन/प्रकटीकरण नियत अवधि में सुनिश्चित किया जाएगा।

82- कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II के पैरा 4–डी(क) से (ड.) पैरा (घ) को छोड़कर (जो कंपनी पर लागू नहीं है) के संदर्भ में तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते का भाग निर्मित करने वाली लेखा टिप्पणियों में प्रकटन आवश्यकताओं के अनुपालन में छूट के लिए निगमित कार्य मंत्रालय को एक पत्र लिखा गया है।

83- भारत सरकार द्वारा संबंधित अधिसूचना के अभाव में जिससे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत टर्नओवर पर देय उपकर की अवधि तथा लागू दर विनिर्दिष्ट की जानी है, इसे निर्धारित नहीं किया जा सका, अतः इसका प्रावधान नहीं किया गया है।

84- y[kk ijh{kdk dk ikfjJfed

लेखा–परीक्षा शुल्क और व्ययों का विवरण निम्नानुसार है :

¼#i;s fefy;u e½

fooj.k	2013&14	2012&13
लेखा–परीक्षा शुल्क – वर्ष के लिए	7.5	6.0
आउट ऑफ पाकेट व्यय *	1.3	1.9
dqy	8-8	7-9

*(भुगतान आधार पर लेखाबद्ध)

85- foÙkh; iqu% lajpuk ;kstuk

वित्तीय पुनः संरचना योजना (एफआरपी) जिसे कंपनी ने स्वयं को राहत पहुंचाने की दृष्टि से दिनांक 30 सितम्बर, 2011 को कंपनी के मौजूदा कार्यशील पूंजीगत ऋणों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए दिनांक 01 अक्तूबर, 2011 से कार्यान्वित किया है। एफआरपी ने कंपनी को अल्पावधि ऋण (एसटीएल) और दीर्घावधि ऋण (एलटीएल), निधिबद्ध ब्याज आवधिक ऋण (एफआईटीएल) और मूल्यांकित कार्यशील पूंजी पर भारतीय रुपए के ऋणों की दरों में 12–13 प्रतिशत तक की ब्याज दरों को कम करके 11 प्रतिशत की एक समान फ्लोटिंग दर के रूप में राहत प्रदान की है।

नवम्बर–दिसम्बर, 12 में, कंपनी ने 9.08 प्रतिशत की ब्याज दर पर 74000.0 मिलियन रुपए के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) जारी किए थे। एनसीडी से प्राप्त आय को एफआरपी ऋणदाताओं से लिए गए एसटीएल के पुनर्भुगतान के लिए इस्तेमाल किया गया है। एनसीडी जारी करने से कंपनी द्वारा ब्याज के भुगतान के रूप में राहत मिली है क्योंकि एसटीएल पर 11 प्रतिशत की एक समान फ्लोटिंग दर की ब्याज दर को एनसीडी पर 9.08 प्रतिशत तक कम कर दिया है। भारत सरकार उपर्युक्त एनसीडी पर ब्याज के निधिकरण हेतु इक्विटी पूंजी लाने के लिए भी सहमत हो गई है।

एफआरपी में भाग लेने वाले सभी बैंकों ने दिनांक 31 मार्च, 2014 को शेष राशियों की पुष्टि कर दी है। हालांकि, बैंकों द्वारा पुष्टि किए गए शेषों और एअर इंडिया द्वारा मिलान किए जा रहे शेषों के बीच कुछ अंतर है, जिनका मिलान हो रहा है। इन

अंतरों के एक भाग का मिलान हो गया है और बैंकों ने उसे संशोधित कर दिया है। दिनांक 31 मार्च, 2014 को शेष अंतर के मिलान हेतु बैंकों के साथ बातचीत जारी है।

एफआरपी के अनुसार कुल 12 संपत्तियों में से चेन्नै, हैदराबाद और दिल्ली की 5 संपत्तियों के लिए अचल संपत्तियों के उचित रेहन सृजित किए गए हैं। टीएपी/एफआरपी के अनुसार भारत सरकार वित्त वर्ष 2021 तक 302310 मिलियन रुपए की इक्विटी लाने के लिए सहमत हो गई है जिसमें 67500 मिलियन रुपए की अपफ्रंट इक्विटी, 45520 मिलियन रुपए के नगद घाटे के लिए इक्विटी इन्फ्यूज़न तथा 189290 मिलियन रुपए के गारंटीशुदा विमान ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन सम्मिलित है। सरकार नवम्बर–दिसम्बर, 12 में जारी की गई 74000.0 मिलियन रुपए की एनसीडी पर ब्याज के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन करने के लिए भी सहमत हो गई है। एफआरपी के अनुपालन में वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान भारत सरकार 60,000 मिलियन रुपए तक की इक्विटी इन्फ्यूजन कर चुकी है। इस प्रकार 31 मार्च, 2014 तक एफआरपी के अंतर्गत कुल 132000 मिलियन रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जा चुका है।

वित्तीय बाधाओं के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान सरकार से 85740 मिलियन रुपए की राशि का इन्फ्यूजन करने का अनुरोध किया गया था किन्तु उसने केवल 60,000 मिलियन रुपए का ही इक्विटी इन्फ्यूजन किया है जिसके कारण 25740 मिलियन रुपए की कमी हुई है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 65,000 मिलियन रुपए की इक्विटी देने का वादा किया है। कंपनी ने 2014–15 के बजट में विमानों के गारंटी प्राप्त ऋणों पर मूल राशि की चुकौती पर विनिमय दर परिवर्तन (टीएपी में दी गई विनिमय दर की तुलना में) के प्रभाव को सम्मिलित करने के लिए आवेदन भी किया है। यह प्रभाव 9260.0 मिलियन रुपए है। कंपनी की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पावधि कार्यशील पूंजीगत ऋण जुटाने के लिए भारत सरकार ने 30000 मिलियन रुपए की गारंटी जारी की है जिसमें से वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान भारत सरकार द्वारा इक्विटी इनफ्यूजन से 10,000 मिलियन रुपए पहले ही चुकाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, टीएपी/एफआरपी सिफारिशों के अनुरूप भारत सरकार से इक्विटी मिलने में विलम्ब के कारण कंपनी ने पूंजीगत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय से 2014–15 के अनुपूरक अनुदान। बजट में 6000 मिलियन रुपए देने का अनुरोध किया है।

86- xkbx dUlu

अपने प्रचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कंपनी ने एक टीएपी तैयार किया है जो कंपनी के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय दोनों प्रकार के टर्न अराउंड के लिए आवश्यक है। टीएपी जिसकी जांच स्वतंत्र रूप से डिलॉइट द्वारा की गई है, पर कंपनी के अनुमानों के आधार पर एक एफआरपी तैयार किया गया है और उसे 01 अक्तूबर, 2011 से लागू किया गया है। इसमें अनुमानित नकदी प्रवाह के अनुसार कंपनी के ऋणों के पुनर्भुगतान का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार अपफ्रंट इक्विटी इन्फ्यूजन के रूप में 67500 मिलियन रुपए, नकद घाटे की फंडिंग के लिए इक्विटी के रूप में 45520 मिलियन रुपए (2018 तक) एवं 189290 मिलियन रुपए के गारंटी शुदा विमान ऋणों की इक्विटी (वित्त वर्ष 2020 तक) के रूप में, वित्त वर्ष 2012–2021 तक कुल 302310 मिलियन रुपए के इक्विटी इन्फ्यूजन को भी अनुमोदित कर चुकी है। भारत सरकार नॉन–कन्वर्टीबल डिबेंचर्स (एनसीडी) जारी करने के लिए 74000 मिलियन रुपए की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी भी जारी कर चुकी है जिसकी आय बैंकों के अल्पकालिक ऋणों के भुगतान के लिए इस्तेमाल की गई है जिससे ब्याज का भार कम होगा। ये एनसीडी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज़ेशन (ईपीएफओ) के द्वारा सब्सक्राइब किए गए हैं। ये एनसीडी 19 वर्ष की परिपक्वता (मैच्योरिटी) के साथ जारी किए गए हैं और 9.08 प्रतिशत की ब्याज दर पर रखे गए हैं। भारत सरकार वर्ष 2015 तक 73 प्रतिशत और 2020 तक 75 प्रतिशत पीएलएफ की उपलब्धि का माइलस्टोन भी स्थापित कर चुकी है, लब्धि और उपयोगिता के मानदंड टीएपी के अनुसार होंगे। भविष्य में विमानों का अर्जन केवल रूट प्लानिंग एवं उपयोगिता पर आधारित होगा और वर्ष 2014–15 के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। एमआरओ और ग्राउंड हैंडलिंग गतिविधियां टीएपी में दिए गए प्रस्ताव के अनुसार एक साथ की गईं हैं। परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण किया जाएगा और कार्गो और डाक राजस्व को टीएपी के अनुसार बढ़ाया जाएगा। कंपनी की मानव संसाधन नीति की समग्रता के आधार पर समीक्षा की गई है और संगठन के पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों पर स्थिति को ठीक करने के लिए बोर्ड द्वारा एक नया संगठनात्मक ढांचा अनुमोदित किया गया है। प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए एक एकीकृत आईटी सिस्टम पहले ही लगाया जा चुका है। इसमें कंपनी के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रचालनों के एकीकरण के लिए दिल्ली में टी–3 पर एक एकीकृत प्रचालन नियंत्रण केन्द्र (आईओसीसी) तथा हब नियंत्रण केन्द्र (एचसीसी) को स्थापित किया जाना सम्मिलित है। आईओसीसी और एचसीसी रूट नेटवर्क पर सभी उड़ानों का ऑनलाइन और रीयल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध कराएंगे और विमानों के इस्तेमाल को बेहतर बनाएंगे। टीएपी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और निर्धारित माइलस्टोन की तुलना में वास्तविक कार्य निष्पादन को समीप से मॉनीटर करने के लिए एक निगरानी (निरीक्षण) समिति भी बनाई गई है। यह निगरानी समिति एआई के प्रचालनात्मक और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा करने के लिए अब तक 6 बैठकें आयोजित कर चुकी हैं।

भारत सरकार एफआरपी के लागू होने के समय से 31 मार्च, 2014 तक कंपनी में इक्विटी के माध्यम से 132000 मिलियन रुपए प्रदान कर चुकी है। एअर इंडिया द्वारा 71060 मिलियन रुपए की मांग (विनिमय दर समायोजन के लिए 9260 मिलियन रुपए तथा विलम्बित इक्विटी पर ब्याज के लिए 1650 मिलियन रुपए सहित) के संदर्भ में एअर इंडिया को वित्तीय वर्ष 2014–15 में इक्विटी के रूप में यूनियन बजट में 65000 मिलियन रुपए की राशि दी गई। 6060 मिलियन रुपए की राशि की उपर्युक्त कमी के लिए भी भारत सरकार से संपर्क किया गया है।

भारत सरकार से प्राप्त सहायता और अपनी प्रचालन और वित्तीय स्थिति को सुधारने की दिशा में कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के कारण भविष्य में कंपनी की वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार होने की उम्मीद है इसलिए गोइंग कन्सर्न के आधार पर लेखे तैयार किए जा रहे हैं।

87- पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया वहां, संकलन की व्यवहारिकता और उपलब्ध सूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनूसूची VI के अनुसार अनुकूल बनाने के लिए, री–ग्रुप/री–अरेंज कर दिया गया है।

तुलन पत्र तथा लाभ–हानि खातों के भाग के रूप में संलग्न अनुसूचियों तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के लिए हस्ताक्षर।

बोर्ड के लिए एवं की ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
jkfgr uUnu	,l-oadV	dYiuk jko
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक–वित्त	कंपनी सचिव
कृते एवं की ओर से	कृते एवं की ओर से	कृते एवं की ओर से
vkj-noUn dekj ,M ,lkfl,Vl	dij VMu ,M diuh	ih-d-d-th- ckykl cef.k;e ,M ,lkfl,Vl
चार्टर्ड एकाउंटेन्टस	चार्टर्ड एकाउंटेन्टस	चार्टर्ड एकाउंटेन्टस
हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
Mh-d-xIrk	jkts'k ikjljkedk	lh-lj'k
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं–09032	सदस्यता सं–074192	सदस्यता सं–204602

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 दिसम्बर, 2014